सत्यमेव जयते

# खादी और ग्रामोद्योग आयोग में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सहित विभागीय व्यापारिक इकाइयों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

## संघ सरकार

## सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

## 2023 की संख्या 9

## (अनुपालन लेखापरीक्षा)

# खादी और ग्रामोघोग आयोग में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सहित विभागीय व्यापारिक इकाइयों

# पर

# भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

## संघ सरकार

## सूक्ष्म, लघु और मध्यम उघम मंत्रालय

## 2023 की संख्या 9

## (अनुपालन लेखापरीक्षा)

.....को लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर प्रस्तुत किया

# विषय सूची


| अध्याय | विवरण | पृष्ठ संख्या. |
|---|---|---|
| | प्राक्कथन | iii |
| | कार्यकारी सार | v |
| 1 | प्रस्तावना | 1 |
| 2 | लेखापरीक्षा अधिदेश, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली | 7 |
| 3 | निष्क्रिय विभागीय व्यापारिक इकाइयां | 11 |
| 4 | विभागीय व्यापारिक इकाइयों द्वारा अधिप्राप्ति और उत्पादन | 19 |
| 5 | विभागीय व्यापारिक इकाइयों द्वारा विपणन और बिक्री | 63 |
| 6 | विभागीय व्यापारिक इकाइयों में वित्तीय प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण | 113 |
| | अनुलग्नक | 129 |

# प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन को संसद के समक्ष रखे जाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अनुपालन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश 2016 और लेखापरीक्षा एवं लेखा पर विनियमन, 2007 (अगस्त 2020 में संशोधित) के अनुसार तैयार किया गया है।

खादी और ग्रामोघोग आयोग (केवीआईसी) का गठन भारत सरकार द्वारा संसद के एक अधिनियम अर्थात 'खादी एवं ग्रामोघोग आयोग अधिनियम' 1956 के अंतर्गत ग्रामीण विकास में लगी अन्य एजेंसियों के समन्वय से ग्रामीण क्षेत्रों में खादी एवं ग्रामोघोग की स्थापना एवं विकास की योजना बनाने, बढ़ावा देने, सुविधाजनक बनाने, संगठित करने और सहायता करने के लिए किया गया था। केवीआईसी ने खादी एवं ग्रामोघोग उत्पादों के उत्पादन एवं बिक्री गतिविधि को पूरा करने के लिए पिछले कई वर्षों में 92 विभागीय व्यापारिक इकाइयों की स्थापना की।

अनुपालन लेखापरीक्षा द्वारा 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान क्रियात्मक विभागीय व्यापारिक इकाइयों और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के संचालन का मूल्यांकन किया गया।

# कार्यकारी सार

## कार्यकारी सार

खादी और ग्रामोघोग आयोग (केवीआईसी) का गठन भारत सरकार द्वारा संसद के एक अधिनियम अर्थात 1956 के 'खादी और ग्रामोघोग आयोग अधिनियम' के अंतर्गत ग्रामीण विकास में लगी अन्य एजेंसियों के समन्वय से ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोघोग की स्थापना और विकास की योजना बनाने, बढ़ावा देने, सुविधाजनक बनाने, संगठित करने और सहायता करने के लिए किया गया था। केवीआईसी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उघम मंत्रालय (एमएसएमई) के प्रशासनिक नियंत्रण में है। केवीआईसी के तीन मुख्य उद्देश्य हैं, जो इसकी कार्य पद्धति का मार्गदर्शन करते हैं (i) सामाजिक उद्देश्य - ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना; (ii) आर्थिक उद्देश्य - बिक्री योग्य वस्तुओं का उत्पादन करना; और (iii) व्यापक उद्देश्य - जनता में आत्मनिर्भरता एवं सुदृढ़ ग्राम स्वराज की भावना पैदा करना।

खादी और ग्रामोघोग उत्पादों के उत्पादन और बिक्री गतिविधियों को पूरा करने के लिए केवीआईसी द्वारा विभागीय व्यापारिक इकाइयों की स्थापना की गई थी। विभागीय व्यापारिक इकाइयों में केंद्रीय पूनी संयंत्र, खादी ग्रामोघोग भवन और अन्य व्यापारिक इकाइयां शामिल हैं। केवीआईसी ने पिछले कुछ वर्षों में 92 विभागीय व्यापारिक इकाइयों की स्थापना की थी। इनमें से केवल 18 विभागीय व्यापारिक इकाइयां 31 मार्च 2021 तक कार्यात्मक थी और 74 विभागीय व्यापारिक इकाइयां समयावधि में निष्क्रिय हो गई (1962 से 2016 तक की अवधि के दौरान 73 विभागीय व्यापारिक इकाइयां निष्क्रिय हो गई तथा एक विभागीय व्यापारिक इकाई वर्ष 2019 में बंद हो गई थी)।

अनुपालन लेखापरीक्षा में 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान 18 कार्यात्मक विभागीय व्यापारिक इकाइयों और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के संचालन का मूल्यांकन किया। बंद होने के कारणों और प्रभाव का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा ने 25 निष्क्रिय विभागीय व्यापारिक इकाइयों की सामान्य संवीक्षा भी की।

अनुपालन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों का यह निर्धारण करना था:

i) भविष्य के लिए सीखे जाने वाले पाठों के लिए विभागीय व्यापारिक इकाइयों को बंद करने के कारण और प्रभाव;

ii) क्या खादी संस्थानों और ग्रामोद्योगों से वस्तुओं की अधिप्राप्ति और कपास की अधिप्राप्ति और पूनी का उत्पादन भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया था और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को मितव्ययता, कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से बनाए रखा गया था;

iii) क्या खादी और ग्रामोघोग उत्पादों और पूनी का विपणन और बिक्री कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से की गई थी; और

iv) क्या नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार विभागीय व्यापारिक इकाइयों के कार्य पद्धति को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र मौजूद था।

**महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष**

2017-18 से 2020-21 तक की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, केवीआईसी ने विभागीय व्यापार इकाइयों में खरीद और विपणन प्रथाओं में सुधार के लिए कई सुविचारित उपाय शुरू किए हैं। लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि ये पहल सफलता के वांछित स्तर को पूरा नहीं कर सकी क्योंकि कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ और कमजोरियाँ थीं। लेखापरीक्षा ने 26 सिफारिशें भी की हैं जो भविष्य में केवीआईसी के प्रबंधन को बेहतर कार्यान्वयन में मदद करेंगी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष और सिफारिशें नीचे दी गई हैं:

***निष्क्रिय विभागीय व्यापारिक इकाइयां***

इस तथ्य के बावजूद कि केवल 20 प्रतिशत से कम विभागीय व्यापारिक इकाइयां परिचालन जारी रखने में सक्षम थीं, केवीआईसी ने विभागीय व्यापारिक इकाइयों के निष्क्रिय होने के कारणों की पहचान करने के लिए कोई विश्लेषण नहीं किया है। 25 विभागीय व्यापारिक इकाइयों में से 11 के मामले में बंद होने का कारण उपलब्ध नहीं था। तीन विभागीय व्यापारिक इकाइयों के मामले में, बंद होने के कारण और औचित्य विश्वसनीय नहीं थे और उनके बंद होने से रोकने के लिए केवीआईसी के प्रयासों में कमी दिखाई देती हैं। अन्य दो विभागीय व्यापारिक इकाइयों के मामले में, निजी पार्टियों ने खादी उत्पादों की अनधिकृत बिक्री के माध्यम से काफी राजस्व उत्पन्न किया था जो इन विभागीय व्यापारिक इकाइयों के माध्यम से राजस्व सृजन की गुंजाइश को दर्शाता है। हालांकि केवीआईसी द्वारा कमियों की पहचान की जा रही थी और सुधारात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जा रही थी लेकिन

परिसंपत्तियों के निपटान, बकाया राशि की वसूली, लेखाओं के निपटान और कर्मचारियों की पुन: तैनाती मे कुछ निष्क्रिय इकाइयों में विलंब हुआ।

**(पैराग्राफ 3.1, 3.2 और 3.3)**

***विभागीय व्यापारिक इकाइयों के निष्क्रिय होने के कारणों का गहराई से विश्लेषण किया जाए और सीखे गए सबकों पर कार्रवाई की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की शेष कार्यात्मक विभागीय व्यापारिक इकाइयो को, विशेष रूप से वह जो विपणन गतिविधियों में लगी हुई है को उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया जा रहा है। निष्क्रिय इकाइयों की परिसंपत्तियों/देयताओं का तत्काल निपटान/समायोजन किया जाए।***

***(सिफारिश संख्या 1)***

***विभागीय व्यापारिक इकाइयों द्वारा अधिप्राप्ति और उत्पादन***

केवीआईसी ने पारदर्शिता और विक्रयशीलता सुनिश्चित करने के लिए विभागीय व्यापारिक इकाइयों द्वारा खादी संस्थानों और ग्रामोघोग संस्थानों से उत्पादों की अधिप्राप्ति के संबंध में समय-समय पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे। निर्धारित खरीद प्रक्रियाओ का पालन करने के लिए विभागीय व्यापारिक इकाइयों की ओर से कमी योजनाओ में अंतराल का कारण बना और खरीद की पारदर्शिता में कमजोरी आई जिसके कारण सभी आपूर्तिकर्ताओ के लिए उचित अवसर सुनिश्चित नहीं किए गए।

भले ही केवीआईसी ने खादी क्षेत्र के लिए खादी संस्थान प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित की थी, जिसमें खादी ग्रामोघोग भवनों की अधिप्राप्ति/बिक्री डेटा अपलोड करने के लिए एक मॉड्यूल शामिल था, लेकिन इस डेटा को अधिप्राप्ति योजनाओं पर इनपुट प्राप्त करने और बाजार के रुझानों का विश्लेषण करने के लिए मद-वार, आपूर्तिकर्ता-वार जानकारी में संकलित नहीं किया गया था।

**(पैराग्राफ 4.1)**

***केवीआईसी यह सुनिश्चित करे कि विभागीय व्यापारिक इकाइयां अधिप्राप्ति और उत्पादन की प्रभावी निगरानी के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करें जैसे अधिप्राप्ति समिति***

***की नियमित बैठक, बाजार के रुझानों का विश्लेषण, वेबसाइट पर अधिप्राप्ति संयंत्रों का प्रकाशन आदि।***

***(सिफारिश संख्या 2)***

***विभागीय व्यापारिक इकाइयां उत्पादों की अधिप्राप्ति की एक प्रणाली शुरू करें जो पिछली बिक्री और प्रत्याशित मांग द्वारा प्रमाणित बाजार में मांग के विश्लेषण पर आधारित है। इसके अलावा, खादी संस्थान प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) को यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधित किया जाए कि केवीआईसी अधिप्राप्ति और बिक्री पर मद-वार/ आपूर्तिकर्ता-वार डेटा निकालने में सक्षम हो ताकि अधिप्राप्ति समितियां बाजार के रुझानों की पहचान कर सकें और इस प्रकार यथार्थवादी और प्रभावी अधिप्राप्ति योजनाएं तैयार कर सकें और विपणन निदेशालय को अधिप्राप्ति की गतिशील निगरानी करने में सक्षम बनाया जा सके।***

***(सिफारिश संख्या 3)***

***अधिप्राप्ति प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाने के लिए, केवीआईसी को सभी पंजीकृत खादी संस्थानों को अपने उत्पादों को खादी ग्रामोघोग भवनों के माध्यम से बेचने का समान अवसर प्रदान करना चाहिए, नए आपूर्तिकर्ताओं को केवीआईसी के साथ पंजीकरण करने का अवसर देना चाहिए और माल की आपूर्ति के लिए समझौते करने के निर्देशों को लागू करना चाहिए। केवीआईसी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आपूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान के संबंध में निर्देशों का विधिवत पालन किया जा रहा है***

***(सिफारिश संख्या 4)***

केवीआईसी के खादी ग्रामोघोग भवन खादी संस्थानों से उत्पादन सब्सिडी (संशोधित बाजार विकास सहायता) का अतिरिक्त हिस्सा एकत्र कर रहे थे, जिनके उत्पाद उनके माध्यम से बिक्री किए जा रहे थे।

**(पैराग्राफ 4.3.1)**

***केवीआईसी खादी संस्थानों द्वारा खादी ग्रामोघोग भवनों को दी गई संशोधित बाजार विकास सहायता के भाग की मामला-दर-मामला आधार पर समीक्षा करे और निर्धारित सीमा से अधिक प्राप्त संशोधित बाजार विकास सहायता भागीदारी वापस करे।***

***(सिफारिश संख्या 6)***

एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित खादी सुधार और विकास कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय पूनी संयंत्रों के नवीकरण हेतु परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब के परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि, निष्क्रिय मजदूरी के भुगतान (₹89 लाख) और उत्पादन हानि (₹11.15 करोड़ प्रति वर्ष) के कारण परिहार्य व्यय हुआ।

**(पैराग्राफ 4.4.2.2)**

***लागत वृद्धि और उत्पादन घाटे को रोकने के लिए नवीनीकरण परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र लागू करने की आवश्यकता है।***

***(सिफारिश संख्या 7)***

केवीआईसी प्रबंधन प्रभावी निगरानी के माध्यम से यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि सभी विभागीय व्यापारिक इकाइयों और खादी संस्थानों ने केंद्रीय पूनी संयंत्रों में अपने उत्पादों का परीक्षण किया ताकि स्थापित क्षमता का पूरी तरह से उपयोग किया जा सके और खादी कपड़े की प्रामाणिकता की गारंटी दी जा सके।

**(पैराग्राफ 4.4.3)**

***केवीआईसी यह सुनिश्चित करे कि केवीआईसी को खादी उत्पादों की आपूर्ति करने वाले खादी संस्थान निर्धारित मानदंडों के अनुसार केंद्रीय पूनी संयंत्रों से परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करें ताकि गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ-साथ उपलब्ध परीक्षण क्षमता का उपयोग किया जा सके।***

***(सिफारिश संख्या 9)***

***विभागीय व्यापारिक इकाइयों द्वारा विपणन और बिक्री***

2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान, केवीआईसी ने ई-कॉमर्स, बाजार सर्वेक्षण, उत्पाद सूची और स्वैच बुक के विकास, विपणन सलाहकारों की भर्ती, फ्रेंचाइजी योजना, खादी कोर्नर का निर्माण, खादी प्लाजा का निर्माण, खादी ट्रेडमार्क का पंजीकरण, आदि के कार्यान्वयन जैसे कई सुविचारित विपणन पहल को लागू करने का प्रयास किया। केवीआईसी द्वारा कार्यान्वित इन पहल को, जो पूरे खादी और ग्रामोघोग क्षेत्र को लाभान्वित कर सकती हैं, अलग-अलग स्तर की सफलता प्राप्त हुई।

केवीआईसी ने खादी और ग्रामोघोग उत्पादों की घरेलू और निर्यात बिक्री बढ़ाने के लिए घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय बाजार सर्वेक्षणों द्वारा प्राप्त जानकारी का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया और व्यापक उत्पाद सूची विकसित करने की भी आवश्यकता थी।

**(पैराग्राफ 5.1.1, 5.1.2 और 5.1.3)**

***केवीआईसी सर्वेक्षणों के बाद की अवधि में बाजार पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए बाजार सर्वेक्षणों के निष्कर्षों/सिफारिशों की समीक्षा करे और सिफारिशों को लागू करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई शुरू करे, विशेष रूप से डिजाइन, मूल्य निर्धारण, दृश्यता और उपलब्धता आदि में विविधता और नवाचार शुरू करने जैसे क्षेत्रों में। निर्यात संवर्धन परिषद के दर्जे का प्रभावी ढंग से उपयोग करके निर्यात क्षेत्र में केवीआईसी की उपस्थिति बढ़ाने के प्रयास किए जाए।***

***(सिफारिश संख्या 13)***

केवीआईसी को उनके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों को परिभाषित नहीं करने और सुपुर्दगी दायित्व की निगरानी में कमी के कारण बाह्य परामर्शदाताओं की नियुक्ति का पर्याप्त रूप से लाभ नहीं मिला। उपलब्धता और बिक्री बढ़ाने की योजनाएं जैसे कि फ्रेंचाइजी आउटलेट खोलना, खुदरा श्रृंखला स्टोरों में "खादी कोर्नर्स" की स्थापना आदि, सीमित पैमाने पर लागू की गईं, जिसे वांछित प्रतिक्रिया नहीं मिली।

**(पैराग्राफ 5.1.4, 5.1.5 और 5.1.6)**

***बाह्य परामर्शदाताओं को नियुक्त करते समय, भारत सरकार द्वारा जारी परामर्श और अन्य सेवाओं की अधिप्राप्ति नियमपुस्तिका 2017 में निहित निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए, जैसे कार्य का सुप्रिभाषित कार्यक्षेत्र/विचारार्थ विषय तैयार करना, परामर्श निगरानी समिति की स्थापना करना आदि।***

***(सिफारिश संख्या 14)***

***केवीआईसी फ्रेंचाइजी आउटलेट खोलने जैसी योजनाओं को लागू करने से पहले अवसरों और खतरों की पहचान करने के लिए गहन बाजार अध्ययन कर करे और उद्यमियों को विपणन सहायता और मार्गदर्शन भी प्रदान करे। ऐसी योजनाओं की सफलता के लिए प्रबंधन द्वारा आवधिक निगरानी की भी आवश्यकता है।***

***(सिफारिश संख्या 15)***

निधि आवंटित होने के बावजूद खादी प्लाजा स्थापित नहीं किए जा सके। खादी ग्रामोघोग भवनों की अवसंरचना का आवश्यकतानुसार नवीनीकरण नहीं किया गया।

**(पैराग्राफ 5.1.7, और 5.1.8)**

***केवीआईसी इस तथ्य के मद्देनजर पूरी तरह से समीक्षा के बाद खादी प्लाजा योजना को पुनर्जीवित करने पर विचार करे कि इसके अंतर्गत एक भी परियोजना लागू नहीं की जा सकी। केवीआईसी खादी और ग्रामोघोग क्षेत्र में विपणन बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए खादी प्लाजा योजना के अंतर्गत उपलब्ध निधि का उपयोग करने के लिए व्यवहार्य प्रस्ताव तैयार करने के लिए राज्य खादी बोर्डों आदि को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक प्रणाली भी विकसित करे।***

***(सिफारिश संख्या 16)***

भले ही केवीआईसी ने "खादी" जैसे ट्रेडमार्क को पंजीकृत कराने में कामयाबी हासिल की थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस क्षेत्र में केवल अधिकृत उत्पादों की ही बिक्री हो, फिर भी अवैध रूप से ट्रेडमार्क का उपयोग करने वाली फर्मों के खिलाफ अधिक कठोर कार्रवाई की आवश्यकता थी।

**(पैराग्राफ 5.1.11)**

***केवीआईसी उल्लंघन के प्रति अदालती मामले दर्ज करने और ट्रेडमार्क के उल्लंघन के मामले में कानून और व्यवस्था अधिकारियों के साथ शिकायत करने जैसी अधिक सख्त कार्रवाई करे।***

***(सिफारिश संख्या 18)***

खादी ग्रामोघोग भवन बिक्री लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके और यह देखा गया कि वार्षिक बजट और बिक्री लक्ष्यों की तैयारी और अनुमोदन में देरी हुई। बिक्री योजना प्रक्रिया अप्रभावी थी और बाजार के रुझानों का उचित विश्लेषण नहीं किया गया था।

**(पैराग्राफ 5.2.1.1)**

***केवीआईसी खादी ग्रामोघोग भवनों के लिए संबंधित वित्तीय वर्ष से काफी पहले वार्षिक बजट तैयार करे और पिछली अवधियों की बिक्री, प्रत्याशित मांग, बाजार के रुझान आदि जैसे सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद बिक्री लक्ष्य तैयार किए जाएँ। लक्ष्यों की***

***तुलना में उपलब्धियों की मध्यावधि/आवधिक समीक्षा की जाए और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाए।***

***(सिफारिश संख्या 19)***

केवीआईसी आपूर्तिकर्ताओं की कमी के कारण थोक/सरकारी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ था।

**(पैराग्राफ 5.2.1.2)**

***केवीआईसी मौजूदा आपूर्तिकर्ताओं की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रभावी कार्रवाई करे और सरकारी क्षेत्र में मांग को पूरा करने के लिए क्षमता बढ़ाने के लिए अधिक आपूर्तिकर्ताओं को शामिल करे।***

***(सिफारिश संख्या 20)***

***विभागीय व्यापारिक इकाइयों में वित्तीय प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण***

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में खामियां थीं जैसे कि निर्धारित क्रेडिट नीति के कार्यान्वयन, देनदारों की पुष्टि, बैंक खातों का मिलान न होना, परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन न करना आदि। खादी संस्थानों, केंद्रीय पूनी संयंत्रों और विभागीय व्यापारिक इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा या तो आयोजित ही नहीं की गई थी या आच्छादित की गई इकाइयों, आच्छादित की गई अवधि और टिप्पणियों के दायरे के संदर्भ में कमी थी। आंतरिक लेखापरीक्षा की टिप्पणियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही थी या शीर्ष प्रबंधन के समक्ष नहीं रखा जा रहा था।

**(पैराग्राफ 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1 और 6.3)**

***केवीआईसी ऋण बिक्री और देनदारों की वसूली के संबंध में लागू अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करे। मामला-दर-मामला आधार पर लंबे समय से लंबित ऋणों को साकार करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए और वसूली न होने के कारणों की जांच की जाए।***

***(सिफारिश संख्या 22)***

***चूंकि धोखाधड़ी को रोकने और पता लगाने के लिए बैंक मिलान एक आवश्यक आंतरिक नियंत्रण उपकरण है, इसलिए केवीआईसी को विभिन्न विभागीय व्यापारिक इकाइयों द्वारा संचालित सभी बैंक खातों की शेष राशि का तत्काल मिलान करने की आवश्यकता है।***

***(सिफारिश संख्या 23)***

***विभागीय व्यापारिक इकाइयों की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत किया जाए और इस संबंध में नवीनतम सिद्धांतों और प्रथाओं पर विचार करते हुए आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए दिशानिर्देशों को अद्यतन किया जाए, ताकि क्षेत्र का विस्तार किया जा सके और कार्यप्रणाली में सुधार किया जा सके।***

***(सिफारिश संख्या 24)***

***आंतरिक लेखापरीक्षा योजना को पूरा करने, अभ्युक्तियों की समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने और लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर की गई कार्रवाई की निगरानी के लिए तंत्र विकसित किया जाना चाहिए***

***(सिफारिश संख्या 26)***

# अध्याय ।

# प्रस्तावना

# अध्याय ।

# प्रस्तावना

खादी और ग्रमोघोग आयोग (केवीआईसी) का गठन भारत सरकार द्वारा संसद के एक अधिनियम अर्थात 'खादी और ग्रामोघोग आयोग अधिनियम', 1956 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में, खादी[1] और ग्रामोघोग[2] की स्थापना और विकास, ग्रामीण विकास में लगी अन्य एजेंसियों के समन्वय से, जहाँ भी आवश्यक हो, योजना बनाने, बढ़ावा देने, सुविधा प्रदान करने, संगठित करने और सहायता करने के लिए किया गया था। केवीआईसी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उघम मंत्रालय (एमएसएमई) के प्रशासनिक नियंत्रण में है। केवीआईसी के तीन मुख्य उद्देश्य हैं, जो इसके कार्य पद्धति का मार्गदर्शन करते हैं यानी (i) सामाजिक उद्देश्य - ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना; (ii) आर्थिक उद्देश्य - बिक्री योग्य वस्तुओं का उत्पादन करना; और (iii) व्यापक उद्देश्य - जनता में आत्मनिर्भरता एवं सुदृढ़ ग्राम स्वराज की भावना पैदा करना।

केवीआईसी विनियम 1958 (2007 में संशोधित) के विनियम[3] 24 के अनुसार केवीआईसी द्वारा गठित केंद्रीय प्रमाणन समिति द्वारा जारी किया जाता है। प्रमाणपत्र पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाता है। समिति को खादी प्रमाणपत्रों के नवीनीकरण/रद्द करने का अधिकार है।

केवीआईसी इसके द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं (योजना) के साथ-साथ मंत्रालय द्वारा आवंटित बजट के आधार पर अपने स्थापना और प्रशासनिक व्यय (गैर-योजना) के लिए एमएसएमई मंत्रालय से अनुदान के रूप में निधि प्राप्त करता है। 2017-18 से 2020-

---

[1] *"खादी" का अर्थ है भारत में कपास, रेशम या ऊनी धागे से भारत में हथकरघे पर या ऐसे दो या सभी यार्न के मिश्रण से बुना हुआ कोई भी कपड़ा।*

[2] *'ग्रामीण उद्योग' का अर्थ है - (i) ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कोई भी उद्योग, जो बिजली के उपयोग के साथ या उसके बिना किसी भी सामान का उत्पादन करता है या कोई सेवा प्रदान करता है और जिसमें एक कारीगर या श्रमिक का प्रति व्यक्ति निश्चित पूंजी निवेश ₹1 लाख से अधिक नहीं होता है।*

[3] *2007 में संशोधित केवीआईसी विनियम 1958 के विनियम 24 के अनुसार, खा.ग्रा.आ एक या अधिक प्रमाणन समितियों की नियुक्ति करेगा जो जारी करने के लिए प्रमाणन नियमों के अनुसार, खादी या किसी भी ग्रामउद्योग के उत्पादों के उत्पादकों, या डीलरों को प्रमाण पत्र प्रदान करेगी। खादी प्रमाण पत्र का नवीनीकरण और वैधता और सरकार के पूर्व अनुमोदन से खादी या किसी ग्रामोद्योग के उत्पादों के लिए आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देश।*

21 की अवधि के दौरान मंत्रालय से प्राप्त निधि के उपयोग के संदर्भ में निष्पादन तालिका 1.1 में दर्शाया गया है।

**तालिका 1.1 केवीआईसी द्वारा निधियों के उपयोग के संदर्भ में निष्पादन**

**(आंकड़े ₹ करोड़ में)**

| वर्ष | मंत्रालय से प्राप्त अनुदान | | | अनुदानों का उपयोग | | | अनुदान का उपयोग (प्रतिशत ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | योजना | गैर योजना | कुल | योजना | गैर योजना | कुल | योजना | गैर योजना | कुल |
| 2017-18 | 1,886.07 | 244.49 | 2,130.56 | 1,737.34 | 283.30 | 2,020.64 | 92.11 | **115.87** | **94.84** |
| 2018-19 | 2,812.73 | 387.92 | 3,200.65 | 2,897.53 | 367.31 | 3,264.84 | 103.01 | **94.69** | **102.01** |
| 2019-20 | 3,078.78 | 375.00 | 3,453.78 | 2,524.58 | 323.24 | 2,847.82 | 82.00 | **86.20** | **82.46** |
| 2020-21 | 2,145.46 | 305.73 | 2,451.19 | 2,665.30 | 387.05 | 3,052.35 | 124.23 | **126.60** | **124.53** |
| **कुल** | **9,923.04** | **1313.14** | **11,236.18** | **9,824.75** | **1,360.90** | **11,185.95** | **99.01** | **103.34** | **99.55** |

यह देखा जा सकता है कि 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान, केवीआईसी खादी और ग्रामोघोग क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं को पूरा करने के लिए प्रदान की गई लगभग पूरी निधि का उपयोग करने में सक्षम था। केवीआईसी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रबंधन विभागीय व्यापारिक इकाइयों के माध्यम से किया जाता है।

## 1.1 विभागीय व्यापारिक इकाइयां

खादी और ग्रामोघोग उत्पादों[4] के उत्पादन और बिक्री के लिए केवीआईसी द्वारा विभागीय व्यापारिक इकाइयों (डीटीयू) की स्थापना की गई थी। केवीआईसी ने इन वर्षों में 92 विभागीय व्यापारिक इकाइयों की स्थापना की थी ***(अनुलग्नक-I)*** जिसमें सात केंद्रीय पूनी संयंत्र (सीएसपी), खादी ग्रामोघोग भवन (केजीबी) के रूप में नामित 18 विभागीय बिक्री आउटलेट और खादी और ग्रामोघोग उत्पादों के व्यापार में शामिल 67 अन्य व्यापारिक इकाइयां सम्मिलित हैं। इनमें से 73 विभागीय व्यापारिक इकाइयां वर्ष 2016 तक निष्क्रिय हो गईं और 2019 मे एक विभागीय व्यापारिक इकाई बंद हो गई थी। केवल 18 विभागीय व्यापारिक इकाइयां 31 मार्च 2021 तक कार्यात्मक थी।

[4] *खादी और ग्रामोघोग के उत्पादों में खादी के धागे, कपड़े, वस्त्र और सहायक उपकरण, सूती पूनी एवं रोविंग, शहद, मसाले, सौंदर्य उत्पाद, हस्तशिल्प, अगरबत्ती, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ आदि शामिल हैं।*

18 कार्यात्मक इकाइयों में शामिल हैं:

i. पांच केंद्रीय पूनी संयंत्र[5] जो मुख्य रूप से भारतीय कपास निगम से कपास खरीदकर पूनी[6] और रोविंग[7] के उत्पादन में लगे हुए हैं, जिसका उद्देश्य खादी के कपड़े की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए चरखा कार्यक्रम[8] की जरूरतों को पूरा करने हेतु पंजीकृत खादी संस्थानों[9] को गुणवत्ता वाले पूनी और आमोटन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है। ये पांच केंद्रीय पूनी संयंत्र खादी क्षेत्र में लगभग एक तिहाई कच्चे माल की जरूरतों को पूरा करते हैं। केंद्रीय पूनी संयंत्रों का प्रबंधन संयंत्र प्रबंधकों द्वारा किया जाता है और खादी कच्चे माल के निदेशालय की देखरेख में कार्य करता है।

ii. सात कार्यात्मक[10] खादी ग्रामोघोग भवन खादी और ग्रामोघोग उत्पादों का उत्पादन करने वाले ग्रामीण कारीगरों और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं के बीच एक नेटवर्क बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो सभी आयु वर्ग के लोगो को एक ही छत के नीचे नियमित रूप से संबंधित ग्राहकों के लिए विशेष वस्तुओं की उपलब्धता का प्रबंधन करते हैं। चार खादी ग्रामोघोग भवन[11] भी खादी के तैयार वस्त्रों को बनाने में लगे हुए हैं। खादी ग्रामोघोग भवन, भवन प्रबंधकों द्वारा चलाए जाते हैं और वे विपणन निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं।

---

[5] *पांच कार्यात्मक केंद्रीस पूनी संयंत्र- (i) सीहोर, (ii) रायबरेली, (iii) चित्रदुर्ग, (iv) हाजीपुर, और (v) कुट्टूर।*

[6] *पूनी फाइबर का एक लंबा बंडल होता है जिसका उपयोग आमतौर पर सूत कातने के लिए किया जाता है।*

[7] *जब पूनी को और खींचा जाता है और हल्का सा मोड़ दिया जाता है, तो यह आमोटन बन जाता है।*

[8] *हथकरघा सूती धागे और कपड़े के उत्पादन में प्रमाणित खादी संस्थानों को सब्सिडी और सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार का चरखा कार्यक्रम 1956 में शुरू किया गया था। इसके बाद के चरखा कार्यक्रमों में नया मॉडल चरखा कार्यक्रम और हाल ही में शुरू किया गया सौर चरखा कार्यक्रम शामिल है।*

[9] *सहकारी समितियों, धर्मार्थ न्यासों, स्थानीय स्व-सरकारी निकायों, राज्य सरकार के संगठनों और बोर्डों, विभागीय व्यापारिक इकाइयों आदि जैसे संस्थान, जिन्होंने केवीआईसी से खादी प्रमाणन प्राप्त किया है।*

[10] *सात परिचालन विभागीय बिक्री आउटलेट - (i) नई दिल्ली, (ii) कोलकाता, (iii) गोवा, (iv) भोपाल, (v) एर्नाकुलम, (vi) पटना और (vii) मुंबई।*

[11] *दिल्ली, एर्नाकुलम, मुंबई और भोपाल में केजीबी।*

iii. छह अन्य[12] विभागीय व्यापारिक इकाइयां विशिष्ट खादी और ग्रामोघोग उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति में लगी हुई हैं। इन छह विभागीय व्यापारिक इकाइयों में से एक विभागीय व्यापारिक इकाई विपणन निदेशालय के अधीन कार्य करती है और पांच अन्य विभागीय व्यापारिक इकाइयां संबंधित निदेशकों के अधीन हैं।

विभागीय व्यापारिक इकाइयां मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केवीआईसी के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य करती हैं जिन्हें संबंधित निदेशालयों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। विभागीय व्यापारिक इकाइयों के कार्य पद्धति को दर्शाने वाला ऑर्गनोग्राम नीचे चित्र 1.1 में दिखाया गया है:

**चित्र: 1.1 केवीआईसी ऑर्गनोग्राम**

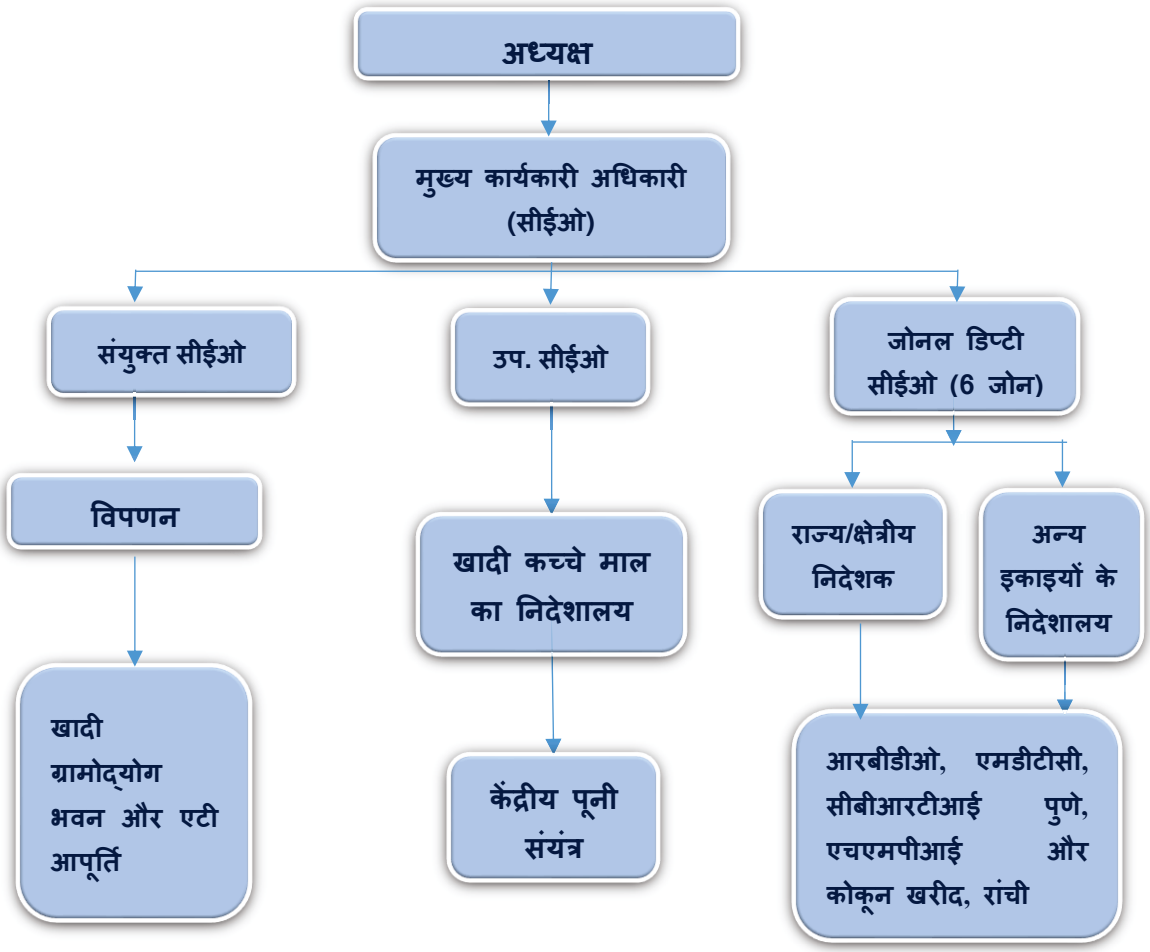


[12] *(i) क्षेत्रीय सीमा विकास कार्यालय (आरबीडीओ), बाड़मेर, राजस्थान, (ii) बहु-अनुशासनात्मक प्रशिक्षण केंद्र (एमडीटीसी), दहानू, महाराष्ट्र, (iii) स्वीकृत निविदा (एटी) आपूर्ति, मुंबई, महाराष्ट्र, (iv) कोकून खरीद , रांची, झारखंड (v) हस्तनिर्मित कागज उद्योग (एचएमपीआई), मुंबई, महाराष्ट्र, और (vi) केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (सीबीआरटीआई), पुणे, महाराष्ट्र।*

विभागीय व्यापारिक इकाइयां वाणिज्यिक आधार पर चलाए जा रहे हैं और लेखा-बहियां आदि उसी तर्ज पर रखी जाती हैं, जैसे कि किसी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मामले में होती है।

विभागीय व्यापारिक इकाइयों तथा खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों के विपणन से संबंधित योजनाओं पर आवंटित बजट एवं किये गये वास्तविक व्यय का विवरण नीचे तालिका 1.2 में दिया गया है:

**तालिका 1.2 खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के विभागीय व्यापारिक इकाइयों और विपणन से संबंधित योजनाओं पर किए गए बजट आवंटन और वास्तविक व्यय**

**(आंकड़े ₹ करोड़ में)**

| योजना | 2017-18 | | 2018-19 | | 2019-20 | | 2020-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | बजट | वास्तविक | बजट | वास्तविक | बजट | वास्तविक | बजट | वास्तविक |
| **खादी** | | | | | | | | |
| संशोधित बाजार विकास सहायता | 308.31 | 172.58 | 151.31 | 303.81 | 291.20 | 255.35 | 224.04 | 197.34 |
| प्रचार | 10.00 | 7.82 | 4.00 | 5.65 | 0 | 0 | 7.94 | 4.76 |
| विपणन | 10.00 | 6.70 | 8.69 | 11.30 | 30.00 | 11.33 | 29.73 | 2.42 |
| गुणवत्ता आश्वासन | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 5.00 | 4.96 |
| डिजाइन हाउस की स्थापना | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 0 | 15.00 | 3.07 |
| विपणन अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण | 6.26 | 7.91 | 9.54 | 8.96 | 12.39 | 4.68 | 10.96 | 10.59 |
| प्रोत्साहन अनुदान | 0 | 0.29 | 9.39 | 0.40 | 4.00 | 6.10* | 8.19 | 5.62 |
| **ग्रामोद्योग** | | | | | | | | |
| ग्रामोद्योग अनुदान | 83.78 | 75.07 | 63.00 | 58.18 | 82.92 | 83.09* | 93.42 | 80.97 |
| केआरडीपी[13] | 481.00 | 226.65 | 146.03 | 60.70 | 0 | 46.49* | 0 | 19.78* |
| **कुल** | **899.35** | **497.02** | **391.96** | **449.00** | **440.51** | **407.04** | **394.28** | **329.51** |
| **** पिछले वर्षों में बजट के प्रति प्राप्त निधि पर व्यय शामिल है।*** | | | | | | | | |

[13] *खादी सुधार और विकास कार्यक्रम एशियाई विकास बैंक की वित्तीय सहायता से केवीआईसी द्वारा कार्यान्वित एक व्यापक कार्यक्रम है*

2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय का प्रमुख हिस्सा संशोधित बाजार विकास सहायता[14] (55.37 प्रतिशत) पर था।

केवीआईसी ने खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (केआरडीपी) (21.08 प्रतिशत*)* के अंतर्गत भी पर्याप्त व्यय किया, जिसे एशियाई विकास बैंक से 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता और भारत सरकार से समर्थन के साथ शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य पूरी तरह से रोजगार सृजन, कारीगरों की आय में वृद्धि और मौजूदा बाजार की जरूरतों के अनुरूप खादी की स्थिति सुनिश्चित करने के मामले में खादी और ग्रामोघोग क्षेत्र की महत्वपूर्ण विकास क्षमता को साकार करना था। हालांकि, नवंबर 2016 में ऋण राशि को घटाकर अमेरिकी डॉलर 105 मिलियन (₹666 करोड़) कर दिया गया था। केआरडीपी में इसके नौ घटक थे[15] जिनमें से दो घटक अर्थात् विपणन सुधार (825,000 अमेरिकी डॉलर/₹5 करोड़) और उत्पादन क्षमता (8,787,000 अमेरिकी डॉलर/₹42 करोड़) विभागीय व्यापारिक इकाइयों से संबंधित थे।

---

[14] *संशोधित बाजार विकास सहायता खादी के उत्पादन और बिक्री में लगे कारीगरों और खादी संस्थानों को खा.ग्रा.आ के माध्यम से भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली उत्पादन सब्सिडी है।*

[15] *खादी सुधार और प्रत्यक्ष सुधार सहायता, खादी चिन्ह, मार्केटिंग सुधार, उत्पादन दक्षता, वित्तीय प्रबंधन, संस्थागत क्षमता निर्माण, आईटी- एमआईएस और ई-गवर्नेंस, खादी नए उघम और ग्रामोघोग कार्यक्रम*

# अध्याय II

# लेखापरीक्षा अधिदेश, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

# अध्याय II

# लेखापरीक्षा अधिदेश, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन को संसद के समक्ष रखे जाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। यह प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अनुपालन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश 2016 और लेखापरीक्षा एवं लेखा पर विनियमन, 2007 (2020 में संशोधित) के अनुसार तैयार किया गया है।

## 2.1 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और उद्देश्य

अनुपालन लेखापरीक्षा ने 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान 18 कार्यात्मक विभागीय व्यापारिक इकाइयों और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के संचालन का मूल्यांकन किया। बंद होने के कारणों और प्रभाव का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा ने 25 निष्क्रिय विभागीय व्यापारिक इकाइयों की सामान्य संवीक्षा भी की।

अनुपालन लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह निर्धारित करना था:

i) भविष्य के लिए सीखे जाने वाले पाठों के लिए विभागीय व्यापारिक इकाइयों को बंद करने के कारण और प्रभाव;

ii) क्या खादी संस्थानों और ग्रामोद्योगों से वस्तुओं की अधिप्राप्ति और कपास की अधिप्राप्ति और पूनी का उत्पादन भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया था और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को मितव्ययता, कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से बनाए रखा गया था;

iii) क्या खादी और ग्रामोघोग उत्पादों और पूनी का विपणन और बिक्री कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से की गई थी; और

iv) क्या नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार विभागीय व्यापारिक इकाइयों के कार्य पद्धति को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र मौजूद थे।

## 2.2 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा के मानदंड केवीआईसी द्वारा अपनाई गई नीतियों/दिशानिर्देशों/मानदंडों से तैयार किए गए थे:

- केवीआईसी अधिनियम, सरकारी/केवीआईसी नियम और विनियम, केवीआईसी की नीतियां, अधिप्राप्ति और बिक्री के लिए दिशानिर्देश।
- अधिप्राप्ति के संबंध में सामान्य वित्तीय नियम और सीवीसी दिशानिर्देश।
- मंत्रालय से स्वीकृति पत्र निधि आवंटन के संबंध में, केवीआईसी द्वारा स्वीकृति के प्रति बजट अनुमान और आवंटन।
- बैठकों के कार्यवृत्त, शक्तियों का प्रत्यायोजन, आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट आदि।
- सभी विभागीय व्यापारिक इकाइयों को आवंटित संस्वीकृत श्रमबल और श्रमबल पर मंत्रालय के निर्देश/दिशानिर्देश।
- कीमतों और क्रेडिट बिक्री नीति के निर्धारण के लिए दिशानिर्देश।

## 2.3 लेखापरीक्षा पद्धति

लेखापरीक्षा 16 नवंबर 2021 को केवीआईसी के प्रबंधन के साथ एक प्रवेश सम्मेलन के साथ शुरू हुई, जिसमें केवीआईसी के शीर्ष प्रबंधन को कार्यक्षेत्र, मानदंड और कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया और उनके इनपुट प्राप्त किए गए। अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली में अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा की मांगें और प्रश्नावली जारी करना, केवीआईसी प्रधान कार्यालय संबंधित निदेशालयों और विभागीय व्यापारिक इकाइयों (कार्यात्मक और गैर-कार्यात्मक दोनों) की समीक्षा, प्रबंधन के साथ चर्चा, दृश्य साक्ष्य का संग्रह, प्रबंधन टीम के साथ साइट निरीक्षण, प्रश्न जारी करना और लेखापरीक्षा प्रश्नों पर उत्तर प्राप्त करना अभिलेखों की समीक्षा में शामिल है। मसौदा अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट 31 मई 2022 को केवीआईसी को जारी की गई थी और उस पर उनका उत्तर 5 जुलाई 2022 को प्राप्त हुआ था। 29 जुलाई 2022 को केवीआईसी के प्रबंधन के साथ एक निकास सम्मेलन किया गया था और केवीआईसी ने 5 अगस्त 2022 को अतिरिक्त उत्तर प्रस्तुत किया था। मसौदा रिपोर्ट 12 अगस्त 2022 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उघम मंत्रालय को जारी की गई थी और मंत्रालय ने 31 अगस्त 2022 को

केवीआईसी के उत्तर का समर्थन किया। प्रस्तुत उत्तरों को इस रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

## 2.4 प्रतिदर्शीकरण

सभी 18 कार्यात्मक विभागीय व्यापारिक इकाइयों को लेखापरीक्षा में शामिल किया गया था। 74 निष्क्रिय विभागीय व्यापारिक इकाइयों में से 25 निष्क्रिय इकाइयों (34 प्रतिशत) को लेखापरीक्षा में इस तरह शामिल किया गया था कि केवीआईसी के छह क्षेत्रों में से प्रत्येक से कम से कम 25 प्रतिशत इकाइयों को स्तरीकृत यादृच्छिक नमूने के आधार पर चुना गया था।

## 2.5 स्वीकृति

लेखापरीक्षा के सुचारू रूप से संचालन के लिए केवीआईसी के प्रबंधन और कर्मचारियों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करती है।

# अध्याय III

# निष्क्रिय विभागीय व्यापारिक इकाइयां

# अध्याय III
# निष्क्रिय विभागीय व्यापारिक इकाइयां

1956-57 से 2020-21 की अवधि के दौरान 92 विभागीय व्यापारिक इकाइयों (डीटीयू) की स्थापना की गई थी, जिसमें खादी ग्रामोघोग भवन (केजीबी) नाम के 18 विभागीय बिक्री आउटलेट, सात केंद्रीय पूनी संयंत्र (सीएसपी) और खादी और ग्रामोघोग उत्पादों से संबंधित उत्पादन, विपणन और प्रशिक्षण गतिविधियां में शामिल 67 अन्य व्यापारिक इकाइयां शामिल थीं। इनमें से 18 विभागीय व्यापारिक इकाइयां 31 मार्च 2021 तक कार्यात्मक थी और 74 विभागीय व्यापारिक इकाइयां पिछले कुछ वर्षों में निष्क्रिय हो गईं जो की नीचे तालिका 3.1 में दिया गया है :

**तालिका 3.1: विभागीय व्यापारिक इकाइयां का बंद होना**

| बंद होने की अवधि | बंद विभागीय व्यापारिक इकाइयां की संख्या |
|---|---|
| 1962-1994 | 10 |
| 1995-2005 | 29 |
| 2005-2014 | 26 |
| 2015-2021 | 4 |
| बंद होने का वर्ष उपलब्ध नहीं है | 5 |
| **कुल** | **74** |

इकाइयों के निष्क्रिय होने के कारणों का विश्लेषण करने और खादी और ग्रामोघोग उत्पादों का उत्पादन करने वाले ग्रामीण कारीगरों और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं के बीच नेटवर्क बनाने के केवीआईसी के उद्देश्य पर उनके बंद होने के प्रभाव का आकलन करने के लिए और यह भी जांच करने के लिए कि क्या उनकी संपत्तियों को निष्क्रिय घोषित किए जाने के बाद सुरक्षित रखा गया था, लेखापरीक्षा ने 25 निष्क्रिय इकाइयों की नमूना जांच की। इनमें से 12 इकाइयाँ खादी और ग्रामोघोग उत्पादों के विपणन में लगी हुई थीं और नौ इकाइयाँ उनके उत्पादन में शामिल थीं, जबकि शेष चार इकाइयाँ विशिष्ट उद्देश्य जैसे बिहार में ग्रामोघोग इकाइयों को निधि उपलब्ध कराने, बायोगैस संयंत्र की स्थापना, रेशम उत्पादन इकाइयों को कोकून की आपूर्ति और खादी संस्थाओं को चरखा और बुनाई उपकरण की आपूर्ति के लिए स्थापित की गई थीं। नमूना जांच की गई 25 निष्क्रिय विभागीय व्यापारिक इकाइयों की सूची ***अनुलग्नक I*** में दी गई है और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

## 3.1 विभागीय व्यापारिक इकाइयों के बंद होने के कारणों और प्रभाव का विश्लेषण

यह दर्शाने के लिए अभिलेखों में कुछ भी नहीं था कि केवीआईसी ने इकाइयों के निष्क्रिय होने के कारणों का विश्लेषण किया था और खादी संस्थानों, ग्रामोघोग, ग्रामीण कारीगरों, उपभोक्ताओं आदि जैसे हितधारकों पर प्रभाव का आकलन किया था। नमूना जांच की गई 25 इकाइयों में से 12 में, केवीआईसी ने लेखापरीक्षा को यह उपलब्ध नहीं कराया कि किस प्राधिकार द्वारा इकाइयों को बंद किया गया था।

इसके अलावा, 11 इकाइयों[16] को बंद करने के कारणों को केवीआईसी द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था और न ही लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से इसका पता लगाया जा सका। जिन मामलों में बंद करने के कारणों की पहचान की जा सकती है, उनकी चर्चा नीचे की गई है:

## 3.2 विभागीय व्यापारिक इकाइयों का बंद होना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन विभागीय व्यापारिक इकाइयों को बंद करना परिहार्य था, यदि केवीआईसी ने उन्हें क्रियाशील रखने के लिए समय पर कार्रवाई की होती जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

### 3.2.1 केंद्रीय पूनी संयंत्र, एटा

उत्तरी राज्यों के खादी संस्थानों को मध्यम गतिवाली रोविंग की आपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश के एटा में केंद्रीय पूनी संयंत्र की स्थापना (1997) की गई थी। इकाई को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा 250 केवीए के स्वीकृत लोड के साथ विद्युत कनेक्शन (1996) प्रदान किया गया था और प्रतिभूति जमा के रूप में ₹16.13 लाख जमा किए गए थे। बार-बार विद्युत की आपूर्ति न होने के कारण उक्त कनेक्शन को काटने के लिए इकाई ने अनुरोध किया (1999) और कनेक्शन काट दिया गया। कनेक्शन काटने के बाद ₹16.13 लाख की प्रतिभूति जमा राशि की वापसी के लिए इकाई द्वारा किए गए प्रयास भी उपयोगी नहीं रहे।

---

[16] *अखाद्य तेल साबुन इकाई, दीमापुर, चूना इकाई, सिलीगुड़ी, ग्रामोघोग व्यापार/विपणन इकाई, सिलीगुड़ी, पॉलीवस्त्र स्पिनिंग सेंटर, 24 परगना, केजीबी भुवनेश्वर, कोकून खरीद, भोपाल, विपणन इकाई, ऋषिकेश, केजीबी, बाड़मेर, निदेशक, साबुन , नासिक, निदेशक यंत्रीकरण, मुंबई, गैर-पारंपरिक ऊर्जा निदेशालय, मुंबई*

संयंत्र, 100 प्रतिशत डीजल जनरेटर विद्युत आपूर्ति पर चल रहा था, तब से ₹35-₹40 प्रति यूनिट ईंधन शुल्क के कारण उच्च उत्पादन लागत (41 प्रतिशत डीजल के लिए लेखांकन) इकाई को अव्यवहारिक बना रही थी। डीजल की उच्च लागत को ध्यान में रखते हुए, अनुमानित अनुमान के साथ औद्योगिक क्षेत्र से ₹41 लाख की लागत के साथ 11 केवी की स्वतंत्र लाइन के लिए प्रस्तावों का मूल्यांकन करके विद्युत आपूर्ति के पुन: कनेक्शन के लिए केवीआईसी द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) से विद्युत कनेक्शन की बहाली (2009) शुरू की गई थी। आयोग ने पुन: कनेक्शन हेतु एक स्वतंत्र लाइन के लिए ₹50 लाख का अनुदान स्वीकृत किया (मार्च 2009)। बाद में, यूपीपीसीएल ने सूचित किया कि नई विद्युत लाइन की लागत गलत तरीके से निकाली गई थी और विद्युत आपूर्ति लाइन की नई लागत ₹95 लाख होगी। हालांकि, सीएसपी एटा कनेक्शन प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि उसने ₹95 लाख की बढ़ी हुई लागत का भुगतान नहीं किया।

उच्च विद्युत लागत को देखते हुए, केवीआईसी ने इकाई (फरवरी 2019) को बंद करने और इकाई के नवीनीकरण के लिए खादी सुधार और विकास कार्यक्रम **(**केआरडीपी**)** के अंतर्गत आवंटित निधि (₹7.27 करोड़) एमएसएमई मंत्रालय को वापस करने का फैसला किया। संयंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए केवीआईसी ने चार[17] खादी संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों (2020) पर भी विचार नहीं किया जिससे हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में खादी संस्थानों को लाभान्वित नहीं किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹3.30 करोड़ की अनुमानित लागत पर 0.50 मेगावाट क्षमता का सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के परामर्श के बाद इकाई द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव (मई 2015) का केवीआईसी द्वारा पालन नहीं किया गया था। यदि सौर संयंत्र स्थापित किया गया होता, तो इकाई अपनी विद्युत की आवश्यकता को ₹5.50 प्रति यूनिट के हिसाब से प्राप्त कर सकती थी**,** जबकि डीजल विद्युत पर ₹35-₹40 प्रति यूनिट व्यय होता था। आगे यह देखा गया कि केवीआईसी सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए केआरडीपी के अंतर्गत उपलब्ध निधि का उपयोग कर सकता था।

---

*[17] चार खादी संस्थान - 1. खादी ग्रामोद्योग विकास मंडल, बुढ़नपुर, 2. बृज खादी ग्रामोद्योग सेवा निकेतन, एटा, 3. सुशीला ग्रामोद्योग संस्थान, गाजियाबाद, और 4. अवध युवा कल्याण ग्रामोद्योग संस्थान, मुरादाबाद*

इस प्रकार, सीएसपी एटा उपादेयताओं की उच्च लागत के कारण निष्क्रिय हो गया और इसलिए नहीं कि यह परिचालन रूप से अव्यवहार्य था। तथ्य यह है कि चार खादी संस्थान बुनियादी ढांचे को संभालने के लिए तैयार थे जो इकाई की जरूरत को दर्शाता है कि यह अस्तित्व में था और संचालन व्यवहार्य थे।

केवीआईसी/मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2022/अगस्त 2022) कि उसने विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के लिए कई कदम उठाए थे और चूंकि वे उपयोगी नहीं थे, इसलिए इकाई को बंद करना पड़ा। केवीआईसी ने यह भी बताया कि यूपी विद्युत बोर्ड को जमा की गई राशि प्रतिदाय योग्य नहीं थी। सौर संयंत्र की स्थापना के संबंध में केवीआईसी ने बताया कि प्रस्तावित सौर संयंत्र, संयंत्र चलाने के लिए पर्याप्त भार प्रदान नहीं करेगा। उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि केवीआईसी इकाई की स्थापना के 20 वर्ष बाद भी नियमित विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। इसके अलावा, चूंकि सौर संयंत्र की स्थापना के लिए इकाई का प्रस्ताव नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद किया गया था, यह उत्तर कि सौर संयंत्र पर्याप्त भार प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा, न्यायोचित नहीं था क्योंकि यह किसी तकनीकी अध्ययन द्वारा समर्थित नहीं था। चूंकि विद्युत भार की अनुमानित आवश्यकता केवल 0.33 मेगावॉट थी, 0.50 मेगावॉट क्षमता का प्रस्तावित सौर ऊर्जा संयंत्र, संयंत्र को संचालित करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए था।

### 3.2.2 खादी ग्रामोघोग भवन, अगरतला

केजीबी अगरतला त्रिपुरा खादी और ग्रामोघोग बोर्ड (राज्य बोर्ड) के स्वामित्व वाले भवन में कार्य कर रहा था। राज्य बोर्ड त्रिपुरा से किराए पर लिए गए भवन के नवीनीकरण के लिए 2012 में केजीबी अगरतला में बिक्री गतिविधियों को रोक दिया गया था। जीर्णोद्धार के बाद, राज्य बोर्ड ने केजीबी अगरतला को भवन में जगह आवंटित की और नवीनीकरण पर किए गए व्यय के लिए अपने भाग के रूप में ₹5 लाख की मांग की। इकाई ने केवीआईसी से निधि की मंजूरी के लिए अनुरोध किया (2014) लेकिन इसे मंजूरी नहीं दी गई और इकाई अपनी बिक्री गतिविधि को फिर से शुरू नहीं कर सका।

केवीआईसी /मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2022/अगस्त 2022) कि खादी ग्रामोघोग भवन के नवीनीकरण के लिए जुलाई 2014 में राज्य बोर्ड, त्रिपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अस्वीकार

कर दिया गया था (जनवरी 2016) और मई 2019 में केवीआईसी द्वारा इकाई को बंद करने का निर्णय लिया गया था। केवीआईसी के उत्तर में ₹5 लाख के हिस्से का भुगतान न करने के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया। इसके अलावा, केजीबी अगरतला केवीआईसी विभागीय व्यापारिक इकाइयों में से एक था जिसे 2009 में शुरू की गई "विपणन अवसंरचना को मजबूत करने" वाली योजना के अंतर्गत नवीनीकरण के लिए चुना गया और ₹25 लाख तक की निधि खादी ग्रामोघोग भवन योजना के अंतर्गत उपलब्ध थी। इसके अलावा, मई 2019 में केवीआईसी द्वारा अनुमोदन केवल सभी निष्क्रिय इकाइयों (72)[18] के लेखाओं को बंद करने के लिए था न कि केजीबी अगरतला को बंद करने के लिए।

### 3.2.3 ग्रामीण वस्त्र केंद्र, कनिमंगलम

ग्रामीण वस्त्र केंद्र, कनिमंगलम 1973 में स्थापित किया गया था। ग्रामीण वस्त्र केंद्र, कनिमंगलम की बुनाई इकाई बुनकरों की अनुपलब्धता के कारण बंद हो गई थी (फरवरी 1996) और कताई इकाई भी कताई करने वालों की सेवानिवृत्ति, घर से कार्य करने का आग्रह आदि वजहों से छोड़ने के कारण बंद हो गई थी (जुलाई 1999)। केवीआईसी ने इकाई को श्रमबल प्रदान करने के लिए समय पर कार्रवाई नहीं की और इसे बंद करना पड़ा (1999)।

केवीआईसी/मंत्रालय ने अभ्युक्ति का उत्तर नहीं दिया।

## 3.3 घाटे के कारण बंद होना

छह विभागीय व्यापारिक इकाइयां[19] बंद थीं/निष्क्रिय पड़ी थीं क्योंकि वे घाटे में चल रही थीं। इन विभागीय व्यापारिक इकाइयों को अपने लेखा बंद करने की तिथि तक ₹1.16 करोड़ की हानि हुई थी।

आगे यह देखा गया कि जबकि व्यापारिक गतिविधियां निदेशालय, कोलकाता 1962 से निष्क्रिय था, पश्चिम बंगाल राज्य में निजी इकाइयों (87 इकाइयां), जिन्हें केवीआईसी[20]

---

*[18] दो निष्क्रिय इकाइयों के लेखा अभी पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं*

*[19] केजीबी बैंगलोर (₹0.25 करोड़), अंबर सरजन, अहमदाबाद (₹0.75 करोड़), पायलट अगरबत्ती, अहमदाबाद (₹0.01 करोड़), केजीबी राधनपुर (₹0.02 करोड़), व्यापारिक गतिविधि निदेशालय, कोलकाता (₹0.12 करोड़), और जमनालाल बजाज केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, वर्धा (₹0.01 करोड़)*

*[20] खादी (शब्द चिह्न), खादी इंडिया लोगो के दो अलग-अलग चित्र, सर्वोदय (शब्द चिह्न), खादी चिह्न लोगो, और खादी एक प्रसिद्ध चिह्न के रूप में है।*

के पंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने के लिए कानूनी नोटिस जारी किए गए थे, ने 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान कुल ₹716.70 करोड़[21] का बिक्री[22] राजस्व अर्जित किया था।

इसी तरह, केजीबी बाड़मेर के मामले में, हालांकि विभागीय व्यापारिक इकाई 2001 से निष्क्रिय थी और इसकी गतिविधियों को एक अन्य विभागीय व्यापारिक इकाई, यानी क्षेत्रीय सीमा विकास संगठन बाड़मेर द्वारा ले लिया गया था, राजस्थान राज्य में 11 निजी इकाइयां, जो केवीआईसी से प्राधिकरण के बिना ब्रांड नाम "खादी" का उपयोग कर उत्पादों की बिक्री कर रही थीं 2017-18 से 2018-19 के दौरान ₹309.07 करोड़[23] का बिक्री राजस्व अर्जित कर चुकी थीं।

इन दो मामलों ने दर्शाया कि इन विभागीय व्यापारिक इकाइयों द्वारा खादी उत्पादों की बिक्री के लिए पर्याप्त क्षेत्र था। यदि केवीआईसी ने इन निष्क्रिय विभागीय व्यापारिक इकाइयों के राजस्व सृजन की क्षमता का कोई विश्लेषण किया होता, तो यह उनसे राजस्व उत्पन्न कर सकता था।

## 3.4 बंद होने के बाद के मुद्दे

लेखापरीक्षा ने देखा कि केवीआईसी बंद इकाइयों की परिसंपत्तियों के निपटान और बंद होने के बाद ऋण की वसूली के लिए तत्पर नहीं था जैसा कि निम्नलिखित मामलों में दिखाया गया है:

### 3.4.1 संपत्तियों का निपटान

एक व्यापारिक इकाई के बंद होने की स्थिति में, संयंत्र और मशीनरी जैसी संपत्तियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार अन्य इकाइयों को हस्तांतरित करना या उसका तुरंत निपटान करना वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण होगा ताकि अधिकतम निस्तारण मूल्य प्राप्त हो सके।

नमूना जांच की गई 25 निष्क्रिय इकाइयों में से सात में, यह पाया गया कि ₹82.34 लाख के सकल मूल्य वाली अचल संपत्तियों को इकाइयों के बंद होने के बाद निपटाया नहीं गया था। 12 इकाइयों के मामले में, कोई अचल संपत्ति नहीं थी और आठ इकाइयों के संबंध में

---

*[21] स्रोत-वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संबंधित फर्मों की रिटर्न।*

*[22] खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री की मात्रा के बारे में पृथक विवरण उपलब्ध नहीं था*

*[23] खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री की मात्रा के बारे में पृथक विवरण उपलब्ध नहीं था*

सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी। सीएसपी, एटा के मामले में, जिसे फरवरी 2019 में बंद कर दिया गया था, ₹79 लाख मूल्य के संयंत्र और मशीनरी का निपटान अभी (अगस्त 2022) किया जाना है। इसके अलावा, केवीआईसी ने सीएसपी एटा की संपत्ति की सुरक्षा के लिए उपरोक्त अवधि के दौरान ₹69 लाख व्यय किए हैं।

सीएसपी एटा के संबंध में, केवीआईसी/मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2022/अगस्त 2022) कि परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए कर्मचारियों को निष्क्रिय इकाई में रखा जाना था और इसलिए प्रति वर्ष ₹25 लाख के स्थापना व्यय की आवश्यकता थी। उपकरण के निपटान के संबंध में, यह उत्तर दिया गया था कि इसमें से कुछ को अन्य केंद्रीय पूनी संयंत्रों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और शेष को नीलाम कर दिया जाएगा। उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि यद्यपि इकाई को जनवरी 2019 में बंद कर दिया गया था, केवीआईसी तीन वर्ष के बाद भी परिसंपत्तियों का निपटान करने या कर्मचारियों को फिर से तैनात करने में सक्षम नहीं है और परिहार्य स्थापना व्यय वहन कर रहा है।

अन्य निष्क्रिय इकाइयों के संबंध में, केवीआईसी/मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2022/अगस्त 2022) कि इन निष्क्रिय विभागीय व्यापारिक इकाइयों के पास भौतिक रूप से उपलब्ध भंडार और अचल संपत्तियों को संबंधित राज्य/मंडल निदेशकों की अभिरक्षा में स्थानांतरित कर दिया गया था। उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि पाँच निष्क्रिय विभागीय व्यापारिक इकाइयों के संबंध में संपत्तियों का निपटान और देय राशि की वसूली अभी भी लंबित है।

### 3.4.2 ऋणों की वसूली

25 निष्क्रिय विभागीय व्यापारिक इकाइयों में से 17 में, लेखापरीक्षा ने पाया कि इकाइयों के बंद होने के बाद ₹6.81 करोड़[24] की राशि, वर्षों से वसूली के लिए लंबित थी। सात अन्य इकाइयों के मामले में प्राप्तियों के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी जबकि एक इकाई के पास कोई बाह्य प्राप्य राशि नहीं थी।

[24] ***केवीआईसी के विभागीय देनदारों का निवल।***

सीएसपी एटा के मामले में केवीआईसी/मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2022/अगस्त 2022) बाद में ₹3.13 करोड़ की राशि वसूल की गई। यह भी बताया गया था कि अप्राप्त प्राप्तियों को अदत्त देनदारियों के प्रति समंजन किया गया था और कोई हानि दर्ज नहीं की गई थी।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि परिसंपत्तियों और देनदारियों का निवलीकरण एक लेखांकन प्रक्रिया है और बकाया राशि की वसूली और परिसंपत्तियों के निपटान के मुद्दे को हल नहीं करता है। केवीआईसी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि संपत्ति और देनदारियों की निवलीकरण ने उनके लेनदारों के प्रति विभागीय व्यापारिक इकाइयों की देनदारी का निर्वहन किया है या नहीं। इसके अलावा, अन्य इकाइयों के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

### 3.4.3 कर्मचारियों की पुन: तैनाती

चार निष्क्रिय इकाइयों में कर्मचारियों की पुन: तैनाती में विलंब हुआ था। अंबर सरंजन, अहमदाबाद के तीन कर्मचारी जो 2001 में निष्क्रिय हो गए थे, उन्हें 2012 में ही पुनर्नियुक्त किया गया था। केजीबी अगरतला का एक कर्मचारी, जिसकी गतिविधियों को 2012 में बंद कर दिया था, केवल उसे 2017 में पुनर्नियुक्त किया गया था। सीएसपी एटा, जो 2019 में निष्क्रिय हो गए था, के तीन कर्मचारी कि पुनर्नियुक्ति (मार्च 2022) अभी की जानी बाकी है। विपणन इकाई ऋषिकेश में, जो 2007 में निष्क्रिय हो गई थी, इकाई बंद होने के बाद 10 वर्ष के लिए पांच कर्मचारियों को रखा गया था। शेष 21 इकाइयों के कर्मचारियों के मामले में कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति कब की गई इसका विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

केवीआईसी/ मंत्रालय ने अभ्युक्ति का उत्तर नहीं दिया।

***सिफारिश संख्या 1***

***विभागीय व्यापारिक इकाइयों के निष्क्रिय होने के कारणों का गहराई से विश्लेषण किया जाए और सीखे गए सबकों पर कार्रवाई की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शेष कार्यात्मक विभागीय व्यापारिक इकाइयों, विशेष रूप से जो विपणन गतिविधियों में लगी हुई है को उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया जा रह है। निष्क्रिय इकाइयों की परिसंपत्तियों/देयताओं का तत्काल निपटान/समायोजन किया जाए।***

# अध्याय IV

# विभागीय व्यापारिक इकाइयों द्वारा अधिप्राप्ति और उत्पादन

# अध्याय IV
# विभागीय व्यापारिक इकाइयों द्वारा अधिप्राप्ति और उत्पादन

खादी ग्रामोघोग भवन (केजीबी) द्वारा खादी और ग्रामोघोग उत्पादों के अधिप्राप्ति को विपणन निदेशालय, खादी और ग्रामोघोग आयोग (केवीआईसी) द्वारा और केंद्रीय पूनी संयंत्रों (सीएसपी) में अधिप्राप्ति खादी कच्चे माल निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों द्वारा विनियमित किया जाता है। खादी ग्रामोघोग भवन और केंद्रीय पूनी संयंत्रों के अतिरिक्त अन्य विभागीय व्यापारिक इकाइयों (डीटीयू) के मामले में, अधिप्राप्ति संबंधी मामले निदेशालय/नियंत्रक कार्यालयों द्वारा जारी दिशानिर्देशों द्वारा संचालित होते हैं।

2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान, 18 कार्यात्मक विभागीय व्यापारिक इकाइयों ने ₹768.08 करोड़ के व्यापारिक उत्पादों/कच्चे माल की अधिप्राप्ति किया था। लेखापरीक्षा परीक्षण ने विभागीय व्यापारिक इकाइयों द्वारा किए गए अधिप्राप्ति की जांच की और निष्कर्षों पर निम्नलिखित चर्चा की गई:

## 4.1 खादी ग्रामोघोग भवनों में अधिप्राप्ति और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन

खादी ग्रामोघोग भवन खादी संस्थानों (31 मार्च 2021 तक 2,816 संस्थान) से खादी और ग्रामोघोग उत्पादों का अधिप्राप्ति करते हैं, जो कि केवीआईसी, ग्रामोघोग इकाइयों, प्रधान मंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आरईजीपी)[25] के अंतर्गत स्थापित इकाइयों के साथ पंजीकृत[26] हैं।

माल के अधिप्राप्ति के संबंध में सामान्य वित्तीय नियम, 2017 (जीएफआर), नियम 158 के अनुसार विज्ञापित निविदा जांच, सीमित निविदा जांच, दो-चरण बोली, एकल निविदा जांच और राशि और अन्य परिस्थितियों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलामी के माध्यम से बोलियां प्राप्त करके माल का अधिप्राप्ति करना अनिवार्य है।

---

*[25] पीएमईजीपी और आरईजीपी एमएसएमई मंत्रालय द्वारा प्रशासित और केवीआईसी द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाएं हैं।*

*[26] जिन फर्मों ने केवीआईसी के साथ स्वयं को पंजीकृत किया है और खादी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है।*

विपणन निदेशालय ने खादी ग्रामोघोग भवनों द्वारा वस्तुओं के अधिप्राप्ति के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश (मार्च 2004) निर्धारित किए हैं जिन्हें जून 2006 और मार्च 2018 में संशोधित किया गया था।

खादी और ग्रामोघोग उत्पादों के अधिप्राप्ति संबंधी परिपत्र (जून, 2006) के अनुसार माल का अधिप्राप्ति खेप के आधार[27] पर किया जाना था। प्रत्येक खादी ग्रामोघोग भवन को राज्य निदेशक, केवीआईसी को अध्यक्ष और खादी ग्रामोघोग भवन के प्रबंधक, लेखाकार और गोदाम प्रभारी को सदस्य के रूप में लेकर एक अधिप्राप्ति समिति का गठन करना था। समिति को तिमाही बैठक कर अधिप्राप्ति की समीक्षा करनी थी। अधिप्राप्ति समिति की बैठक का कार्यवृत्त निदेशक विपणन को भेजा जाना था। खादी ग्रामोघोग भवन प्रबंधकों को एक ओर बाजार की मांग और उत्पाद को ध्यान में रखते हुए वार्षिक अधिप्राप्ति योजना तैयार करनी थी और दूसरी ओर विक्रय प्रवृत्ति का वस्तु-वार और मात्रा-वार विश्लेषण करना था। उत्पादों, विशिष्टताओं, मात्रा, लागत सीमा आदि को विनिर्दिष्ट करते हुए अधिप्राप्ति समिति द्वारा सहमति के अनुसार वार्षिक अधिप्राप्ति योजना को केवीआईसी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना था ताकि उत्पादक संस्थान आवश्यकता के अनुसार अपने उत्पादों की पेशकश कर सकें। इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त प्रस्तावों की अधिप्राप्ति समिति द्वारा जांच की जानी थी और अधिप्राप्ति के लिए निम्नलिखित पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाना था:-

क. वैध खादी/आरईजीपी पंजीकरण प्रमाण पत्र
ख. पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों के अनुसार उत्पाद का विक्रय
ग. अनुमानित आवश्यकता से मेल खाने वाले गुणवत्ता विशिष्टताएं
घ. आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन लक्ष्य/क्षमता होना
ङ. लागत की पेशकश
च. प्रसंस्कृत/तैयार उत्पादों की आपूर्ति (आगे प्रसंस्करण की आवश्यकता को कम करना)

उपरोक्त दिशानिर्देशों को संशोधित (मार्च 2018) किया गया था और संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, जीएसटी व्यवस्था का अनुपालन करने के लिए खेप के आधार पर माल का

[27] ***खेप विक्रय के तहत, आपूर्ति करने वाले संस्थानों को भुगतान उत्पादों के विक्रय के बाद ही किया जाता है।***

अधिप्राप्ति बंद कर दिया गया था क्योंकि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 16 (2) के दूसरे और तीसरे परंतुक के तहत, सभी अधिप्राप्ति के लिए भुगतान चालान की तिथि से छह माह के भीतर में किया जाना है । विक्रेता के भुगतान न करने की दशा में जीएसटी के लिए इनपुट क्रेडिट स्वचालित रूप से उलट जाएगा। पहले के दिशानिर्देशों में उल्लिखित अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अतिरिक्त, यह भी निर्धारित किया गया था कि मौजूदा अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं की एक सूची तैयार की जानी चाहिए और चयनित आपूर्तिकर्ताओं के साथ समझौते निष्पादित किए जाने चाहिए। केवीआईसी पर वार्षिक अधिप्राप्ति योजना प्रकाशित करने के अतिरिक्त, नए दिशा-निर्देशों में यह भी निर्धारित किया गया था कि इसे क्षेत्रीय उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी को एक प्रति के साथ केवीआईसी के राज्य/मंडल निदेशकों[28] को भेजा जाना चाहिए। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अधिप्राप्ति समिति की अध्यक्षता खादी ग्रामोघोग भवन के प्रबंधक द्वारा की जानी थी, जिसके सदस्य सहायक निदेशक, राज्य कार्यालय, वरिष्ठ कार्यकारी/कार्यकारी, गोदाम प्रभारी और खादी ग्रामोघोग भवन के विक्रय प्रभारी थे।

लेखापरीक्षा परीक्षण में 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान खादी ग्रामोघोग भवनों द्वारा खादी और ग्रामोघोग उत्पादों के अधिप्राप्ति की जांच की गई। खादी ग्रामोघोग भवनों के अनुपालन की स्थिति केवीआईसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सारांश नीचे दी गई तालिका 4.1 में दिया गया है:

**तालिका 4.1: निर्धारित अधिप्राप्ति दिशानिर्देशों का अनुपालन**

| अधिप्राप्ति दिशानिर्देश | खादी ग्रामोघोग भवन | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मुंबई | गोवा | दिल्ली | एर्नाकुलम | पटना | कोलकाता | भोपाल |
| अधिप्राप्ति समिति का गठन | हां[29] | हां | हां | हां | हां | हां | हां |
| चार वर्षों (2017-18 से 2020-21) के दौरान अधिप्राप्ति समिति द्वारा आयोजित बैठकें | 5 (31.25 %) | 2 (12.5 %) | 4 (25%) | 3 (18.75 %) | 1 (6.25 %) | 8 (50 %) | 10 (62.50 %) |

*[28] केवीआईसी के छह क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात् उत्तर, उत्तर पूर्व, मध्य, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और 39 राज्य/क्षेत्रीय कार्यालय हैं।*

*[29] समिति केवल पूंजीगत वस्तुओं, सेवाओं आदि के अधिप्राप्ति में शामिल थी। समिति ने वार्षिक अधिप्राप्ति योजनाओं पर चर्चा या निर्माण नहीं किया और खादी ग्रामोघोग भवन में व्यापार के लिए उत्पादों के अधिप्राप्ति पर भी विचार-विमर्श नहीं किया।*

| अधिप्राप्ति दिशानिर्देश | खादी ग्रामोद्योग भवन | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मुंबई | गोवा | दिल्ली | एर्नाकुलम | पटना | कोलकाता | भोपाल |
| (16 के मुकाबले आवश्यक है) | | | | | | | |
| अधिप्राप्ति समिति की बैठक का कार्यवृत्त विपणन निदेशालय को अग्रेषित करना | नहीं | नहीं | हां | नहीं | हां | केवल चार बैठकों का कार्यवृत्त विपणन निदेशालय को अग्रेषित किया गया था। | केवल पांच बैठकों का कार्यवृत्त विपणन निदेशालय को अग्रेषित किया गया था। |
| वार्षिक अधिप्राप्ति योजनाओं की तैयारी | नहीं | नहीं | हां, लेकिन जांच के बिना वही अवास्तविक था | नहीं | केवल 2017-18 के लिए | हां, लेकिन पूर्ण रूप में नहीं क्योंकि वे बाजार की मांग और विक्रय के विश्लेषण के बिना थे (100%) | नहीं |
| अधिप्राप्ति समिति द्वारा वार्षिक अधिप्राप्ति योजना की स्वीकृति | नहीं | नहीं | हां | नहीं | नहीं | हां | नहीं |
| केवीआईसी की वेबसाइट पर वार्षिक अधिप्राप्ति योजना का प्रचार | नहीं | नहीं | हां | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए केवीआईसी द्वारा रखी गई पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की सूची से आपूर्तिकर्ताओं का चयन | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| आपूर्तिकर्ताओं के साथ समझौते | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| अधिप्राप्ति के 180 दिनों के भीतर बिना | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |

| अधिप्राप्ति दिशानिर्देश | खादी ग्रामोघोग भवन | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मुंबई | गोवा | दिल्ली | एर्नाकुलम | पटना | कोलकाता | भोपाल |
| बिके सामान की वापसी | | | | | | | |
| रेडीमेड वस्त्रों के अधिप्राप्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित का अवलोकन किया:-

### 4.1.1 आपूर्तिकर्ताओं के चयन में वस्तुनिष्ठता

खादी ग्रामोघोग भवनों द्वारा व्यापार के लिए वस्तुओं के अधिप्राप्ति को विनियमित करने के लिए केवीआईसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि आपूर्तिकर्ताओं की पहचान केवीआईसी के राज्य/मंडल निदेशकों के पास उपलब्ध आंकड़ों से की जानी है, जिन्हें उत्पाद सीमा, उत्पादन क्षमता, उत्पादन लक्ष्य, उत्पादकता और प्रत्येक उत्पादन चक्र में लगने वाले समय के अनुसार सभी संस्थानों को एकत्र और वर्गीकृत करना था। इसके अतिरिक्त, खादी ग्रामोघोग भवनों को मूल्य सूची के साथ आपूर्तिकर्ताओं की एक सूची बनाए रखना है। सूची को नियमित रूप से अद्यतन किया जाना है और आपूर्तिकर्ताओं के साथ समझौते किए जाने हैं। खादी ग्रामोघोग भवनों को पंजीकृत संस्थानों से अधिप्राप्ति के लिए प्राप्त प्रस्तावों को अधिप्राप्ति समितियों के समक्ष रखा जाना था और उत्पादों की विक्रयशीलता, गुणवत्ता आदि जैसे निर्धारित मापदंडों को ध्यान में रखते हुए अधिप्राप्ति के लिए अंतिम निर्णय लिया जाना था।

उचित औचित्य के साथ अधिप्राप्ति आदेशों को वरीयता क्रम में रखा जाना चाहिए (i) केवीआईसी के विभागीय उत्पादन केन्द्र (ii) केवीआईसी[30] के प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त संस्थान/इकाइयां (अधिमानतः ए और बी श्रेणी[31]) (iii) राज्य खादी और ग्रामोघोग बोर्डों[32]

---

[30] *केवीआईसी में पंजीकृत 2,816 खादी संस्थान हैं जिन्हें प्रत्यक्ष सहायता प्रदान की जाती है।*

[31] *कारीगर कल्याण, वित्तीय प्रदर्शन, परिचालन दक्षता, शासन आदि जैसे 16 संकेतकों के लिए प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गीकरण।*

[32] *राज्य खादी और ग्रामोघोग बोर्डों का गठन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और उन्हें केवीआईसी के माध्यम से भारत सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।*

की विभागीय इकाइयां और (iv) राज्य खादी और ग्रामोघोग बोर्ड द्वारा सहायता प्राप्त इकाइयां।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि खादी ग्रामोघोग भवनों में से किसी ने भी उपर्युक्त अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया था। 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान किसी भी नए आपूर्तिकर्ता को स्वीकृति नहीं दी गई थी। पूर्व अवधियों में चयनित आपूर्तिकर्ताओं से की गई अधिप्राप्ति प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से नहीं बल्कि एकल निविदा और आपूर्तिकर्ताओं के साथ समझौतों को निष्पादित किए बिना की गई थी, जैसा कि बाद के पैराग्राफ में बताया गया है।

लेखापरीक्षा ने 2020-21 और 2021-22 के दौरान खादी ग्रामोघोग भवनों द्वारा की गई विक्रय[33] के संबंध में आंकड़ों[34] का विश्लेषण किया और पाया कि अधिप्राप्ति की निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने के कारण, कुछ आपूर्तिकर्ताओं का बाजार पर आधिपत्य था जैसा कि नीचे तालिका 4.2 में दर्शाया गया है।

**तालिका 4.2 खादी ग्रामोघोग भवनों द्वारा आपूर्तिकर्ता-वार विक्रय**

| प्रति आपूर्तिकर्ता विक्रय की मात्रा | आपूर्तिकर्ताओं की संख्या | राशि (₹ करोड़ में) | कुल का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|
| | | | संख्या | राशि |
| | | | (आंकड़े प्रतिशत में) | |
| >₹1 करोड़ | 8 | 12.39 | 1.06 | 20.54 |
| >₹50 लाख <₹1 करोड़ | 14 | 10.09 | 1.86 | 16.72 |
| >₹25 लाख <₹50 लाख | 38 | 13.15 | 5.04 | 21.79 |
| >₹1 लाख <₹25 लाख | 89 | 13.72 | 11.80 | 22.74 |
| <₹1 लाख | 605 | 10.99 | 80.24 | 18.21 |
| **कुल** | **754** | **60.34** | **100.00** | **100.00** |

जैसा कि तालिका 4.2 में दिए गए आंकड़ों से देखा जा सकता है, 2,816 पंजीकृत खादी संस्थानों और लगभग चार लाख[35] पीएमईजीपी/आरईजीपी/ग्रामोघोग इकाइयों में से, जिनके लिए केवीआईसी के खादी ग्रामोघोग भवनों को विक्रय आउटलेट के रूप में कार्य करने के

---

*[33] केवीआईसी द्वारा अधिप्राप्ति के संबंध में आपूर्तिकर्ता-वार, उत्पाद-वार आंकडे उपलब्ध नहीं कराए गए थे। जैसे, विश्लेषण के लिए विक्रय डेटा का उपयोग किया गया था।*

*[34] खादी संस्थान प्रबंधन सूचना प्रणाली में पिछले वर्षों के लिए सभी खादी ग्रामोघोग भवनों के संबंध में पूर्ण आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।*

*[35] ग्रामोघोग इकाइयों की सही संख्या उपलब्ध नहीं थी। हालांकि, 2014-15 से 2020-21 तक पीएमईजीपी के तहत 4.08 लाख इकाइयां स्थापित की गईं।*

लिए अनिवार्य किया गया है, परीक्षण की गई अवधि के दौरान केवल 754 इकाइयां केवीआईसी आउटलेट्स के माध्यम से अपने उत्पादों को विक्रय करने में सक्षम थी। इसके अतिरिक्त, 754 आपूर्तिकर्ताओं में से, आठ आपूर्तिकर्ताओं, जो आपूर्तिकर्ताओं की कुल संख्या का 1.06 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने खादी ग्रामोघोग भवनों के माध्यम से ₹1 करोड़ से अधिक के उत्पाद विक्रय किए, जो कुल विक्रय का 20.54 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, शेष 605 आपूर्तिकर्ता, जो संख्या के मामले में कुल का 80 प्रतिशत भाग थे, को कुल विक्रय का केवल 18.21 प्रतिशत भाग मिल रहा था।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि विक्रेताओं के चयन का कोई पारदर्शी तरीका नहीं है और आपूर्तिकर्ताओं के साथ ठोस करार नहीं है। उदाहरण के लिए, केजीबी कोलकाता ने 2017-18 से 2020-21 के दौरान राज्य कार्यालय के साथ सूचीबद्ध 352 संस्थानों में से केवल 35 संस्थानों को काउंटर आवंटित किए। इस प्रकार, केवल 10 प्रतिशत खादी संस्थान केजीबी कोलकाता के चार आउटलेट के माध्यम से अपने उत्पादों का विपणन कर पाए।

केवीआईसी ने अपने उत्तर में (दिसंबर 2022) कहा कि 2,816 पंजीकृत खादी संस्थानों में से केवल सीमित संख्या में संस्थान केवीआईसी की अधिप्राप्ति प्रक्रिया में भाग लेते हैं क्योंकि खादी ग्रामोघोग भवन खेप अधिप्राप्ति प्रणाली का सहारा ले रहे हैं और केवल वे संस्थान जिनके पास खेप अवधि में क्रेडिट की पेशकश करने की क्षमता है, वे खादी ग्रामोघोग भवनों को वस्तुओं की आपूर्ति करने में रुचि दिखाते हैं। केवीआईसी ने आगे कहा कि सभी श्रेणियों से अधिक आपूर्तिकर्ताओं को नामांकित करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि खादी ग्रामोघोग संस्थानों और पीएमईजीपी इकाइयों को अधिक विपणन अवसर प्रदान किए जा सकें।

इस उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि मार्च 2018 में खेप के आधार पर अभ्यास अधिप्राप्ति बंद होने के बावजूद, खादी ग्रामोघोग भवन अभी भी इस प्रथा को जारी रखे हुए हैं, इस प्रकार वे अधिकांश आपूर्तिकर्ताओं को केवीआईसी के माध्यम से अपने उत्पादों के विपणन के समान अवसर से वंचित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, केवीआईसी ने आपूर्तिकर्ताओं के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और खादी संस्थानों को क्रयादेश देने के साथ-साथ खादी ग्रामोघोग भवनों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी नहीं बताया है।

### 4.1.2 अधिप्राप्ति समिति और वार्षिक अधिप्राप्ति योजना

खादी ग्रामोघोग भवनों में अधिप्राप्ति समितियों के गठन और वार्षिक अधिप्राप्ति योजनाओं की तैयारी के संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी खादी ग्रामोघोग भवनों द्वारा अधिप्राप्ति समितियों का गठन किया गया था, लेकिन वे तालिका 4.1 में दर्शाए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करती थीं जिसे निम्नवत स्पष्ट किया गया है।

- किसी भी खादी ग्रामोघोग भवन में आवश्यक संख्या में बैठकें (प्रति वर्ष चार) आयोजित नहीं की गईं। 2017-18 से 2020-21 तक चार वर्ष की अवधि के दौरान आयोजित होने वाली 16 बैठकों के मानदंड के विपरीत, वास्तव में आयोजित बैठकों की संख्या एक (केजीबी पटना) और 10 (केजीबी कोलकाता) के बीच थी। जहां तक विपणन निदेशालय को बैठक के कार्यवृत्त को अग्रेषित करने का संबंध है, केवल दो केजीबी (दिल्ली और पटना) ने इस आवश्यकता का अनुपालन किया था।
- जबकि चार केजीबी (मुंबई, गोवा, एर्नाकुलम और भोपाल) ने दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक वार्षिक अधिप्राप्ति योजना तैयार नहीं की, केजीबी पटना ने केवल एक वर्ष के लिए वार्षिक अधिप्राप्ति योजना तैयार की, लेकिन इसे अधिप्राप्ति समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। दिल्ली और कोलकाता के केजीबी ने सभी वर्षों के लिए वार्षिक अधिप्राप्ति योजनाएं तैयार कीं, लेकिन केजीबी दिल्ली के मामले में, यह देखा गया कि नियोजित अधिप्राप्ति प्रस्तावित विक्रय के अनुरूप नहीं थी। 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान 28.11 प्रतिशत खादी वस्तुओं के मामले में भिन्नता 100 प्रतिशत से अधिक थी और 2,500 प्रतिशत तक थी, इस प्रकार अधिप्राप्ति समिति द्वारा पर्याप्त जांच की कमी का संकेत मिलता है, जिससे अवास्तविक अधिप्राप्ति योजनाएं बन गईं। इसी तरह, केजीबी कोलकाता में, पिछले तीन वर्षों के लिए विक्रय के मद-वार और मात्रा-वार विश्लेषण के साथ-साथ बाजार की मांग और उत्पाद लाइन का विश्लेषण किए बिना वार्षिक अधिप्राप्ति योजनाएं तैयार की गई थीं और केवल खेप के आधार पर अधिप्राप्ति के लिए कुछ लक्ष्य थे।
- खादी ग्रामोघोग भवनों में से किसी ने भी दिशा-निर्देशों में निर्धारित केवीआईसी की वेबसाइट पर वार्षिक अधिप्राप्ति योजनाएं अपलोड नहीं की थीं।

### 4.1.3 विक्रय विश्लेषण नहीं किया गया

अधिप्राप्ति के लिए दिशा-निर्देशों में अधिप्राप्ति किए गए माल की विक्रय क्षमता का विश्लेषण करने के लिए अधिप्राप्ति योजना तैयार करने से पहले पिछले तीन वर्षों के लिए विक्रय का व्यापार-मद-वार और मात्रा-वार विश्लेषण आवश्यक था। केवीआईसी ने 2019-20 से खादी संस्थान प्रबंधन सूचना प्रणाली (केआईएमआईएस) शुरू की थी जिसमें खादी ग्रामोघोग भवनों की अधिप्राप्ति/विक्रय डेटा अपलोड करने के लिए एक मॉड्यूल (विपणन सूचना प्रणाली) शामिल है। तथापि, खादी ग्रामोघोग भवनों अथवा विपणन निदेशालय, केवीआईसी द्वारा अधिप्राप्ति योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस आंकड़ों को मद-वार, आपूर्तिकर्ता-वार सूचना में संकलित नहीं किया गया था।

### 4.1.4 बाजार प्रवृत्ति विश्लेषण नहीं की गई

केवीआईसी ने खादी ग्रामोघोग भवनों के माध्यम से रेडीमेड कपड़ों के निर्माण/विक्रय के लिए (मई 2019) दिशानिर्देश निर्धारित किए थे कि 'रेडीमेड कपड़ों का डिजाइन, शैली, आकार, फैशन प्रवृत्ति, परिसज्जा देश भर में विपणन किए जाने वाले लीड ब्रांडों की प्रवृत्ति के अनुरूप होना चाहिए'। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि खादी ग्रामोघोग भवनों द्वारा परिकल्पित बाजार प्रवृत्तियों की पहचान करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए थे। कुर्ता, पजामा, शर्ट आदि जैसे जेनेरिक विशिष्टताओं वाले आपूर्तिकर्ताओं से रेडीमेड कपड़ों का अधिप्राप्ति किया गया था, जिसमें शैली, रंग, डिजाइन विशिष्टताओं आदि को निर्दिष्ट नहीं किया गया था, जो संबंधित अवधि के दौरान चलन में थे।

### 4.1.5 खेप के आधार पर अधिप्राप्ति और खरीद की रिटर्न

केवीआईसी द्वारा 2006 में जारी परिपत्र के अनुसार, उत्पादों को खेप के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं से अधिप्राप्ति किया जाना था और विक्रय प्रभावी होने के बाद ही उन्हें भुगतान किया जाना था। जीएसटी व्यवस्था का अनुपालन करने के लिए जुलाई 2017 से इस प्रथा को बंद कर दिया गया था क्योंकि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 16 (2) के दूसरे और तीसरे परंतुक के तहत, सभी अधिप्राप्ति के लिए भुगतान चालान की तिथि से छह माह के भीतर किया जाना चाहिए और विक्रेता के भुगतान न किए जाने की स्थिति में, जीएसटी के लिए इनपुट क्रेडिट स्वचालित रूप से उलट दिया जाए। इसके बाद, केवीआईसी ने (मार्च 2018) निर्देश जारी किए कि जीएसटी

व्यवस्था का पालन करने के लिए, खेप के आधार पर माल का अधिप्राप्ति बंद कर दिया गया था और सभी न बिके सामानों को प्राप्ति के 180 दिनों की समाप्ति से पहले वापस कर दिया जाना था।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि खादी ग्रामोघोग भवन अभी भी खेप आधार पर उत्पादों का अधिप्राप्ति जारी रखे हुए है अर्थात आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान विक्रय के बाद ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त, खादी ग्रामोघोग भवन केवीआईसी के दिशानिर्देशों का भी अनुपालन नहीं कर रहे हैं कि सभी अनबिके सामानों को प्राप्ति के 180 दिनों के भीतर वापस कर दिया जाना चाहिए। दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने से केवीआईसी के लिए जीएसटी लाभ (इनपुट टैक्स क्रेडिट) उलट सकता है। इसके अतिरिक्त, आपूर्तिकर्ताओं को केवल विक्रय के बाद भुगतान किया जा रहा है, जिससे छोटे आपूर्तिकर्ताओं के उत्पादों के विपणन के अवसर को सीमित किया जा रहा है जैसा कि पैराग्राफ 4.1.1 में चर्चा की गई है।

### 4.1.6 लेखापरीक्षा आवश्यकताओं का अननुपालन

केवीआईसी के निर्देशों (2017) के अनुसार, खादी संस्थानों को सीएजी द्वारा अनुमोदित/सूचीबद्ध सनदी लेखाकार फर्मों द्वारा लेखापरीक्षा किया जाना आवश्यक है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि केवीआईसी के अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया गया था।

खादी ग्रामोघोग भवनों द्वारा निर्धारित अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं का पालन न करना, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के इच्छित उद्देश्य को विफल कर दिया।

केवीआईसी/मंत्रालय (जुलाई 2022/अगस्त 2022) ने कहा कि 2022-23 से अधिप्राप्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अधिप्राप्ति और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की उचित निगरानी की जाएगी। मंत्रालय ने आगे कहा कि खादी और ग्रामोघोग वस्तुओं के अधिप्राप्ति मानक संचालन प्रक्रिया और विपणन निदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के आधार पर की गई है। यह भी दावा किया गया कि वर्तमान में, खादी ग्रामोघोग भवनों द्वारा अपनाई गई निर्धारित अधिप्राप्ति/अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं के कारण विक्रय योग्य स्टॉक का कोई संचय नहीं था।

केवीआईसी/मंत्रालय का यह उत्तर कि खादी और ग्रामोघोग वस्तुओं की अधिप्राप्ति मानक प्रचालन प्रक्रिया और दिशानिर्देशों के आधार पर की गई है, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है जैसा कि उपर्युक्त पैराग्राफ 4.1.1 से 4.1.6 में सूचित गैर-अनुपालनों से स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त, केवीआईसी के इस दावे को कि कोई विक्रय योग्य स्टॉक नहीं है, इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाए कि ₹8.19 करोड़ का विक्रय योग्य स्टॉक, जो 10 वर्ष से अधिक की अवधि से संबंधित है, जुलाई 2022 तक चार खादी ग्रामोघोग भवनों में पड़ा हुआ था।

***सिफारिश संख्या 2***

***केवीआईसी यह सुनिश्चित करे कि विभागीय व्यापारिक इकाइयां अधिप्राप्ति और उत्पादन की प्रभावी निगरानी के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करें जैसे कि अधिप्राप्ति समितियों की नियमित बैठक, बाजार के रुझानों का विश्लेषण, वेबसाइट पर अधिप्राप्ति योजनाओं का प्रकाशन आदि।***

***सिफारिश संख्या 3***

***विभागीय व्यापारिक इकाइयां उत्पादों के अधिप्राप्ति की एक प्रणाली शुरू कर सकती हैं जो पिछले विक्रय और प्रत्याशित मांग द्वारा प्रमाणित बाजार में मांग के विश्लेषण पर आधारित है। इसके अलावा, खादी संस्थान प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) को यह सुनिश्चित करने के लिए संसोधित किया जाए कि केवीआईसी अधिप्राप्ति और विक्रय पर मद-वार/आपूर्तिकर्ता-वार डेटा निकालने में सक्षम हो ताकि अधिप्राप्ति समितियां बाजार के रुझानों की पहचान कर सकें और इस प्रकार यथार्थवादी और प्रभावी अधिप्राप्ति योजनाएं तैयार कर सकें और विपणन निदेशालय को अधिप्राप्ति की गतिशील निगरानी करने में सक्षम बनाया जा सके।***

***सिफारिश संख्या 4***

***अधिप्राप्ति प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाने के लिए, केवीआईसी को सभी पंजीकृत खादी संस्थानों को अपने उत्पादों को खादी ग्रामोघोग भवनों के माध्यम से बेचने का समान अवसर प्रदान करना चाहिए, नए आपूर्तिकर्ताओं को केवीआईसी के साथ पंजीकरण करने का अवसर देना चाहिए और माल की आपूर्ति के लिए समझौते करने के निर्देशों को लागू करना चाहिए। केवीआईसी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आपूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान के संबंध में निर्देशों का विधिवत पालन किया जा रहा है।***

## 4.2 गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खादी उत्पादों का परीक्षण

केवीआईसी अधिनियम, 1956 के अनुसार, आयोग को वास्तविकता सुनिश्चित करने और गुणवत्ता के मानक स्थापित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य किया गया है कि खादी और ग्रामोघोग के उत्पाद उक्त मानकों के अनुरूप हों, जिसमें संबंधित व्यक्तियों को प्रमाण पत्र या मान्यता पत्र जारी करना शामिल है। खादी प्रमाण पत्र (पांच वर्ष के लिए वैध) जो पंजीकृत खादी संस्थानों के लिए अनिवार्य है, केवीआईसी विनियम 1958 के विनियम 24 के अनुसार केवीआईसी द्वारा गठित केंद्रीय प्रमाणन समिति द्वारा जारी किया जाता है। समिति को खादी प्रमाणन नियमों के अनुसार खादी संस्थानों को खादी प्रमाण पत्र जारी करने/नवीनीकृत करने और नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के प्रमाण पत्र को रद्द करने का भी अधिकार है।

केवीआईसी ने (अगस्त, 2003) गुणवत्ता कार्यान्वयन कार्यक्रम की एक योजना अनुमोदित की है जिसका उद्देश्य विपणन क्षमता में वृद्धि करने, उपभोक्ता विश्वास का निर्माण करने और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करने की दृष्टि से खादी और पॉलीवस्त्र उत्पादों में न्यूनतम गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करना है। यह निर्देश दिया गया कि गुणवत्ता आश्वासन अधिकारी और राज्य/क्षेत्रीय निदेशक द्वारा अधिकृत अन्य खादी कर्मचारियों को खादी ग्रामोघोग भवनों से यादृच्छिक नमूने लेने थे और परीक्षण के लिए कपड़ा समिति प्रयोगशाला में भेजना था। यह भी निर्देश दिया गया था कि यदि कोई विचलन देखा गया है, तो उसे केवीआईसी को एक प्रति के साथ उन राज्य/क्षेत्रीय निदेशकों को सूचित किया जाए जहां से उत्पाद उत्पन्न हुआ है।

इसके अतिरिक्त, केवीआईसी परिपत्र (मई 2018) के अनुसार, खादी ग्रामोघोग भवन के प्रबंधक यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी थे कि खादी ग्रामोघोग भवनों के विक्रय आउटलेट के माध्यम से कोई नकली खादी न विक्रय कि जाए और राज्य कार्यालय और केंद्रीय कार्यालय के स्तर पर एक विशेष टीम को समय-समय पर खादी ग्रामोघोग भवनों का दौरा करना था और परीक्षण के लिए नमूने लेने थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भले ही उत्पादक संस्थानों के मामले में परीक्षण की मात्रा और आवृत्ति निर्धारित की गई थी, लेकिन खादी ग्रामोघोग भवनों जैसे संस्थानों को विक्रय' के लिए इसे निर्दिष्ट नहीं किया गया था। इस प्रकार, लेखापरीक्षा ने उत्पादक संस्थानों के

लिए निर्धारित परीक्षण मानदंडों[36] के आधार पर खादी ग्रामोघोग भवनों द्वारा परीक्षण की पर्याप्तता की जांच की। खादी ग्रामोघोग भवनों में परीक्षण की स्थिति तालिका 4.3 में दी गई है।

**तालिका 4.3: खादी ग्रामोघोग भवनों में परीक्षण की स्थिति**

| परीक्षणों का विवरण | केजीबी, मुंबई | केजीबी, गोवा | केजीबी, दिल्ली | केजीबी, एर्नाकुलम | केजीबी, पटना | केजीबी, कोलकाता | केजीबी, भोपाल | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-21 के दौरान प्रत्येक खादी ग्रामोघोग भवन द्वारा 560-परीक्षण आयोजित किए जाने की आवश्यकता थी। | | | | | | | | |
| परीक्षण कराए गए | | | | | | | | |
| 2017-18 | शून्य | डेटा प्रदान नहीं किया गया | शून्य | शून्य | शून्य | 2 | शून्य | 2 |
| 2018-19 | शून्य | | 77 | 14 | | 2 | 14 | 107 |
| 2019-20 | 12 | | 215 | 6 | | 2 | शून्य | 235 |
| 2020-21 | शून्य | | 41 | शून्य | | 1 | शून्य | 42 |
| **कुल** | **12** | **शून्य** | **333** | **20** | **शून्य** | **7** | **14** | **386** |

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित का अवलोकन किया:

### 4.2.1 अपर्याप्त परीक्षण

- 2017-18 से 2020-21 तक चार वर्ष की अवधि के दौरान केजीबी पटना में कोई परीक्षण नहीं किया गया था। 2017-18 से 2020-21 के दौरान चार केजीबी (मुंबई, एर्नाकुलम, कोलकाता और भोपाल) में कुल 53 नमूनों का परीक्षण किया गया था। दिल्ली भवन का प्रदर्शन, हालांकि बाकी की तुलना में बेहतर था, फिर भी परीक्षण के मानदंड से 40 प्रतिशत कम था। इस प्रकार, नकली खादी के लिए उत्पादों के परीक्षण के लिए एकत्र किए गए नमूनों की आवृत्ति/संख्या अपर्याप्त थी।
- केजीबी भोपाल में, 2018-19 में परीक्षण किए गए 14 नमूनों में से आठ नकली (गैर-खादी) पाए गए। नकली खादी के इतने अधिक प्रतिशत का पता चलने के बावजूद, बाद के वर्षों में केजीबी भोपाल में कोई परीक्षण नहीं किया गया था।
- नकली खादी मद विक्रय' के लिए मुंबई खादी और ग्रामोघोग संघ (एमकेवीआईए) के विरुद्ध एक उपभोक्ता से शिकायत (दिसंबर 2017) प्राप्त होने पर, केवीआईसी ने परीक्षण किया और पाया कि यह नकली खादी है। केवीआईसी ने एमकेवीआईए के

[36] *दिनांक 7 अगस्त 2003 के स्थायी आदेश संख्या 1,626 के बिंदु 5.3 के अनुसार, प्रति तिमाही अनिवार्य नमूने प्रमुख संस्थानों से 20, मध्यम संस्थानों से 10 और छोटे संस्थानों से पांच होंगे, जिनकी कुल संख्या 35x4=140 होगी।*

खादी प्रमाण पत्र को नवीनीकृत करने से इनकार करके कार्रवाई शुरू की। इस संबंध में लेखापरीक्षा में पाया गया कि नकली खादी का पता चलने की स्थिति में उत्पादक/विक्रय संस्था के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई खादी उत्पादों के परीक्षण के संबंध में केवीआईसी द्वारा जारी किसी भी परिपत्र में निर्धारित नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, नकली खादी की शिकायत प्राप्त होने के बावजूद, न तो केवीआईसी ने नमूनों के परीक्षण के लिए केजीबी मुंबई को निर्देश जारी किए और न ही केजीबी मुंबई ने निर्धारित परीक्षण किया क्योंकि इसने 2019-20 के दौरान केवल 12 परीक्षण किए थे और अन्य तीन वर्षों के दौरान कोई परीक्षण नहीं किया गया था।

केवीआईसी/मंत्रालय (जुलाई 2022/अगस्त 2022) ने कहा कि विपणन निदेशालय ने पहले ही खादी ग्रामोघोग भवन प्रबंधकों को विक्रय की गई खादी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और खादी उत्पादों के नियमित और आवधिक परीक्षण के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। केवीआईसी ने यह भी आश्वासन दिया कि खादी कच्चे माल का निदेशालय खादी उत्पादों का इष्टतम परीक्षण सुनिश्चित करेगा।

इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि यद्यपि खादी उत्पादों की वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए जा रहे हैं, फिर भी उनका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि केवीआईसी ने अपनी 683वीं बैठक (अक्टूबर 2021) में कहा था कि खादी ग्रामोघोग भवनों को आपूर्ति की जा रही वस्तुओं का यादृच्छिक रूप से परीक्षण नहीं किया जा रहा है ताकि गैर-नकली खादी का विक्रय सुनिश्चित की जा सके जैसा कि पैराग्राफ 4.4.3 में चर्चा की गई है।

***सिफारिश संख्या 5***

***यह सुनिश्चित करने के लिए कि बेचे जाने वाले खादी उत्पादों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप है, केवीआईसी खादी ग्रामोघोग भवनों सहित बिक्री संस्थानों के उत्पादों के परीक्षण के लिए उपयुक्त मानदंड तैयार कर सकता है और यह सुनिश्चित करे कि तदानुसार पर्याप्त परीक्षण किया जाए। नकली नमूनों का पता लगने पर संस्थानों के विरुद्ध उपयुक्त दंडात्मक उपाय निर्धारित किए जाएं और लागू किए जाएं।***

### 4.3 *बाजार संवर्धन और विकास सहायता योजना*

एमएसएमई मंत्रालय ने (मार्च, 2010) बाजार संवर्धन और विकास सहायता योजना (एमपीडीए) का अनुमोदन किया ताकि मौजूदा छूट योजना के स्थान पर उत्पादक संस्थानों को खादी और पॉलीवस्त्र[37] के उत्पादन के मूल्य के 20 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता अर्थात बाजार विकास सहायता (एमडीए) प्रदान की जा सके। बाजार विकास सहायता को कारीगरों (25 प्रतिशत), उत्पादक संस्थानों (30 प्रतिशत) और विक्रय संस्थानों (45 प्रतिशत) के बीच विभाजित किया जाना था। बाजार विकास सहायता का दावा उत्पादक संस्थाओं द्वारा पिछली तिमाही में उनके उत्पादन के आधार पर तिमाही आधार पर किया जाना था।

वित्तीय सहायता (संशोधित बाजार विकास सहायता-एमएमडीए[38]) को युक्तिसंगत बनाने, प्रभावी मूल्य निर्धारण के लिए खादी और ग्रामोघोग उत्पादों का बाजार विभाजन, विपणन नेटवर्क और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अवसरों को मजबूत करने, कारीगरों और कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन और खादी प्लाजा की स्थापना के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्यों के साथ दिशानिर्देशों को संशोधित (सितंबर 2016) किया गया था। संशोधित बाजार विकास सहायता की गणना मुख्य लागत[39] के 30 प्रतिशत पर की जानी थी और यह 30 प्रतिशत उत्पादक संस्थानों (एमएमडीए का 40 प्रतिशत अर्थात, प्रमुख लागत का 12 प्रतिशत), विक्रय संस्थानों (एमएमडीए का 20 प्रतिशत अर्थात, प्रमुख लागत का छह प्रतिशत) और कारीगर (एमएमडीए का 40 प्रतिशत अर्थात, प्रमुख लागत का 12 प्रतिशत) के बीच वितरित किया जाता है। उत्पादक संस्थानों को प्रौद्योगिकी उन्नयन, सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना, डिजाइन परामर्शदाताओं की नियुक्ति आदि के लिए अपने भाग का उपयोग करना था। विक्रय करने वाली संस्थाओं को अपनी संशोधित बाजार विकास सहायता (प्रमुख लागत का छह प्रतिशत) का उपयोग विक्रय दुकानों के नवीनीकरण और

---

*[37] पॉलीवस्त्र का अर्थ भारत में हथकरघा पर बुने गए किसी भी कपड़े से होता है, जो भारत में कपास, रेशम या ऊन के साथ मानव निर्मित फाइबर के मिश्रण से या उनमें से किसी दो या सभी के साथ या भारत में कपास, रेशम या ऊनी धागे के साथ मानव निर्मित फाइबर धागे के मिश्रण से या ऐसे किसी भी दो या सभी धागे के साथ बुना जाता है।*

*[38] एमएमडीए खादी के उत्पादन और विक्रय में लगे कारीगरों और खादी संस्थानों को केवीआईसी के माध्यम से भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली उत्पादन सब्सिडी है।*

*[39] कच्चे माल की लागत और ग्रे कपड़े तक रूपांतरण शुल्क और मार्जिन के बिना प्रसंस्करण शुल्क (इसमें स्थापना मार्जिन, व्यापार मार्जिन, बीमा और बैंक ब्याज शामिल नहीं है)।*

कम्प्यूटरीकरण, विपणन संवर्धन के लिए बाहरी विपणन एजेंसियों को किराए पर लेने, विज्ञापन, प्रचार, वैकल्पिक विपणन चैनलों जैसे ई-कॉमर्स/फ्रेंचाइजी के उपयोग, विशेष अवसरों पर विक्रय छूट/छूट का विस्तार, निजी पार्टियों को थोक विक्रय पर छूट देने और विपणन तथा विक्रय कर्मियों की क्षमता निर्माण के लिए करना था।

केवीआईसी ने संशोधित बाजार विकास सहायता दावों की आवधिकता, दावों के निपटान, उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने आदि के संबंध में (दिसंबर 2016) दिशानिर्देश भी परिचालित किए। उत्पादन के साथ-साथ विक्रय गतिविधि करने वाले खादी संस्थान प्रमुख लागत पर संशोधित बाजार विकास सहायता के 60 प्रतिशत के अधिकारी थे। हालांकि, उत्पादक संस्थानों को थोक विक्रय करते समय संशोधित बाजार विकास सहायता (अर्थात, प्रमुख लागत का छह प्रतिशत) विक्रय' वाले संस्थानों को देना था, जिसमें खादी ग्रामोद्योग भवन शामिल हैं।

वर्ष 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान खादी संस्थानों को केवीआईसी द्वारा संवितरित कुल संशोधित बाजार विकास सहायता और खादी संस्थानों से विक्रय संस्थानों के रूप में उनकी भूमिका में केवीआईसी के खादी ग्रामोद्योग भवनों द्वारा एकत्रित संशोधित बाजार विकास सहायता का भाग तालिका 4.4 में दर्शाया गया है।

**तालिका 4.4 बाजार संवर्धन एवं विकास सहायता योजना**

**(आंकड़े ₹ करोड़ में)**

| वित्तीय वर्ष | खादी संस्थानों को एमएमडीए वितरित | खादी संस्थानों से केजीबी द्वारा एकत्र किया गया एमएमडीए |
|---|---|---|
| 2017-18 | 172.60 | 12.83 |
| 2018-19 | 303.81 | 9.70 |
| 2019-20 | 255.35 | 5.24 |
| 2020-21 | 197.34 | 4.44 |
| **कुल** | **929.10** | **32.21** |

इस संबंध में, अगले अनुच्छेदों में लेखा परीक्षा प्रेक्षणों पर चर्चा की गई है:

### 4.3.1 संशोधित बाजार विकास सहायता का अतिरिक्त संग्रह

लेखापरीक्षा ने 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए केजीबी भोपाल[40] को छोड़कर खादी ग्रामोद्योग भवनों के ₹302.57 करोड़ मूल्य के 21,446 अधिप्राप्ति चालानों (अधिप्राप्ति

*[40] केजीबी भोपाल के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए थे।*

चालानों के कम से कम 25 प्रतिशत को शामिल करते हुए) की नमूना जांच की और पाया कि खादी ग्रामोघोग भवन, 8,158 उदाहरण खादी संस्थानों से संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए) का भाग निर्धारित सीमा से अधिक प्राप्त कर रहे थे, जैसा कि तालिका 4.5 में वर्णित है।

**तालिका 4.5: खादी ग्रामोघोग भवनों द्वारा छह प्रतिशत से अधिक संशोधित बाजार और विकास सहायता एकत्र की गई**

**(आंकड़े ₹ करोड़ में)**

| **एमएमडीए** | **खादी ग्रामोघोग भवन** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **मुंबई** | **गोवा** | **दिल्ली** | **एर्नाकुलम** | **पटना** | **कोलकाता** | **कुल** |
| खादी संस्थानों से प्राप्त एमएमडीए | 0.30 | 0.02 | 10.70 | 2.98 | 0.35 | 1.21 | 15.56 |
| एमपीडीए योजना के अनुसार एमएमडीए का शुल्क[41] लिया जाएगा | 0.12 | 0.01 | 4.04 | 1.30 | 0.15 | 0.56 | 6.18 |
| **अतिरिक्त एमएमडीए प्राप्त हुआ** | **0.18** | **0.01** | **6.64** | **1.68** | **0.20** | **0.65** | **9.38** |

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित का अवलोकन किया:-

खादी ग्रामोघोग भवनों को खादी संस्थानों से ₹9.38 करोड़ की अतिरिक्त संशोधित बाजार विकास सहायता भागीदारी प्राप्त हुई थी। यह एमपीडीए दिशानिर्देशों की मूल भावना और खादी क्षेत्र और ग्रामीण कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए केवीआईसी के उद्देश्यों के विरुद्ध था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि कई मामलों में खादी ग्रामोघोग भवनों को देय संशोधित बाजार विकास सहायता का भाग बाजार संवर्धन और विकास सहायता दिशानिर्देशों में अधिदेशित मूल लागत के बजाय विक्रय मूल्य पर तैयार किया जा रहा था, जिससे खादी ग्रामोघोग भवनों को देय उच्च एमएमडीए भागीदारी के कारण खादी संस्थानों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा था।

केवीआईसी/मंत्रालय ने (जुलाई 2022/अगस्त 2022) कहा कि संशोधित बाजार विकास सहायता केवीआईसी के दिशानिर्देशों के अनुसार 10 प्रतिशत की दर से एकत्र की जा रही है। इसमें आगे कहा गया है कि खादी ग्रामोघोग भवनों द्वारा प्राप्त किसी भी अतिरिक्त

---

[41] ***देय एमएमडीए भागीदारी की गणना खादी संस्थानों को भुगतान की गई वास्तविक राशि के छह प्रतिशत के रूप में की गई थी क्योंकि मुख्य लागत उपलब्ध नहीं थी।***

संशोधित बाजार विकास सहायता को विस्तृत समीक्षा के बाद मामला-दर-मामला आधार पर वापस कर दिया जाएगा।

हालांकि प्रबंधन ने अतिरिक्त संग्रह वापस करने की बात स्वीकार कर ली है, लेकिन उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि एमएसएमई मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2016 में जारी संशोधित दिशानिर्देशों में संशोधित बाजार विकास सहायता को खादी ग्रामोघोग भवनों को छह प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है। इसलिए, खादी ग्रामोघोग भवन का यह उत्तर कि केवीआईसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार संशोधित बाजार विकास सहायता का न्यूनतम 10 प्रतिशत खादी ग्रामोघोग भवनों को दिया जा रहा है, मंत्रालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।

***सिफारिश संख्या 6***

***केवीआईसी खादी संस्थानों द्वारा खादी ग्रामोघोग भवनों को दी गई संशोधित बाजार विकास सहायता के भाग की मामला-दर-मामला आधार पर समीक्षा करे और निर्धारित सीमा से अधिक प्राप्त संशोधित बाजार विकास सहायता भागीदारी वापस करे।***

## 4.4 केंद्रीय पूनी संयंत्रों द्वारा अधिप्राप्ति और उत्पादन

केन्द्रीय पूनी संयंत्र संगठित कपास बाजारों और भारतीय कपास निगम से कपास की अधिप्राप्ति करके पूनी/आमोटन के उत्पादन में लगे हुए हैं। केन्द्रीय पूनी संयंत्रों द्वारा कच्चे माल के अधिप्राप्ति को खादी कच्चा माल निदेशालय, केवीआईसी द्वारा जारी अनुदेशों द्वारा विनियमित किया जाता है।

### 4.4.1 केन्द्रीय पूनी संयंत्रों द्वारा कच्चे माल का अधिप्राप्ति

सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 162 के अनुसार, जब अधिप्राप्ति किए जाने वाले माल का अनुमानित मूल्य ₹ 25 लाख तक हो, तो सीमित निविदा जांच अपनाई जा सकती है। केवीआईसी ने परिपत्र (मई 2013) जारी किया जिसमें कहा गया है कि केन्द्रीय पूनी संयंत्रों की पादप स्तरीय समितियों/कपास अधिप्राप्ति समितियों[42] को पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर (पीएसएफ) के तीन निजी विनिर्माताओं अर्थात (1) मैसर्स इंडो रामा सिंथेटिक्स

[42] ***केवीआईसी के जोनल उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति जिसमें केन्द्रीय पूनी संयंत्र के संयंत्र प्रबंधक और अन्य सदस्य शामिल हैं।***

प्राइवेट लिमिटेड, (2) मैसर्स बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और (3) रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ-साथ उनके प्राधिकृत डीलरों से कोटेशन/दरें आमंत्रित करनी थीं। एक अन्य परिपत्र (मार्च 2018) के अनुसार, केंद्रीय पूनी संयंत्रों को पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर के बाजार मूल्य का पता लगाने और संयंत्र स्तरीय समितियों/कपास अधिप्राप्ति समितियों से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद डीलर के कमीशन से बचने वाले निर्माताओं से सीधे पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर अधिप्राप्ति करने के लिए अधिकृत किया गया था।

सीएसपी कुट्टूर ने 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान दो आपूर्तिकर्ताओं मेसर्स बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड और मेसर्स इंडो रामा सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड से ₹96.30 लाख मूल्य के 94,776 किलोग्राम पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर अधिप्राप्ति की। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित का अवलोकन किया:-

i. संयंत्र प्रबन्धक के अनुमोदन पर सीएसपी कुट्टूर ने 2017-18 से 2018-19 की अवधि के दौरान मेसर्स बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड से बिना सीमित निविदा आमंत्रित किए, बिना बाजार मूल्य का पता लगाए और केवीआईसी परिपत्र एवं सामान्य वित्तीय नियम द्वारा अधिदेशित अनिवार्य संयंत्र स्तर की समितियों/कपास क्रय समितियों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना ₹29.14 लाख मूल्य के 25,851 किलोग्राम पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर की अधिप्राप्ति की।

ii. सीएसपी कुट्टूर ने (जुलाई 2018) तीनों निर्माताओं से नौ टन पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर के लिए सीमित कोटेशन आमंत्रित किए थे और उत्तर में, दो निर्माताओं अर्थात मेसर्स इंडो रामा सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने ₹117.12 प्रति किलोग्राम की समान दर का हवाला दिया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि केन्द्रीय पूनी संयंत्र ने मैसर्स इंडो रामा सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड को ₹18.97 लाख की राशि के लिए 16.11 टन पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर कि निविदा दी थी जबकि सीमित निविदा में शामिल मात्रा केवल नौ टन थी और इस अधिप्राप्ति में भी संयंत्र स्तरीय समिति/कपास अधिप्राप्ति समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। इस प्रकार, इकाई ने निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया था और अधिप्राप्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं कर सकी थी।

केवीआईसी/मंत्रालय (जुलाई 2022/अगस्त 2022) ने कहा कि अधिप्राप्ति अनुमोदित प्रक्रिया और दिशानिर्देशों के अनुसार की गई थी और सक्षम अधिकारियों द्वारा भी अनुमोदित की गई थी। आगे यह कहा गया था कि चूंकि सभी तीन फर्मों द्वारा दी गई मूल कीमत समान थी, इसलिए मूल मूल्य पर उच्चतम छूट की पेशकश करने वाली फर्म को क्रयादेश दिए गए थे। यह भी कहा गया था कि केवीआईसी को तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोटेशन आमंत्रित करते समय और अन्य विक्रेताओं से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण अधिसूचित मात्रा से अधिक मात्रा में अधिप्राप्ति करना पड़ा।

इस उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि कार्योत्तर अनुसमर्थन अनुमोदित अधिप्राप्ति दिशानिर्देशों के उल्लंघन को उचित नहीं ठहराता है। इसके अतिरिक्त, केवीआईसी द्वारा अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया था कि सभी तीन फर्मों द्वारा दी गई मूल कीमत समान थी और उच्चतम छूट की पेशकश करने वाली फर्म को आदेश दिए गए थे।

### 4.4.2 केंद्रीय पूनी संयंत्रों द्वारा उत्पादन प्रदर्शन

केन्द्रीय पूनी संयंत्र कपास के कच्चे माल को खादी संस्थानों को आपूर्ति करने के लिए पूनी/रोविंग में परिवर्तित करते हैं।

#### 4.4.2.1 उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति

केन्द्रीय पूनी संयंत्रों के वार्षिक उत्पादन लक्ष्यों को वार्षिक बजट के भाग के रूप में केवीआईसी की स्थायी वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान उनके विरुद्ध निर्धारित उत्पादन लक्ष्य और उपलब्धियां तालिका 4.6 में विस्तारपूर्वक दिए गए हैं।

**तालिका-4.6 केंद्रीय पूनी संयंत्रों में उत्पादन**

**(आंकड़े मीट्रिक टन में)**

| केंद्रीय पूनी सयंत्र | 2017-18 | | 2018-19 | | 2019-20 | | 2020-21 | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | उपलब्धि (प्रतिशत) | लक्ष्य | उपलब्धि (प्रतिशत) | लक्ष्य | उपलब्धि (प्रतिशत) | लक्ष्य | उपलब्धि (प्रतिशत) | लक्ष्य | उपलब्धि (प्रतिशत) |
| कुट्टूर | 600 | 374.55 (62%) | 650 | 382.91 (59%) | 650 | 423.41 (65%) | 650 | 354.43 (55%) | 2,550 | 1,535.30 (60%) |
| चित्रदुर्ग | 900 | 764.57 (85%) | 900 | 733.89 (82%) | 900 | 704.87 (78%) | 900 | 613.78 (68%) | 3,600 | 2,817.11 (78%) |

| केंद्रीय पूनी सयंत्र | 2017-18 | | 2018-19 | | 2019-20 | | 2020-21 | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | उपलब्धि (प्रतिशत) | लक्ष्य | उपलब्धि (प्रतिशत) | लक्ष्य | उपलब्धि (प्रतिशत) | लक्ष्य | उपलब्धि (प्रतिशत) | लक्ष्य | उपलब्धि (प्रतिशत) |
| सीहोर | 1000 | 709.20 (71%) | 1,000 | 962.03 (96%) | 1000 | 993.56 (99%) | 1,000 | 1083.71 (108%) | 4,000 | 3,748.50 (94%) |
| रायबरेली | 850 | 387.35 (46%) | 850 | 645.56 (76%) | 850 | 869.19 (102%) | 850 | 901.19 (106%) | 3,400 | 2,803.29 (82%) |
| एटा | 800 | 473.56 (59%) | 800 | 394.26 (49%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 867.82 (54%) |
| हाजीपुर | 270 | 173.16 (64%) | 270 | 231.22 (86%) | 270 | 189.13 (70%) | 270 | 151.17 (56%) | 1,080 | 744.68 (69%) |
| **कुल** | **4,420** | **2,882.39 (65%)** | **4,470** | **3,349.87 (75%)** | **3670** | **3,180.16 (87%)** | **3,670** | **3,104.28 (85%)** | **16,230** | **12,516.70 (77%)** |

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि:-

हालांकि 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि 77 प्रतिशत थी, हालांकि, केंद्रीय पूनी संयंत्र चार वर्षों में से किसी के दौरान भी उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। लक्ष्यों के मुकाबले उपलब्धि 2017-18 में 65 प्रतिशत से 2019-20 में 87 प्रतिशत तक थी। अलग-अलग केन्द्रीय पूनी सयंत्र के मामले में, सीएसपी रायबरेली ने 2019-20 और 2020-21 में लक्ष्य हासिल किया, जबकि सीएसपी सीहोर ने 2020-21 में लक्ष्य को पार कर लिया। अन्य केन्द्रीय पूनी संयंत्रों में से किसी ने भी समीक्षाधीन वर्षों में से किसी के दौरान निर्धारित वार्षिक उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया।

लक्ष्य के मुकाबले 2017-18 से 2020-21 के दौरान सीएसपी कुट्टूर के वास्तविक उत्पादन की समीक्षा से पता चला है कि उत्पादन लक्ष्य की उपलब्धि 55 प्रतिशत से 65 प्रतिशत के बीच थी। यह देखा गया कि लक्ष्यों की प्राप्ति न होने के कारणों की पहचान करने और वास्तविक तरीके से निर्धारित लक्ष्यों की समीक्षा करने के प्रयास अभिलेख पर स्पष्ट नहीं थे। महामारी के प्रभाव के कारण वर्ष 2020-21 के दौरान संयंत्र और कार्यालय के बंद होने जैसी परिस्थितियों और कर्मचारियों और श्रमिकों में लंबे समय से लंबित रिक्तियों को लक्ष्य निर्धारित करने में विचार नहीं किया गया।

केवीआईसी/मंत्रालय (जुलाई 2022/अगस्त 2022) ने सीएसपी कुट्टूर के मामले में कहा कि, यह प्राकृतिक आपदाओं, बुनियादी ढांचे और जनशक्ति की कमी, मशीनरी के टूटने, मशीनों के पुराने होने आदि के कारण इस अवधि के दौरान लक्षित उत्पादन प्राप्त नहीं कर सका। इस उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि लक्षित उत्पादन प्राप्त नहीं करने के कारणों के रूप में उद्धृत नियंत्रण से परे कारक केवल 2020-21 में लागू थे, जबकि यह समीक्षाधीन अवधि के दौरान लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त, उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति न होने के अन्य कारणों जैसे मशीनरी का टूटना, जनशक्ति की कमी आदि नियंत्रणीय थे और लक्ष्य निर्धारित करते समय उन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए था।

सीएसपी चित्रदुर्ग के संबंध में, केवीआईसी/मंत्रालय ने (जुलाई 2022/अगस्त 2022) कहा कि इसने 2020-21 को छोड़कर सभी वर्षों के दौरान लक्षित उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत से अधिक हासिल किया था, जब उत्पादन महामारी की स्थिति से प्रभावित हुआ था। इस उत्तर को इकाई के तकनीकी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (मई 2019) में की गई टिप्पणियों के आलोक में देखा जाना चाहिए, जिसके अनुसार मुख्य मशीनों (कॉम्बर्स, ड्रॉ फ्रेम और सिम्प्लेक्स) की उत्पादकता बहुत कम थी और उन्हें उच्च उत्पादकता वाली मशीनों के साथ बदलने की आवश्यकता थी। उक्त प्रतिवेदन में यह भी देखा गया कि समय पर निवारक रखरखाव और मरम्मत से उत्पादन दक्षता में सुधार किया जा सकता था।

सीएसपी हाजीपुर के बारे में, केवीआईसी/मंत्रालय ने (जुलाई 2022) कहा कि संयंत्र में वर्ष 1997 में स्थापित मशीनरी और पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण, यह समय पर ब्रेकडाउन को पूरा करने में असमर्थ था। सीएसपी रायबरेली के मामले में, यह कहा गया था कि वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान, संयंत्र ने क्रमशः ओपनिंग स्टॉक की उच्च मात्रा और महामारी के मद्देनजर उत्पादन में कमी के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं किया। सीएसपी हाजीपुर और सीएसपी रायबरेली के संबंध में उत्तरों को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि केवीआईसी को उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति न होने के लिए इकाइयों द्वारा प्रस्तुत कारणों पर सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त, उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करते समय क्लोजिंग स्टॉक को ध्यान में रखा जाना चाहिए था और महामारी ने मार्च 2020 से ही देश को काफी प्रभावित किया।

यद्यपि केन्द्रीय पूनी संयंत्र लक्ष्य का 65 प्रतिशत से 87 प्रतिशत प्राप्त कर रहे हैं, फिर भी उन्हें उत्पादन लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति के लिए समय पर उपचारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

**4.4.2.2 केंद्रीय पूनी संयंत्रों का नवीनीकरण**

उत्पादन दक्षता लाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, केवीआईसी ने (फरवरी-2015) केंद्रीय पूनी संयंत्रों में मौजूदा पुरानी मशीनरी के नवीनीकरण की परिकल्पना की। तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन[43] के आधार पर केवीआईसी ने एमएसएमई मंत्रालय को ₹24.10 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ छह केंद्रीय पूनी संयंत्रों में नवीनीकरण करने का प्रस्ताव (अगस्त 2015) दिया, जिसे बाद में संशोधित कर ₹35.16 करोड़ (जुलाई 2016) और फिर मार्च 2018 में खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (केआरडीपी) निधि का उपयोग करते हुए ₹40 करोड़[44] कर दिया गया। एमएसएमई मंत्रालय ने खादी सुधार और विकास कार्यक्रम निधि के तहत छह केंद्रीय पूनी संयंत्रों के नवीनीकरण के लिए ₹40.97 करोड़ जारी करने की स्वीकृति दी।

हालांकि मंत्रालय ने सितंबर 2018 में निधि जारी करने की स्वीकृति दे दी थी, लेकिन केवीआईसी जुलाई 2020 में ही पांच[45] केंद्रीय पूनी संयंत्रों में कपड़ा मशीनरी की आपूर्ति और कमीशनिंग के लिए अपनी वेबसाइट और सरकारी अधिप्राप्ति पोर्टल पर प्रस्ताव के लिए अनुरोध प्रकाशित कर पाया। एक प्री-बिड मीटिंग (जुलाई 2020) आयोजित की गई थी, जिसमें तीन संभावित बोलीदाताओं ने भाग लिया था। तथापि, प्रस्ताव के लिए अनुरोध के प्रत्युत्तर में केवल एक बोली प्राप्त हुई थी। इस प्रकार, बोली जमा करने की अंतिम तिथि दो बार बढ़ाई गई थी। अन्य बोलियों के अभाव में मैसर्स लक्ष्मी मशीन वर्क्स से ₹23.46 करोड़ की दर से प्राप्त एकमात्र बोली को केवीआईसी द्वारा अनुमोदित किया गया था और कार्य आदेश (नवंबर 2020) जारी किया गया था।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित का अवलोकन किया:

---

*[43] उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान संघ, गाजियाबाद द्वारा तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन आयोजित किया गया था।*

*[44] मशीनरी के लिए ₹25 करोड़ एवं सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्यों के लिए ₹15 करोड़।*

*[45] फरवरी 2019 में बंद किए गए सीएसपी एटा को प्रस्ताव के लिए अनुरोध को अंतिम रूप देते समय बाहर रखा गया था।*

**i. कड़े पूर्व-योग्यता मानदंड**

23 जुलाई 2020 को आयोजित प्री-बिड मीटिंग में तीन फर्मों ने भाग लिया। बोली-पूर्व बैठक में प्राप्त सुझावों के आधार पर, केवीआईसी ने प्रस्ताव के लिए अनुरोध करने के लिए एक शुद्धिपत्र (28 जुलाई 2020) अपलोड किया। मैसर्स लक्ष्मी मशीन वर्क्स के एकमात्र वितरक मैसर्स वोल्टास द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों[46] पर विचार किया गया। एक अन्य संभावित बोलीदाता मैसर्स एटीई एंटरप्राइजेज के न्यूनतम कारोबार को ₹100 करोड़ से घटाकर ₹50 करोड़ करने के अनुरोध पर शुद्धिपत्र में विचार नहीं किया गया।

केवीआईसी परिपत्र (मार्च 2012) और केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के निर्देशों[47] के अनुसार सिविल/विद्युत कार्यों के आवंटन के मामले में पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत कारोबार अनुमानित लागत का कम से कम 30 प्रतिशत होना चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹100 करोड़ के न्यूनतम कारोबार को निर्धारित करने वाला खंड ₹25 करोड़ की अनुमानित लागत का 400 प्रतिशत अधिक था।

इस प्रकार, वित्तीय पात्रता के लिए उच्च पूर्व-योग्यता मानदंड निर्धारित करने से प्रतिस्पर्धा की कमी हुई और खुली निविदा जारी करने के तंत्र को दूषित किया गया।

केवीआईसी ने उत्तर दिया कि मैसर्स एटीई एंटरप्राइजेज द्वारा उठाए गए मुद्दे वित्तीय मुद्दे से संबंधित थे, जबकि मैसर्स वोल्टास द्वारा दिए गए सुझाव मशीनरी से संबंधित थे और प्रकृति में वास्तविक थे, इसलिए, उन्हें स्वीकार किया गया था और तदानुसार शुद्धिपत्र जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त, केवीआईसी ने उल्लेख किया कि सीवीसी परिपत्र कपड़ा मशीनरी की अधिप्राप्ति से संबंधित नहीं है।

इस उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि, पर्याप्त औचित्य के बिना वित्तीय पात्रता के लिए अनुचित रूप से उच्च सीमा निर्धारित करने से प्रतिस्पर्धा के उन्मूलन का अवांछनीय प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, सीवीसी परिपत्र को अपनाया गया था और 2012 में केवीआईसी द्वारा सभी कार्यों/अधिप्राप्ति पर लागू किया गया था।

---

*[46] उपकरण के तकनीकी मापदंडों में परिवर्तन जैसे ब्लो रूम की ट्रैक लंबाई, ब्रेकर ड्रॉ फ्रेम का डिलीवरी मोड, लैप प्रिपरेटरी मशीनों की डिलीवरी गति आदि।*

*[47] सीवीसी ओएम संख्या 12-02-1-सीटीई-6 दिनांक 17 दिसंबर 2002।*

**ii. निविदा को अंतिम रूप देना**

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मशीनरी और सिविल/विद्युत कार्य की आपूर्ति के लिए निविदाओं को अंतिम रूप देने में अत्यधिक विलंब हुआ जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन हानि हुई जैसा कि बाद के पैराग्राफ में नीचे बताया गया है।

क. एमएसएमई मंत्रालय ने (सितंबर 2018) खादी सुधार और विकास कार्यक्रम से ₹40.97 करोड़ की राशि जारी करने की स्वीकृति दी और धन (फरवरी 2019) जारी किया गया था, लेकिन केवीआईसी नवंबर 2020 में ही निविदाओं को अंतिम रूप दे सका। अंतिम रूप दी गई समय सीमा (नवंबर 2019) के अनुसार, सभी पांच केंद्रीय पूनी संयंत्रों का नवीनीकरण नवंबर 2021 तक पूरा किया जाना था। दिसंबर 2020 में निविदा को अंतिम रूप देने और काम सौंपने के बाद भी नवीनीकरण कार्यों का निष्पादन अभी तक (मार्च 2022) शुरू नहीं हुआ है। इस प्रकार, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा निधियां जारी किए जाने से तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

केवीआईसी/मंत्रालय (जुलाई 2022/अगस्त 2022) ने कहा कि महामारी के कारण प्रस्ताव के लिए अनुरोध को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में बहुत समय लगा। उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि मार्च 2020 में महामारी के प्रकोप से एक वर्ष पहले फरवरी 2019 में ही धन जारी किया गया था और नवीनीकरण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। इसलिए, सितंबर 2018 से जुलाई 2020 तक प्रस्ताव के लिए अनुरोध को अंतिम रूप देने में 18 माह[48] के विलंब की अवधि को केवीआईसी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया था।

---

*[48] मार्च-2020 से जुलाई 2020 तक महामारी से प्रभावित अवधि को छोड़कर।*

ख. हालांकि निविदा को अंतिम रूप दिया गया (नवंबर 2020) और मशीनरी की आपूर्ति के लिए समझौता (दिसंबर 2020) किया गया था, मशीनरी के नवीनीकरण के साथ सिंक्रनाइज़ेशन में सिविल कार्यों को पूरा करने के लिए कोई समवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी। खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम में निर्धारित समय-सीमा के अनुसार, मशीनरी के निर्माण से पहले सिविल, विद्युत और सुरक्षा कार्य शुरू करने की परिकल्पना की गई थी।

**चित्र: 4.1 सीएसपी चित्रदुर्ग का नवीनीकरण**

केवीआईसी ने (दिसंबर 2020) पहले चरण में दो[49] केंद्रीय पूनी संयंत्रों का चयन करते हुए तीन चरणों में काम करने का फैसला किया और सीएसपी चित्रदुर्ग के लिए दिसंबर 2021 में और सीएसपी कुट्टूर के लिए जनवरी 2022 में सिविल कार्यों के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) में प्रवेश किया। हालांकि, सीएसपी कुट्टूर और चित्रदुर्ग की सिविल/विद्युत आवश्यकता से संबंधित कार्य अभी तक (अक्टूबर 2022) पूरे नहीं हुए हैं। यह उल्लेख करना उचित है कि मशीनरी की आपूर्ति के लिए अनुबंध की वैधता नवंबर 2022 तक है। यदि सिविल/विद्युत कार्य तब तक पूरे नहीं होते हैं, तो मशीनरी की आपूर्ति के लिए अनुबंध की वैधता समाप्त हो जाएगी और इससे इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और जटिलताएं, लागत में वृद्धि, उत्पादन हानि की संभावना होगी।

केवीआईसी/मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

ग. सीएसपी कुट्टूर और चित्रदुर्ग की उत्पादन गतिविधियों को नवीनीकरण गतिविधियों को शुरू करने की प्रत्याशा में क्रमशः जुलाई 2021 और सितंबर 2021 में रोक दिया गया था, चूंकि, सिविल कार्यों के लिए अनुमानों को भी अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया है, इसलिए उत्पादन को समय से पहले रोकने के परिणामस्वरूप मार्च 2022 तक ₹14.20 करोड़[50] की उत्पादन हानि हुई है। उत्पादन हानि तब तक जारी रहेगी जब तक सिविल कार्यों को पूरा करने और मशीनरी चालू करने में विलंब होती है। इसके अतिरिक्त, समय

---

[49] *चित्रदुर्ग और कुट्टूर में सीएसपी।*

[50] *सीएसपी कुट्टूर- नौ माह के लिए ₹72.40 लाख की दर से औसत मासिक उत्पादन और सात माह के लिए सीएसपी चित्रदुर्ग-औसत मासिक उत्पादन ₹109.73 लाख*

से पहले बंद होने और श्रमिकों को अन्य केंद्रीय पूनी संयंत्रों में स्थानांतरित करने में विलंब के परिणामस्वरूप मार्च 2022 तक की अवधि के दौरान ₹89 लाख[51] की निष्क्रिय मजदूरी का भुगतान किया गया है।

केवीआईसी/मंत्रालय ने (जुलाई 2022/अगस्त 2022) कहा कि सीएसपी हाजीपुर में उपलब्ध स्टॉक का उपयोग बंद केंद्रीय पूनी संयंत्रों द्वारा पोषित संस्थानों को आपूर्ति के लिए किया गया था और जब भी इस तरह का आधुनिकीकरण किया जाता है, उत्पादन गतिविधियों को पूरी तरह से रोकने की आवश्यकता होती है। यह भी कहा गया कि सीएसपी चित्रदुर्ग और कुट्टूर में संयंत्रों को नवीनीकरण कार्य शुरू करने से पहले बंद कर दिए जाने के बाद श्रमिकों को निष्क्रिय नहीं रखा गया था, बल्कि उन्हें विशिष्ट कार्य आवंटित किए गए थे या केवीआईसी की अन्य इकाइयों में फिर से तैनात किया गया था।

इस उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि सिविल कार्यों और मशीनरी की स्थापना के बीच योजना और सिंक्रनाइज़ेशन की कमी थी, जिससे समय से पहले बंद हो गया और परिणामस्वरूप उत्पादन की हानि हुई। हालांकि उत्पादन जुलाई 2021/सितंबर 2021 में बंद हो गया था, लेकिन सिविल कार्य अभी तक (अक्टूबर 2022) पूरे नहीं हुए थे। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट ब्यौरे के अभाव में जनशक्ति की पुन: तैनाती के संबंध में उत्तर का सत्यापन नहीं किया जा सका है।

**चित्र: 4.2 सीएसपी कुट्टूर में सिविल कार्य**

[51] *सीएसपी कुट्टूर- नौ माह के लिए औसत मासिक वेतन ₹5.46 लाख और सीएसपी चित्रदुर्ग- सात माह के लिए ₹5.68 लाख की दर से औसत मासिक वेतन*

### iii. पुराने संयंत्र और मशीनरी के निपटान

कुट्टूर और चित्रदुर्ग में सीएसपी में बदले जाने वाले पुराने संयंत्र और मशीनरी का मूल्य (दिसंबर 2020) ₹1.23 करोड़ (कुट्टूर: ₹83.34 लाख और चित्रदुर्ग: ₹39.55 लाख) था। इसका वसूली योग्य मूल्य ₹1.07 करोड़ आंका गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि केवीआईसी ने (मार्च 2022) सीएसपी कुट्टूर से केवल ₹16.97 लाख के उपकरणों का निपटान किया था। शेष उपकरणों के निपटान में विलंब से उनका वसूली योग्य मूल्य कम हो जाएगा।

**चित्र: 4.3 सीएसपी चित्रदुर्ग में पुराना संयंत्र और मशीनरी**

केवीआईसी ने (जुलाई 2022) उत्तर दिया कि सीएसपी कुट्टूर में शेष मशीनरी को नवीनीकरण पूरा होने के बाद बनाए रखा जाएगा और सीएसपी चित्रदुर्ग में आग लगने की दुर्घटना हो गई थी और वे पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया में हैं तथा जल्द से जल्द नीलामी शुरू करेंगे।

हालांकि, तथ्य यह है कि पुराने संयंत्र और मशीनरी के निपटान में विलंब से उनके वसूली योग्य मूल्य कम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, सीएसपी कुट्टूर में बिना बिकी मशीनरी को बनाए रखने के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि मौजूदा मशीनरी को प्रतिस्थापित करने की सिफारिश की गई थी क्योंकि वे बहुत पुरानी और अक्षम थीं, और इस प्रकार, मशीनरी को बनाए रखना उचित नहीं है।

### iv. मोबिलाइजेशन एडवांस

केवीआईसी ने जीएसटी, माल ढुलाई, बीमा आदि सहित कुल ₹23.46 करोड़ की लागत से पांच केंद्रीय पूनी संयंत्रों में उत्पादन मशीनरी की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए मैसर्स लक्ष्मी मशीन वर्क्स (ठेकेदार) को अधिप्राप्ति आदेश (नवंबर 2020) जारी किया। अधिप्राप्ति आदेश के अनुसार, अनुबंध नवंबर 2022 तक वैध रहना था और अग्रिम के 110 प्रतिशत की बैंक गारंटी के मुकाबले मूल मूल्य का 10 प्रतिशत अग्रिम के रूप में दिया जाना था। तदनुसार, केवीआईसी ने (जनवरी 2021) ₹1.88 करोड़ की अग्रिम राशि जारी की, जो कुल निविदा राशि का 10 प्रतिशत है। नवीनीकरण परियोजना के लिए

तकनीकी सलाहकार (राष्ट्रीय वस्त्र निगम) और संविदाकार के साथ हुई बैठक (दिसंबर 2020) के विवरण के अनुसार, उत्पादन के कुल ठहराव से बचने के लिए पहले चरण में केवल दो केंद्रीय पूनी संयंत्रों के लिए मशीनरी अधिप्राप्ति करने का निर्णय लिया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रारंभिक चरण में नवीनीकरण के लिए चुने गए दो केंद्रीय पूनी संयंत्रों में आवश्यक मशीनरी की अनुमानित लागत ₹6.93 करोड़ थी और 10 प्रतिशत अग्रिम राशि ₹69 लाख थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रारंभिक चरण में नवीनीकरण के लिए चुने गए दो केंद्रीय पूनी संयंत्रों में आवश्यक मशीनरी की अनुमानित लागत ₹6.93 करोड़ थी और 10 प्रतिशत अग्रिम राशि ₹69 लाख थी। हालांकि मशीनरी की आपूर्ति के लिए अग्रिम राशि जनवरी 2021 में ही जारी कर दी गई थी, लेकिन किसी भी केंद्रीय पूनी संयंत्र को मशीनरी (मार्च 2022) के साथ आपूर्ति नहीं की गई थी। इस प्रकार, सिविल कार्यों की खराब योजना और गैर-सिंक्रनाइज़ेशन के कारण आपूर्तिकर्ता को अनुचित वित्तीय लाभ दिया गया था क्योंकि व्यक्तिगत केन्द्रीय पूनी संयंत्रों के लिए विशिष्ट वितरण अवधि न तो अधिप्राप्ति आदेश में या अनुबंध समझौते में निर्दिष्ट की गई थी और केवल अनुबंध की वैधता की अवधि का उल्लेख किया गया था।

इसके अतिरिक्त, केवीआईसी परिपत्र (2012) के अनुसार, यदि अग्रिम राशि दी जानी है, तो ब्याज दर स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिए और अग्रिम भुगतान कार्य की प्रगति और अपेक्षित उपकरणों को जुटाने आदि के आधार पर चरणों में जारी किया जा सकता है। केवीआईसी अपने द्वारा निर्धारित अग्रिम स्वीकृति के लिए वित्तीय हितों की रक्षा के लिए समझौते में उचित शर्तों को शामिल करने में विफल रहा। समझौते में ब्याज खंड को शामिल न करने से 14 महीनों (मार्च 2022) में ₹10.75 लाख (4.9 प्रतिशत प्रति वर्ष[52] की दर से) की हानि हुई।

केवीआईसी/ मंत्रालय ने कहा कि मशीनरी की कुल लागत का 10 प्रतिशत अग्रिम (समझौते के अनुसार) करना आवश्यक था ताकि बोली में उल्लिखित मूल्य पर निर्धारित समय अवधि में इसे वितरित किया जा सके।

---

[52] ***सितंबर 2020 से सावधि जमा पर एसबीआई ब्याज दर।***

इस उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि ब्याज मुक्त अग्रिम देना केवीआईसी दिशानिर्देशों का उल्लंघन है, जिन पर समझौता करते समय विचार किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, चूंकि कार्य आदेश दो वर्षों के लिए जारी किया गया था, संविदाकार मूल्य में वृद्धि करके सहमत शर्तों को नहीं बदल सकता है। तथ्य यह है कि समझौते पर हस्ताक्षर करने के 18 माह (जुलाई 2022) से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मशीनरी की स्थापना नहीं हुई।

v. **उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि की हानि**

यह परिकल्पना की गई थी कि नवीनीकरण के परिणामस्वरूप केन्द्रीय पूनी संयंत्रों द्वारा उत्पादन में न्यूनतम 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी। प्रस्ताव 2015 में शुरू किए गए थे। यदि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उघम मंत्रालय से समय पर अनुमोदन प्राप्त हो जाता और केवीआईसी द्वारा परियोजना को समय पर पूरा किया जाता, तो केन्द्रीय पूनी संयंत्रों ने अनुमान के अनुसार अधिक उत्पादन प्राप्त किया होता। इस प्रकार, नवीनीकरण परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब के परिणामस्वरूप वर्ष 2018 में परिकल्पित केंद्रीय पूनी संयंत्रों के उत्पादन को न्यूनतम ₹11.15 करोड़[53] प्रति वर्ष तक बढ़ाने के अवसर की हानि हुई है।

केवीआईसी/ मंत्रालय ने (जुलाई/ अगस्त 2022) कहा कि नवीनीकरण के लिए आवश्यक मशीनरी के तकनीकी विनिर्देश के आकलन की प्रक्रिया फरवरी 2019 में धन प्राप्त होने के बाद ही शुरू की गई थी। यह भी कहा गया था कि निविदा, सिविल और विद्युत कार्य और पुरानी मशीनरी की नीलामी जैसे अन्य कार्यों में विलंब हुआ। उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि प्रारंभिक प्रस्ताव 2015 में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन तकनीकी अनुमान तैयार करने जैसे प्रारंभिक कार्य भी फरवरी 2019 में ही किए गए थे। इसके अतिरिक्त, केवीआईसी ने परियोजना को लागू करने के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया था।

***सिफारिश संख्या 7***

***लागत वृद्धि और उत्पादन घाटे को रोकने के लिए नवीनीकरण परियोजना को जल्द से जल्द लागू करने की आवश्यकता है।***

---

*[53] 2017-18 से 2020-21 के दौरान पांच केंद्रीय पूनी संयंत्रों के औसत वार्षिक उत्पादन का 20 प्रतिशत (यानी, ₹55.73 करोड़)*

### 4.4.2.3 उत्पादन दक्षता

केन्द्रीय पूनी संयंत्रों द्वारा उत्पादित रोविंग/पूनी की कम गुणवत्ता और अधिक मूल्य निर्धारण के संबंध में खादी संस्थानों से प्राप्त शिकायतों के मद्देनजर, केवीआईसी ने उत्पादन दक्षता और कार्यप्रणाली में सुधार के लिए केंद्रीय पूनी संयंत्रों द्वारा पालन की जाने वाली एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) (सितंबर 2017) जारी की थी। एसओपी में अन्य बातों के साथ-साथ, मशीनरी के नियमित और निवारक रखरखाव के लिए मासिक चेकलिस्ट तैयार करने, डीजल की खपत का आकलन करने के लिए ऊर्जा लेखापरीक्षा आयोजित करने और हैंडलिंग/खपत/चोरी में ईंधन की हानि को रोकने, सौर पैनलों की संस्थापना आदि सहित केन्द्रीय विद्युत संयंत्रों के कार्यकरण के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित अवलोकन किया:-

**i. उपकरणों के रखरखाव**

हाजीपुर और रायबरेली में केंद्रीय पूनी संयंत्रों ने मशीनरी का नियमित या निवारक रखरखाव नहीं किया था। यद्यपि सीहोर, चित्रदुर्ग और कुट्टूर स्थित केन्द्रीय पूनी संयंत्रों ने नियमित अनुरक्षण किया था, तथापि, निवारक अनुरक्षण मानक प्रचालन प्रक्रिया में निर्धारित नहीं किया गया था।

केवीआईसी/मंत्रालय ने कहा कि सीएसपी सीहोर में नियमित रखरखाव के साथ निवारक रखरखाव किया जा रहा था, लेकिन अलग से प्रलेखित नहीं किया गया था। उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि तकनीकी लेखापरीक्षा (मई 2019) ने सीएसपी सीहोर में निवारक रखरखाव की कमी को इंगित किया था। अन्य केन्द्रीय पूनी संयंत्रों के संबंध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था।

**ii. ऊर्जा लेखापरीक्षा**

मानक प्रचालन प्रक्रिया में यह निर्धारित किया गया था कि डीजल की खपत का निर्धारण करने और चोरी आदि के माध्यम से ईंधन की हानि को रोकने के लिए सभी केन्द्रीय पूनी संयंत्रों में ऊर्जा लेखापरीक्षा की जानी चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ऊर्जा लेखापरीक्षा केवल दो सीएसपी द्वारा की गई थी नामत: कुट्टूर और रायबरेली। सीएसपी रायबरेली के संबंध में, ऊर्जा लेखापरीक्षा (मार्च 2018) की गई थी और अनुबंध मांग को 200 केवीए से घटाकर 150 केवीए करने, उच्च वोल्टेज कैपेसिटर बैंक की स्थापना, एयर कंप्रेसर और

विभिन्न अन्य भागों/उपकरणों आदि को बदलने जैसी विभिन्न सिफारिशें की गई थीं। हालांकि, सीएसपी रायबरेली ने इन सिफारिशों को लागू नहीं किया। सिफारिशों के कार्यान्वयन से बिजली में खर्च में प्रति वर्ष ₹7.48 लाख की कमी हो सकती थी, जबकि अनुमानित निवेश ₹1.12 लाख का था। इस प्रकार, ऊर्जा लेखापरीक्षा सिफारिशों के कार्यान्वयन से ₹22.44 लाख[54] की बचत हो सकती थी।

केवीआईसी/मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

**iii. बिजली शुल्क का भुगतान**

सीएसपी हाजीपुर को बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसईबी) द्वारा 260 किलो वोल्ट एम्पीयर (केवीए) के कनेक्टेड लोड के साथ हाई टेंशन बिजली कनेक्शन (मार्च 1998) मंजूर किया गया था। बीएसईबी के नियमों के अनुसार, केन्द्रीय पूनी संयंत्र को अपनी लागत पर स्वीकृत लोड के 150 प्रतिशत की अधिकतम क्षमता वाला एक बिजली ट्रांसफार्मर स्थापित करना था। केन्द्रीय पूनी संयंत्र ने फिर भी, 500 केवीए की क्षमता वाला ट्रांसफार्मर स्थापित किया और परिणामस्वरुप बीएसईबी ने स्वीकृत लोड को 334 केवीए तक बढ़ा दिया। चूंकि केन्द्रीय पूनी संयंत्र द्वारा बिजली की खपत स्वीकृत भार से बहुत कम थी, 2000-01 से 2004-05 की अवधि के लिए ₹45.97 लाख के जुर्माने और ब्याज सहित न्यूनतम गारंटी शुल्क का भुगतान करना पड़ा। 2004 में, केन्द्रीय पूनी संयंत्र ने 200 केवीए की क्षमता वाले एक नए ट्रांसफार्मर को स्थापित करने के बाद स्वीकृत लोड को 180 केवीए तक कम कर दिया। आवश्यक भार का पुनर्मूल्यांकन (अगस्त 2008) 134 केवीए के रूप में किया गया था। केन्द्रीय पूनी संयंत्र ने (अगस्त 2008) बीएसईबी से लोड को 134 केवीए तक कम करने का अनुरोध किया लेकिन अभी (दिसंबर 2021) भी ऐसा होना बाकी है। अगस्त 2008 से दिसंबर 2021 की अवधि के लिए लोड में कमी न होने के कारण किया गया अतिरिक्त व्यय ₹15.20 लाख था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि केन्द्रीय पूनी संयंत्र ने 2001-02 से 2020-21 की अवधि के दौरान आवश्यकता से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर की स्थापना और बिजली भार के अविवेकपूर्ण आकलन के कारण ₹61.17 लाख का परिहार्य व्यय किया।

---

*[54] तीन वर्ष - 2018-19 से 2020-21*

केवीआईसी/मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022/अगस्त 2022) कि प्रस्तावित नवीनीकरण पूरा होने तक अनुबंध की मांग को मौजूदा स्तर पर बनाए रखना आवश्यक था। उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जा सकता है यह कि यह उच्च क्षमता के साथ बिजली ट्रांसफार्मर की स्थापना और बिजली लोड आवश्यकता के गलत आकलन के बारे में निरुत्तर है। आगे, भार में कमी का प्रस्ताव अगस्त 2008 में प्रस्तुत किया गया था जबकि नवीनीकरण परियोजना को सितंबर 2018 में ही मंजूरी दी गई थी।

**iv. सौर पैनल**

सितंबर 2017 में जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, सभी संयंत्र प्रबंधकों को ऊर्जा बचाने के लिए जल्द से जल्द सौर ऊर्जा पैनलों की स्थापना सुनिश्चित करनी होगी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि किसी भी केन्द्रीय पूनी संयंत्र ने सौर पैनल स्थापित नहीं किए हैं। हालांकि सीएसपी रायबरेली ने सौर ऊर्जा पैनलों की स्थापना के लिए प्रस्ताव (दिसंबर 2016) भेजा था, आगे कोई प्रगति नहीं देखी गई।

केवीआईसी/मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022/अगस्त 2022) कि खादी कच्चा माल निदेशालय को सोलर पैनल लगाने के लिए प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं।

तथ्य यह है कि सौर पैनलों की स्थापना के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया में केन्द्रीय पूनी संयंत्रों द्वारा पांच साल बाद भी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया।

***सिफारिश संख्या 8***

***केन्द्रीय पूनी संयंत्र उत्पादन दक्षता में सुधार लाने के लिए केवीआईसी अनुदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करे जैसे कि नियमित और निवारक अनुरक्षण करना, ऊर्जा लेखापरीक्षा में लाई गई सिफारिशों को कार्यान्वित करना, सौर पैनलों की स्थापना करना आदि।***

### 4.4.3 केन्द्रीय पूनी संयंत्रों में परीक्षण प्रयोगशालाओं का अल्प प्रयोग

खादी संस्थानों और खादी ग्रामोघोग भवनों द्वारा भेजे गए कपड़ों का केन्द्रीय पूनी प्लांट प्रयोगशालाओं में परीक्षण[55] किया जाता है ताकि खादी (कपास, ऊन, रेशम, पॉली या मिश्रण) की मौलिकता की जांच की जा सके। केन्द्रीय पूनी संयंत्र में निर्मित रोविंग और स्लिवर का परीक्षण भी प्रयोगशालाओं में किया जाता है। मानक संचालन प्रक्रिया (सितंबर 2017) के अनुसार बैठक में केन्द्रीय पूनी संयंत्रों की परीक्षण प्रयोगशालाओं का पूरा उपयोग करने का निर्णय लिया गया और केवीआईसी को उत्पादों की आपूर्ति करने वाले सभी खादी संस्थानों को निर्देश दिया गया कि वे केन्द्रीय पूनी संयंत्रों में अपने कपड़े का परीक्षण करें। आगे, खादी ग्रामोघोग भवनों को निर्देश दिया गया था कि वे केन्द्रीय पूनी प्लांट की परीक्षण प्रतिवेदन के साथ खादी संस्थानों से कपड़े को स्वीकार करें। खादी उत्पादों के नमूनों के परीक्षण में कमी का पैराग्राफ 4.2 में व्याख्या किया गया है।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित का अवलोकन किया:

i. 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान हाजीपुर और कुट्टूर के सीएसपी ने अपनी प्रयोगशालाओं में कोई परीक्षण नहीं किया और सीएसपी रायबरेली ने केवल एक परीक्षण किया।

ii. सीएसपी सीहोर में कपड़े, रोविंग और स्लिवर के परीक्षण के लिए एक परिचालन परीक्षण प्रयोगशाला थी जिसमें एक दिन में तीन परीक्षण करने की क्षमता थी अर्थात एक वर्ष में 831 कपड़ों[56] का परीक्षण किया जा सकता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2017-18 से 2020-21 के दौरान वास्तविक वार्षिक परीक्षण 29 से 183 परीक्षणों के बीच था अर्थात, क्षमता का केवल 22 प्रतिशत[57] तक।

iii. सीएसपी, चित्रदुर्ग में 2017-18 से 2020-21 के दौरान वास्तविक वार्षिक परीक्षण 5 से 85 परीक्षणों के बीच था अर्थात, क्षमता का 10 प्रतिशत तक।

---

*[55] खादी उत्पादों में लेन-देन करने के लिए सभी खादी संस्थानों को खादी मार्क प्राप्त करना आवश्यक है। खादी मार्क विनियम 2013 के अनुसार, खादी उत्पादों के नमूनों का परीक्षण केंद्र या राज्य सरकारों के साथ पंजीकृत किसी भी प्रयोगशाला में किया जा सकता है।*

*[56] एक महीने में 26 कार्य दिवसों और एक वर्ष में 35 छुट्टियों/छुट्टियों (एक महीने में 26 दिन x 12 महीने - 35 दिन) पर विचार करने के बाद 277 कार्य दिवसों के लिए प्रति दिन तीन परीक्षण।*

*[57] 22 प्रतिशत = 183/831 x100*

केन्द्रीय स्लिवर संयंत्रों में परीक्षण प्रयोगशालाओं के कम उपयोग के कारणों का प्रबंधन द्वारा उल्लेख नहीं किया गया था।

केवीआईसी/मंत्रालय (जुलाई 2022/अगस्त 2022) कहा कि राज्य/मंडल निदेशकों को और अधिक खादी संस्थानों से नमूने परीक्षण के लिए केन्द्रीय पूनी संयंत्रों में भेजने के लिए कहा जा रहा था। इन निर्देशों के बावजूद, तथ्य यह है कि केवीआईसी प्रबंधन यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि खादी संस्थान अपने उत्पादों का परीक्षण केन्द्रीय स्लिवर संयंत्र में करवाते हैं जिससे अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सके।

केवीआईसी/मंत्रालय ने आगे (अगस्त 2022) कहा कि खादी संस्थानों द्वारा केवीआईसी के अतिरिक्त अन्य खरीदारों को बेचे जा रहे खादी उत्पादों के लिए केन्द्रीय पूनी संयंत्र प्रयोगशालाओं में परीक्षण अनिवार्य नहीं था। उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि लेखापरीक्षा अवलोकन प्रयोगशालाओं के कम उपयोग पर है और केवीआईसी यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि खादी ग्रामोघोग भवनों/सरकारी विभागों को उत्पादों की आपूर्ति करने वाले खादी संस्थानों ने मानक प्रचालन प्रक्रिया/परिपत्र द्वारा यथा अपेक्षित केन्द्रीय स्लिवर संयंत्र प्रयोगशालाओं से परीक्षण प्रमाण-पत्र प्राप्त किए थे। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि खादी ग्रामोघोग भवन पैराग्राफ 4.2 में दिए गए विवरण के अनुसार पर्याप्त रूप से परीक्षण न करके खादी उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं।

***सिफारिश संख्या 9***

***केवीआईसी यह सुनिश्चित करे कि केवीआईसी को खादी उत्पादों की आपूर्ति करने वाले खादी संस्थान निर्धारित मानदंडों के अनुसार केन्द्रीय पूनी संयंत्रों से परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करें जिससे गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ-साथ उपलब्ध परीक्षण क्षमता का उपयोग किया जा सके।***

***सिफारिश संख्या 10***

***केवीआईसी उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र में भी बेचे जाने वाले खादी उत्पादों के नमूना परीक्षण के लिए एक प्रक्रिया तैयार कर सकता है।***

### 4.4.4 अधिशेष भूमि का उपयोग

सितंबर 2017 में जारी केन्द्रीय पूनी संयंत्रों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की गई कि सीएसपी चित्रदुर्ग और सीहोर में उपलब्ध अधिशेष भूमि का उपयोग अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के लिए किया जाना चाहिए। यह निर्देश दिया गया था कि अतिरिक्त भूमि का उपयोग शहद मिशन[58] के लिए परिसर में तुलसी और मुरुंगा (ड्रमस्टिक्स) पौधों को उगाकर और मधुमक्खी कॉलोनियों के साथ मधुमक्खी बक्से स्थापित किये जाएंगे, जिसमें योग्य कृषि वैज्ञानिक उच्च गुणवत्ता वाले शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों का उत्पादन करने के लिए परिसर में वनस्पति समूह-प्राणिता की रचना के लिए ब्लू प्रिंट तैयार करेंगे। इस संबंध में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि चित्रदुर्ग और सीहोर के सीएसपी में, परिकल्पित पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी अतिरिक्त आय उत्पन्न नहीं की जा सकी, मधुमक्खी कॉलोनियों के मधुमक्खी बक्से की आपूर्ति नहीं की गई और शहद का उत्पादन शुरू नहीं हुआ।

केवीआईसी/मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2021/अगस्त 2022) कि हनी मिशन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए मधुमक्खी कॉलोनियों के साथ मधुमक्खी बक्से प्रदान करने के लिए इस मामले को वन आधारित उद्योग निदेशालय, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई के साथ उठाया जाएगा। उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि केवीआईसी द्वारा योजना का कार्यान्वयन न किए जाने का कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

### 4.4.5 निरर्थक व्यय और किराया की गैर-प्राप्ति

केवीआईसी ने विशेष रोजगार कार्यक्रम को लागू करने के लिए बिहार के सहरसा जिले में तैनात नए मॉडल चरखों को स्लीवर/रोविंग प्रदान करने हेतु एक केन्द्रीय पूनी संयंत्र स्थापित करने के लिए ₹2.40 करोड़ की लागत से भवनों सहित भूमि का एक टुकड़ा (1992) खरीदा। फिर भी, अगस्त 1999 में, केवीआईसी ने सहरसा में एक केन्द्रीय पूनी संयंत्र स्थापित करने के विचार को रोकने का फैसला किया और उक्त भूमि की एकमुश्त बिक्री के लिए प्रयास किए। चूंकि केवीआईसी भूमि और भवन को बेचने में असमर्थ था, इन्हें जिला कलेक्टर द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सहरसा को ₹1.47 लाख प्रति माह के

---

[58] ***मधुमक्खी पालन गतिविधियों को बढ़ावा देने और लाभार्थियों को मधुमक्खी बक्से, जीवित मधुमक्खी कॉलोनियां, टूल किट और प्रशिक्षण प्रदान करके आत्मनिर्भर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए केवीआईसी द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम।***

किराये के मूल्य पर पांच साल के लिए किराए पर दिया गया था, जिसमें हर साल पांच प्रतिशत की दर से किराए पर वार्षिक वृद्धि थी।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित का अवलोकन किया:

- लीज समझौते का निष्पादन अभी भी लंबित (अगस्त 2022) है।
- आईटीआई, सहरसा द्वारा केवीआईसी को कोई किराया राशि का भुगतान नहीं किया गया था, जिसके कारण आईटीआई, सहरसा द्वारा देय लंबित राशि जुलाई 2022 तक ₹3.46 करोड़ थी।
- सीएसपी सहरसा की स्थापना के लिए किए गए ₹2.40 करोड़ के व्यय ने विशेष रोजगार कार्यक्रम के उद्देश्य को पूरा नहीं किया।
- सीएसपी हाजीपुर (सहरसा के प्रशासनिक नियंत्रक) द्वारा 2007-08 से 2020-21 की अवधि के लिए किए गए ₹32.20 लाख की सुरक्षा, बीमा और अन्य खर्चों पर व्यय उचित नहीं है क्योंकि इन संपत्तियों को किराए पर दिया गया था।

केवीआईसी/मंत्रालय ने (जुलाई 2022/अगस्त 2022) कहा कि किराए से संबंधित मामला अपीलीय प्राधिकारी, सहरसा के पास विचाराधीन था।

उत्तर में विशेष रोजगार कार्यक्रम के लिए भूमि और भवन के विपथन, किराए की गैर-प्राप्ति और रखरखाव व्यय के लिए परिहार्य व्यय की व्याख्या नहीं की गई है।

## 4.5 खादी ग्रामोघोग भवनों और केन्द्रीय पूनी संयंत्रों के अतिरिक्त विभागीय व्यापारिक इकाइयों द्वारा खरीद और उत्पादन

2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान, खादी ग्रामोघोग भवनों और केन्द्रीय पूनी संयंत्रों के अलावा छह[59] विभागीय व्यापारिक इकाइयों ने ₹55.18 करोड़ के व्यापारिक उत्पादों और कच्चे माल की कुल खरीद की। इन इकाइयों द्वारा की गई खरीद के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है।

---

[59] *छह विभागीय ट्रेडिंग इकाइयां अर्थात् क्षेत्रीय सीमा विकास कार्यालय (आरबीडीओ), बाड़मेर, कोकून खरीद, रांची, केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (सीबीआरटीआई), पुणे, हस्तनिर्मित पेपर संस्थान (एचएमपीआई), मुंबई और मल्टी-डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग सेंटर (एमडीटीसी), डहाणू, और स्वीकृत निविदा आपूर्ति, मुंबई।*

### 4.5.1 क्षेत्रीय सीमा विकास कार्यालय (आरबीडीओ), बाड़मेर

इस इकाई की स्थापना राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में उत्पादन बढ़ाने एवं अनुवर्ती रोजगार सृजन तथा कारीगरों के कमाई को बढ़ाने के लिए की गई थी।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

i. इकाई ने न तो वार्षिक खरीद योजना तैयार की थी और न ही खादी उत्पादक संस्थानों की सूची रखी थी और न ही आपूर्तिकर्ताओं के साथ समझौते किए थे। आगे, यह भी देखा गया कि खरीद समिति का गठन नहीं किया गया था और खादी उत्पादों को लिखित आदेश के बिना खरीदा गया था। चालान-वार भुगतान के बजाय 13 आपूर्तिकर्ताओं को नियमित आधार पर ₹1.27 करोड़ का एकमुश्त भुगतान किया गया था।

केवीआईसी/मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022/अगस्त 2022) कि समय-समय पर गठित खरीद समितियों के निर्णयों के अनुसार खरीद की गई थी। यह भी कहा गया था कि इकाई आपूर्तिकर्ता-वार खातों का रखरखाव कर रही है और बकाया राशि के आधार पर भुगतान किया जाता है।

जवाब की पुष्टि नहीं की जा सकी क्योंकि केवीआईसी खरीद समिति की बैठकों के ब्योरे और भुगतान विवरण से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका। आगे, खरीद समिति द्वारा कोई भी अनुमोदन इकाई को अनुमोदित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर सकता है।

ii. खरीद रजिस्टर की समीक्षा से पता चला कि वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान 13 खादी संस्थानों से ₹1.27 करोड़ की पर्याप्त खरीद की गई। 2017-21 के दौरान, बीकानेर जिले में स्थित संस्थानों ने राजस्थान में खादी संस्थानों से कुल खरीद का 82.70 प्रतिशत अर्थात ₹1.05 करोड़ मूल्य के सामानों की आपूर्ति की जिसमें एक आपूर्तिकर्ता भी शामिल था जिसने कुल खरीद का 30.31 प्रतिशत (₹38.20 लाख) की आपूर्ति की। बाड़मेर जिले और इसके आस-पास के जिलों (जैसलमेर, जोधपुर और जालौर) के किसी भी खादी संस्थान से ₹0.47 लाख की एकमात्र खरीद को छोड़कर कोई खरीद नहीं की गई थी। हालांकि पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की कोई सूची नहीं मिली, फिर भी, लेनदारों की सूची से, ऐसा प्रतीत होता है कि 40 से अधिक खादी संस्थानों ने वर्षों से आरबीडीओ को माल की आपूर्ति की है। इस तथ्य को आरबीडीओ बाड़मेर की स्थापना के औचित्य के संदर्भ में देखा

जाना चाहिए अर्थात, खादी उत्पादन द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सीमावर्ती जिलों के निवासियों को खादी संस्थान क्षेत्र में लाभकारी रोजगार प्रदान करना।

एक विशिष्ट जिले में स्थित सीमित संख्या में आपूर्तिकर्ताओं से महत्वपूर्ण मात्रा में माल की खरीद का बाड़मेर और अन्य आसपास के जिलों के निवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार और रोजगार के अवसरों पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

केवीआईसी/मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022/अगस्त 2022) कि बाड़मेर और आसपास के जिलों में स्थित खादी संस्थाओं द्वारा उत्पादन में कमी के कारण अन्य जिलों में खादी संस्थाओं से खरीद की गई।

तथ्य, फिर भी, यह बना हुआ है कि खरीद एक विशिष्ट क्षेत्र में और आपूर्तिकर्ताओं की सीमित संख्या के साथ केंद्रित थी। आगे, बाड़मेर जिले में उत्पादन/खरीद बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में उत्तर निरुत्तर है।

iii. आरबीडीओ बाड़मेर उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगातार विफल रहा है। 2017-18 से 2020-21 के दौरान लक्ष्यों की प्राप्ति 9.61 प्रतिशत से 19.13 प्रतिशत के बीच थी। आरबीडीओ बाड़मेर के अंतर्गत 16 उत्पादन केंद्रों में से, जनवरी 2022 तक केवल दो केंद्र अर्थात शास्त्री ग्राम (बाड़मेर) और वैकुंठ ग्राम (जैसलमेर), इन केंद्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक मल्टी टास्किंग स्टाफ के साथ कार्यात्मक थे।

केवीआईसी/मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2022) कि उत्पादन बढ़ाने के लिए वितरित किए गए नए मॉडल चरखे से उत्पादन 2018-19 में ₹19.13 लाख, 2019-20 में ₹12.02 लाख और 2017-18 में ₹6.82 लाख से बढ़कर 2020-21 में ₹21.42 लाख हो गया है फरवरी 2019 में बहु-अनुशासनात्मक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया था, स्पिनरों और बुनकरों को प्रशिक्षित किया जा रहा था और उत्पादन प्रक्रिया से जोड़ा जा रहा था। केवीआईसी से अप्रैल 2019 और अगस्त 2020 में अतिरिक्त जनशक्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि हालांकि पिछले तीन वर्षों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, यह ₹1.25 करोड़ के लक्ष्य के आसपास भी नहीं था और परिकल्पित व्यापक पुनरुद्धार कदम अभी तक नहीं उठाए गए हैं।

### 4.5.2 कोकून खरीद, रांची

यह इकाई रेशम कोकून खरीदती है और उन्हें रेशम उत्पादन[60] इकाइयों को आपूर्ति करती है। केवीआईसी ने कच्चे माल की खरीद नीति पर पिछले सभी परिपत्रों की जगह कपास, ऊन और रेशम के कच्चे माल की खरीद की पद्धति को अनुमोदित (अप्रैल, 2013) किया। 2017-18 से 2020-21 के दौरान इकाई द्वारा ₹35 लाख की खरीद की गई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि हालांकि केवीआईसी को रेशम खरीद की पद्धति को सरकारी एजेंसियों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, खादी संस्थानों ने केवल खुले बाजार[61] से कोकून खरीदा। क्रय समिति का गठन नहीं किया गया था। कोकून की खरीद पर खादी संस्थाओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं/गांठों के उचित स्टॉक एंट्री और उचित पारगमन और पर्याप्त स्टॉक बीमा की प्रणाली को रांची स्थित केवीआईसी के राज्य कार्यालय द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

केवीआईसी/मंत्रालय ने (जुलाई 2022/अगस्त 2022) कहा कि खरीद समिति का गठन किया गया था और निजी आपूर्तिकर्ताओं से खरीद केवल तभी की गई थी जब आवश्यक विनिर्देश के कोकून उपलब्ध नहीं थे। उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि केवीआईसी ने सरकारी एजेंसियों के पास आवश्यक विनिर्देश के रेशम कोकून की अनुपलब्धता के लिए कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया था। आगे लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार, खरीद समिति का गठन नहीं किया गया था और प्रशासनिक अनुमोदन के लिए प्रलेखन उचित प्रारूप में नहीं था। अनुमोदन प्रक्रिया में अनुमोदन अधिकारी के नाम और पदनाम को दर्ज किए बिना चालान पर हस्ताक्षर करना शामिल था और इसलिए वैधता की कमी थी।

### 4.5.3 केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पुणे

इस इकाई की स्थापना, मधुमक्खी पालकों से खरीदे गए कच्चे शहद के प्रसंस्करण और बोतलबंद शहद बेचने के लिए की गई थी। यह इकाई शहद उत्पादन के संबंध में प्रशिक्षण और परीक्षण सुविधाएं भी प्रदान कर रही है। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित का अवलोकन किया:

---

*[60] रेशम उत्पादन के लिए रेशम कीटों की खेती रेशम उत्पादन है।*

*[61] कृषि उपज मंडी समिति में किसान/एजेंट।*

#### 4.5.3.1 गुणवत्ता आश्वासन

चूंकि इकाई ने पिछले दो वर्षों के दौरान केवीआईसी को अनुमोदन के लिए खरीद समिति की बैठकों का कार्यवृत्त नहीं भेजा था, केवीआईसी ने खेप के आधार पर शहद की खरीद के लिए एक खरीद समिति (अगस्त 2018) का गठन (अगस्त 2018) किया। शहद की गुणवत्ता आश्वासन/परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए, समिति ने फैसला किया कि खेप की खरीद करते समय, परीक्षण उद्देश्य के लिए प्रत्येक खेप से बोतलबंद शहद का नमूना लिया जाना चाहिए। फिर भी, यह देखा गया कि खरीद समिति द्वारा लिए गए निर्णय का उल्लंघन करते हुए, इकाई ने अपनी परीक्षण प्रयोगशाला होने के बावजूद 2017-18 से 2020-21 के दौरान विभिन्न खादी संस्थानों से खरीदे गए शहद पर एक भी परीक्षण नहीं किया। आगे आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई शहद की परीक्षण प्रतिवेदन विश्वसनीय नहीं थी क्योंकि परीक्षण प्रयोगशाला ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि नमूना इसके द्वारा नहीं लिया गया था जिसे करने की भी आवश्यकता थी। इस प्रकार, इकाई ने यह सुनिश्चित नहीं किया था कि नमूने उसी लॉट से लिए गए थे, जिसकी आपूर्ति की गई थी।

केवीआईसी/मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022/अगस्त 2022) कि तकनीकी जनशक्ति की अनुपलब्धता के कारण रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में नमूनों का परीक्षण नहीं किया गया था। उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि यह केवीआईसी की जिम्मेदारी थी कि वह परीक्षण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करने के बाद अपने आउटलेट के माध्यम से बेचे जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करे।

#### 4.5.3.2 शहद प्रसंस्करण संयंत्र

शहद प्रसंस्करण संयंत्र पानी की मात्रा को कम करके और अन्य निर्धारित मापदंडों को बनाए रखते हुए कच्चे शहद को विपणन योग्य उत्पाद में परिवर्तित करता है। 2011 तक, इकाई मधुमक्खी पालकों से कच्चा शहद इकट्ठा कर रही थी और अपने परिसर से जुड़े शो रूम के माध्यम से संसाधित और बोतलबंद शहद बेच रही थी। 2011 से, इकाई ने उत्पादन/प्रसंस्करण गतिविधियों को बंद कर दिया था और केवल खेप की बिक्री में लगी हुई थी। यह व्यापारिक गतिविधि आपूर्तिकर्ताओं से कमीशन (औसतन 40 प्रतिशत) वसूलने के बाद बाहरी फर्मों को अपने शहद उत्पादों को बेचने के लिए अपने शो रूम में जगह प्रदान करने तक सीमित थी। फरवरी 2017 में, इकाई ने "नवाचार, ग्रामीण उद्योग और

उद्यमिता को बढ़ावा देने की योजना (एस्पायर)[62]" के तहत स्वीकृत धन के साथ मेसर्स तिवाना बी फार्म, लुधियाना से एक नया संयंत्र खरीदा। एस्पायर योजना के अंतर्गत संयंत्र के लिए स्वीकृत कुल बजट ₹29 लाख था। बॉटलिंग इकाई की खरीद नहीं होने के कारण इकाई ने केवल ₹15.77 लाख का उपयोग किया था। अप्रैल 2017 में यह आकलन करने के लिए परीक्षण किए गए थे कि क्या संयंत्र नमी में कमी और एचएमएफ[63] में वृद्धि के संबंध में निर्धारित मापदंडों को प्राप्त कर सकता है। संयंत्र परीक्षण में और जुलाई तथा अगस्त 2018 में किए गए बाद के परीक्षणों में बेंचमार्क हासिल करने में विफल रहा। शहद प्रसंस्करण संयंत्र आवश्यक विनिर्देशों के अनुसार प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होने के बावजूद, आपूर्तिकर्ता को संयंत्र (मार्च 2019) के लिए पूरी राशि (₹15.77 लाख) का भुगतान किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि संयंत्र का उपयोग जुलाई 2019 तक 3,000 किलोग्राम कच्चे शहद (परीक्षणों सहित) के प्रसंस्करण के लिए किया गया था और अगस्त 2019 से निष्क्रिय पड़ा हुआ है। आगे इस योजना के तहत धन उपलब्ध होने के बावजूद बॉटलिंग प्लांट को नहीं खरीदने के कारण जो आवश्यक थे, यदि इकाई संसाधित और बोतलबंद शहद बेचना शुरू करना चाहती थी, अभिलेख में नहीं थे।

इकाई द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि इसने संयंत्र की निष्क्रियता अवधि के दौरान कोई आवधिक रखरखाव गतिविधि नहीं की है। इतनी लंबी अवधि के लिए आवधिक रखरखाव के बिना संयंत्र का उपयोग न करने से मशीनरी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार, संयंत्र पर किए गए ₹15.77 लाख के पूरे व्यय को निरर्थक बना दिया गया क्योंकि इकाई ने संयंत्र का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया था।

केवीआईसी/मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022/अगस्त 2022) कि संयंत्र का उपयोग केवल प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए किया जा रहा था क्योंकि बार-बार विज्ञापन दिए जाने के बावजूद, राज्य के स्थानीय मधुमक्खी पालक दूरस्थ स्थानों से पुणे तक कच्चे शहद के परिवहन की लागत, परीक्षण लागत, पुणे में लोडिंग अनलोडिंग, बॉटलिंग, पैकिंग आदि के लिए उच्च श्रम लागत जैसे कारणों से शहद के प्रसंस्करण की सुविधा का लाभ उठाने के लिए आगे

---

*[62] मार्च 2015 में शुरू की गई एस्पायर योजना का उद्देश्य उद्यमिता में तेजी लाने और कृषि उद्योग में नवाचार और उद्यमिता के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित करना था।*

*[63] एचएमएफ (हाइड्रोक्सीमिथाइलफुरल) का उपयोग शहद में गर्मी और भंडारण परिवर्तन के संकेतक के रूप में किया जाता है। एचएमएफ एक एसिड की उपस्थिति में फ्रुक्टोज के टूटने से बनता है। गर्मी इस प्रतिक्रिया की गति को बढ़ाती है।*

नहीं आते हैं। यह भी आश्वासन दिया गया था कि इकाई संयंत्र का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करेगी। उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि संयंत्र की स्थापना से पहले स्थान की दूरस्थता, उत्पादकों की अनुपलब्धता आदि पर विचार किया जाना चाहिए था।

***सिफारिश संख्या 11***

***केवीआईसी मधुमक्खी पालकों के साथ गठजोड़ और परिवहन की व्यवस्था करके वर्तमान स्थल पर कच्चे शहद की आपूर्ति सुनिश्चित करने जैसे विकल्पों की खोज करके इच्छित उद्देश्यों के लिए शहद प्रसंस्करण संयंत्र का उपयोग करे। केवीआईसी निर्धारित परीक्षण प्रक्रियाओं का पालन करके अपने आउटलेट के माध्यम से बेचे जाने वाले शहद उत्पादों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करे।***

### 4.5.4 बहु-विषयक प्रशिक्षण केंद्र, डहाणू

यह इकाई कारीगरों को कताई, बुनाई आदि जैसे विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करती है, और उत्पादन और व्यापारिक गतिविधियों को भी अंजाम देती है। इकाई का ग्रामीण अभियांत्रिकी उद्योग प्रभाग बिक्री के लिए नए मॉडल चरखे को इकट्ठा करता है और पाम गुर उद्योग प्रभाग पाम गुर[64] तथा नीरा के उत्पादन एवं बिक्री में लगा हुआ है। फिर भी, 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान, पाम गुर उद्योग प्रभाग ने पाम गुर का उत्पादन या प्रक्रिया नीरा का उत्पादन नहीं किया। उनकी गतिविधि बाहरी एजेंसियों से खरीदी गई नीरा की पैकिंग और बिक्री तक ही सीमित थी।

केवीआईसी की "सहयोग योजना"[65] के हिस्से के रूप में, बहु-विषयक प्रशिक्षण केंद्र, डहाणू ने राज्य कार्यालय, केवीआईसी, जम्मू को ₹28.52 लाख की लागत से 100 की संख्या में '8 स्पिंडल न्यू मॉडल चरखों' की आपूर्ति की। राज्य निदेशक (जम्मू और कश्मीर), केवीआईसी द्वारा यह सूचित किया गया था कि नए मॉडल चरखों को पालने और एप्रन

---

*[64] पाम गुड़ वो गुड़ है जिसे ताड़ के रस से बनाया जाता है।*

*[65] केवीआईसी ने खादी के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) मोड के तहत "सहयोग योजना" (2017) शुरू की और इसमें इस अभियान के तहत अतिरिक्त बेरोजगार पुरुषों और महिलाओं को शामिल किया गया, जिन्हें खादी कताई के लिए प्रशिक्षण और मुफ्त 8-स्पिंडल एनएमसी चरखा प्रदान किया जाएगा और लाभकारी रोजगार मिलेगा। इन व्यक्तियों को प्रशिक्षण, कच्चे माल, विपणन सहायता आदि के संदर्भ में पिछड़ा लिंकेज प्रदान करने के लिए पास के खादी संस्थानों या इच्छुक गैर सरकारी संगठनों से जोड़ा जाएगा।*

के साथ ठीक से फिट नहीं किया गया था और मध्य शीर्ष रोल जो एप्रन के साथ फिट किया गया था, रबर लेपित (धातु या टेफ्लॉन के बजाय) था, जिसमें अच्छे से चलने के लिए नाली नहीं थी। दोषों को सुधारने के लिए बहु-अनुशासनात्मक प्रशिक्षण केंद्र, दहाणू द्वारा भेजे गए तकनीशियनों ने केवीआईसी के राज्य निदेशक से असहमति व्यक्त की और निर्देशों का पालन नहीं किया। आगे तकनीशियन निर्देश के अनुसार अधिष्ठापन कार्य को पूरा किए बिना चले गए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि बहु-अनुशासनात्मक प्रशिक्षण केंद्र, डहाणू ने चार अवसरों[66] पर लेह में स्थापना और प्रशिक्षण के लिए तकनीकी कर्मचारियों को भेजा और तकनीकी यात्राओं पर कुल ₹2.49 लाख व्यय किए। फिर भी, लद्दाख क्षेत्र में कारीगरों को नए मॉडल चरखों और करघों की आपूर्ति पर किया गया व्यय निरर्थक रहा क्योंकि उपकरण अभी भी बेकार (अगस्त 2022) पड़े हैं।

केवीआईसी/मंत्रालय ने (जुलाई 2022/अगस्त 2022) कहा कि राज्य निदेशक, जम्मू द्वारा धातु एप्रन के पालना, एप्रन और मध्य शीर्ष रोल जैसे आवश्यक भागों को बदलने और फिट करने के संबंध में सौंपे गए कार्य को निर्देशों के अनुसार पूरा किया गया था।

उत्तर दस्तावेजों के साथ समर्थित नहीं था और चरखों की स्थिति पर भी मौन था जोकि स्थापना और प्रशिक्षण संबंधी मुद्दों के कारण बेकार पड़े थे। तथ्य यह है कि उपकरणों पर किया गया व्यय बेकार रहा।

---

[66] ***मई 2019, जुलाई 2021, अगस्त 2021 और सितंबर 2021***

# अध्याय V

# विभागीय व्यापारिक इकाइयों द्वारा विपणन और बिक्री

# अध्याय V
# विभागीय व्यापारिक इकाइयों द्वारा विपणन और बिक्री

विभागीय व्यापारिक इकाइयों द्वारा खादी और ग्रामोघोग उत्पादों[67] के विपणन और बिक्री की निगरानी खादी ग्रामोघोग भवनों और सरकारी आपूर्ति के मामले में विपणन निदेशालय द्वारा, केन्द्रीय पूनी संयंत्रों (सीएसपी) के मामले में खादी कच्चे माल के निदेशालय द्वारा और अन्य विभागीय व्यापारिक इकाइयों के मामले में संबंधित निदेशालयों द्वारा की जाती है।

## 5.1 खादी और ग्रामोघोग आयोग द्वारा विपणन पहल

विपणन निदेशालय, केवीआईसी स्थायी वित्त समिति (एसएफसी[68]) द्वारा तैयार और अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार खादी और ग्रामोघोग उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से परियोजनाओं और योजनाओं को कार्यान्वित करता है। 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान, निदेशालय ने कई विपणन पहल को लागू करने का प्रयास किया जिसमें शामिल हैं:

क) खादी सुधार विकास कार्यक्रम (केआरडीपी) के अंतर्गत ई-कॉमर्स, बाजार सर्वेक्षण, उत्पाद सूची और स्वाच बुक का विकास।

ख) विपणन परामर्शदाताओं की भर्ती, फ्रेंचाइजी योजना का कार्यान्वयन और खादी कोर्नर्स का सृजन, खादी प्लाजा का निर्माण और बाजार संवर्धन विकास सहायता (एमपीडीए) के अंतर्गत बिक्री केन्द्रों का नवीकरण।

ग) बिक्री संवर्धन के लिए कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॅन के माध्यम से ऑनलाइन बिक्री को व्यापक बनाने के प्रयास और खादी ट्रेडमार्क के पंजीकरण जैसी अन्य पहल।

---

*[67] खादी यार्न, कपड़े और वस्त्र, सूती रोविंग और पूनी, पॉलीवस्त्र और ग्रामोघोग उत्पाद जैसे शहद, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, मसाले और कॉनडिमेंट्स, हर्बल सौंदर्य उत्पाद आदि।*

*[68] केवीआईसी का एसएफसी केवीआईसी अधिनियम-1956 की धारा 19 ए के तहत आयोग के सदस्यों में से और केवीआईसी के सीईओ और वित्तीय सलाहकार के पदेन सदस्यों के रूप में गठित किया गया है। एसएफसी वार्षिक बजट और वार्षिक कार्य योजनाओं आदि को मंजूरी देता है, जिसमें वित्तीय व्यय शामिल होता है।*

खादी और ग्रामोघोग उत्पादों, उत्पाद सूची, निर्यात खिड़की, आभासी बाजार आदि एवं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की स्थापना के लिए खादी सुधार विकास कार्यक्रम (केआरडीपी) निधि से ₹19.30 करोड़ की राशि आवंटित (जुलाई 2019) की गई थी।

### 5.1.1 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का विकास

केवीआईसी ने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) आधार पर खादी और ग्रामोघोग उत्पादों के ऑनलाइन विपणन के लिए एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के विकास और संचालन के लिए प्रस्ताव (आरएफपी) जारी किया, जिसमें डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) मॉडल 10 वर्ष के रियायत अवधि के साथ अपनाया गया, जो रियायतग्राही के विकल्प पर अतिरिक्त 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता था। रियायतग्राही केवीआईसी को रॉयल्टी के रूप में बिक्री राजस्व का एक प्रतिशत भुगतान करेगा। पहचान किए गए राजस्व धाराओं में ई-कॉमर्स वेबसाइट से ऑनलाइन बिक्री और विज्ञापन/प्रचार अधिकार थे। प्रस्ताव के लिए अनुरोध की शर्तों के अनुसार, विजेता बोलीदाता खादी इंडिया ब्रांड नाम के तहत खादी और ग्रामोघोग उत्पादों को ऑनलाइन बेचने के लिए विशेष अधिकार रखने वाली एक विशेष इकाई बनाएगा। मेसर्स सम्मन वेंचर्स लिमिटेड के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को 7.5 प्रतिशत के रियायत शुल्क के साथ अनुबंध दिया गया था। केवीआईसी ने (जनवरी 2020) केवीआईओ वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से विशेष प्रयोजन कंपनी (एसपीसी) के साथ रियायत समझौते में प्रवेश किया। *ekhadiindia.com* के रूप में नामित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बीटा संस्करण को चालू (अक्टूबर 2020) किया गया था और पोर्टल को आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया था। पोर्टल में 138 पंजीकृत बिक्री इकाइयों के साथ लगभग 2,800 उत्पादों की एक श्रृंखला है और फरवरी 2022 तक की अवधि के दौरान कुल ₹1.13 करोड़ की बिक्री हुई।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा में परियोजना की योजना बनाने के साथ-साथ अनुबंध प्रदान करने और कार्यान्वयन में खामियां पाई गई, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:-

#### 5.1.1.1 परियोजना की योजना और अनुबंध प्रदान करना

**i. सूचना प्रौद्योगिकी सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं पर दिशानिर्देशों का अनुपालन**

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा जारी सूचना प्रौद्योगिकी सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए मार्गदर्शन नोट में

आवश्यकतानुसार, परियोजना की पहचान के लिए सांकेतिक कार्यान्वयन योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता थी। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मार्गदर्शन नोट के लिए यह भी आवश्यक है कि पीपीपी प्रायोजक को वित्तीय और आर्थिक व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए अनुसंधान और विश्लेषण करना चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि केवीआईसी ने प्रारंभिक आउटपुट विनिर्देशों, धन मूल्यांकन के लिए मूल्य, प्रारंभिक जोखिम मूल्यांकन, बैंकीयता मूल्यांकन, कानूनी व्यवहार्यता विनिर्देश आदि का निर्धारण करते हुए सांकेतिक कार्यान्वयन योजना तैयार नहीं की थी। आगे, यह इंगित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि केवीआईसी ने परियोजना के लिए अनुरोध प्रस्ताव को विकसित करने और जारी करने से पहले वित्तीय और आर्थिक व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए कोई शोध और विश्लेषण किया था।

**ii. रियायत अवधि का निर्धारण**

पीपीपी परियोजना में रियायत अवधि रियायतग्राही द्वारा अपने निवेश की भरपाई करने और निवेश पर उचित रिटर्न के लिए आवश्यक समय से निर्धारित की जाती है। यह किए गए वास्तविक निवेश और परियोजना से अपेक्षित नकदी प्रवाह पर निर्भर करेगा। वर्तमान मामले में, केवीआईसी ई-कॉमर्स पोर्टल के विकास और संचालन की वास्तविक लागत से अनजान है और परियोजना के लिए नकदी प्रवाह का अनुमान नहीं लगाया है। रियायत समझौते के अनुच्छेद 1.1 के अनुसार, केवीआईसी ने 10 साल की रियायत अवधि तय की जिसे 10 साल और बढ़ाया जा सकता है। यह उल्लेख करना उचित है कि वाणिज्यिक और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी/ई-गवर्नेंस परियोजना के मामले में मानक पेबैक अवधि केवल तीन साल[69] है। इस प्रकार लंबी रियायत अवधि का निर्धारण केवीआईसी के वित्तीय हित में नहीं था।

**iii. रियायतग्राही के अन्य राजस्व के सत्यापन को सक्षम करने वाले खंड**

रियायत समझौते के अनुच्छेद 3.2.4 के अनुसार, रियायत शुल्क रियायतग्राही द्वारा अपनाए जा रहे किसी भी व्यवसाय मॉडल से उत्पन्न होने वाली किसी भी अन्य आय/राजस्व पर भी लागू होगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि समझौते में ई-कॉमर्स वेबसाइट/मोबाइल

---

[69] ***इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा जारी सूचना प्रौद्योगिकी पीपीपी परियोजनाओं के लिए मार्गदर्शन नोट (2017) - पैराग्राफ 4.2.2***

एप्लिकेशन से रियायतग्राही की अन्य राजस्व आय को सत्यापित करने के लिए कोई खंड नहीं था।

**iv. कार्य सौंपे जाने के बाद संविदा की शर्तों में संशोधन**

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिशानिर्देशों[70] के अनुसार, केवीआईसी को बोली दस्तावेजों के एक हिस्से के रूप में एक मसौदा अनुबंध समझौते को तैयार और जारी करना था। रियायत समझौते का मसौदा पीपीपी व्यवस्था की शर्तों को परिभाषित करेगा और अनुबंध देने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता है। रियायत समझौते के मसौदे को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि प्रस्ताव के अनुरोध के अनुसार नियुक्ति पत्र के बाद नियुक्ति की शर्तों में परिवर्तन नहीं किया जाता है। शर्तों में कोई भी बदलाव बोली जमा करने की अंतिम तिथि से पहले किया जाना चाहिए और सभी संभावित बोलीदाताओं को सूचित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि रियायत करार का मसौदा केवीआईसी द्वारा तैयार नहीं किया गया था। आगे, निष्पादित रियायत करार में, प्रस्ताव के अनुरोध में विनिर्दिष्ट नहीं की गई शर्तों को केवीआईसी द्वारा रियायतग्राही के पक्ष में शामिल किया गया था। ऐसी ही एक शर्त केवीआईसी को मौजूदा मानदंडों के अनुसार अपने हितधारक समुदाय के लिए उपलब्ध छूट, व्यापार लाभ, अनुदान आदि तक पहुंच प्रदान करना था। उदाहरणार्थ, संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए) जो उत्पादन अनुदान थी, खादी संस्थानों को दी गई थी और इसका छह प्रतिशत बिक्री संस्थानों को दिया जाएगा। रियायतग्राही पंजीकृत खादी संस्थानों से खादी के सामान खरीद रहा था और इसलिए वह खादी संस्थानों से विक्रेता का हिस्सा प्राप्त करने का हकदार था। समझौते के अनुसार रियायतग्राही को "खादी इंडिया" ब्रांड की छतरी के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में उप ब्रांड/बाल ब्रांड पेश करने का अधिकार भी दिया गया था भले ही इस तरह के एक खंड को प्रस्ताव के अनुरोध में शामिल नहीं किया गया था। आगे, समझौते के अनुसार, केवीआईसी डिजाइनरों के सहयोग से, फैशन शो आयोजित करके, ब्रांड एंबेसडर को शामिल करके और प्रचार कार्यक्रमों का आयोजन करके खादी और ग्रामोघोग उत्पादों को लोकप्रिय बनाने और फिर से मजबूत करने में

---

[70] ***मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के पैरा 9.2 के अनुसार, "निविदा दस्तावेजों का हिस्सा बनने वाले अनुबंध समझौते का मसौदा अद्यतन किया जाता है यदि प्रस्ताव के लिए अनुरोध में बदलाव किए जाते हैं और सभी बोलीदाताओं को भेजे जाते हैं"।***

रियायतग्राही का समर्थन करेगा। इसे प्रस्तावित अनुरोध में शामिल नहीं किया गया था। संविदा प्रदान किए जाने के बाद प्रस्ताव के लिए अनुरोध दस्तावेज में शामिल नहीं किए गए निबंधन और शर्तों को शामिल करना पारदर्शी नहीं था क्योंकि प्रस्ताव के अनुरोध में ऐसी अनुकूल शर्तों को शामिल करने से अधिक बोलीदाताओं को आकर्षित किया जा सकता था जिसके परिणामस्वरूप अधिक अनुकूल बोलियां प्राप्त हो सकती थीं। इस प्रकार संविदा दिए जाने के बाद रियायतग्राही को अनुचित वित्तीय लाभ प्रदान किया गया।

**5.1.1.2 परियोजना का कार्यान्वयन**

**i. रियायतग्राही द्वारा बिक्री डेटा प्रस्तुत करना**

रियायत करार के अनुच्छेद 8.1 (क) के अनुसार, रियायतग्राही द्वारा देय रियायत शुल्क बिक्री कम माल ढुलाई, बीमा और व्यापार छूट, यदि कोई हो, के 7.5 प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया गया था। रियायतग्राही माल की खरीद, संभार तंत्र, बिक्री और वितरण से संबंधित सभी अभिलेख रखेगा और नियमित अंतराल पर केवीआईसी को आवधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। आगे, रियायतग्राही को एक त्रैमासिक बिक्री प्रतिवेदन प्रस्तुत करनी होगी और बिक्री डेटा तक पहुंचने के लिए एक डैशबोर्ड प्रदान करना होगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि रियायतग्राही बिक्री डेटा वाले कुछ छिटपुट ई-मेल को छोड़कर तिमाही बिक्री प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर रहा था। हालांकि डैशबोर्ड रियायतग्राही द्वारा विकसित किया गया था, वही काम नहीं कर (जून 2021) रहा था। इस प्रकार, केवीआईसी बिक्री डेटा का आवधिक सत्यापन सुनिश्चित करके वित्तीय हित को सुरक्षित करने में विफल रहा।

**ii. बाजार संवर्धन के लिए उपलब्ध निधियों का उपयोग न होना**

खादी सुधार विकास कार्यक्रम निधि से ई-कॉमर्स के लिए ₹15 करोड़ की राशि निर्धारित (जुलाई 2019) की गई थी। चूंकि, ई-कॉमर्स पोर्टल को पीपीपी के माध्यम से आउटसोर्स किया गया था, निधियों का उपयोग नहीं किया गया और केवीआईसी इसका उपयोग करने के लिए किसी भी परियोजना पर निर्णय नहीं ले सका। चूंकि एडीबी ऋण 2018-19 में बंद हो गया था, निधियों को निष्क्रिय रखना उचित नहीं था।

परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन में खामियां थीं।

केवीआईसी/मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2022) कि केवीआईसी को ई-कॉमर्स परिचालन के माध्यम से कोई नुकसान नहीं हुआ था और उसे 'खादी इंडिया' ब्रांड नाम के लिए रॉयल्टी

शुल्क के रूप में एक निश्चित प्रतिशत मिल रहा था। यह भी कहा गया कि इसे लोकप्रिय होने और उत्पादन और आपूर्ति की उपलब्धता और क्षमता के अधीन बाजार पर कब्जा करने में कुछ समय लगेगा।

उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि केवीआईसी ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए थे, जबकि इसके लिए धन निर्धारित किया गया था।

***सिफारिश संख्या 12***

***केवीआईसी संविदा की लागत, राजस्व और वितरण की व्यापक समीक्षा करे ताकि यह निर्धारण किया जा सके कि क्या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से संभावित लाभ प्राप्त किया जा रहा है और राजस्व, गुणवत्ता आदि के संबंध में जानकारी/कार्रवाई के संबंध में पारस्परिक संविदात्मक दायित्वों को लागू किया जाए।***

### 5.1.2 केवीआईसी द्वारा किए गए बाजार सर्वेक्षण

खादी सुधार विकास कार्यक्रम (केआरडीपी) के घटकों में से एक विपणन में आधुनिक अवधारणाओं और विपणन सुधारों को लाने के लिए निजी भागीदारी के साथ एक विपणन संगठन का विकास था। इस विपणन संगठन को एक विशेषज्ञ फर्म के माध्यम से उत्पाद विशिष्ट बाजार सर्वेक्षण करना था। फिर भी, केवीआईसी उपरोक्त के रूप में विपणन संगठन की स्थापना नहीं कर सका, जो केआरडीपी के प्रमुख घटकों में से एक है। जैसे, केवीआईसी ने 2011-2017 की अवधि के दौरान तीन बाजार सर्वेक्षण किए। इनमें से, दो सर्वेक्षणों ने घरेलू बाजार को कवर किया और एक अंतरराष्ट्रीय (निर्यात) बाजार से संबंधित था। सर्वेक्षणों में प्रतिवेदन किए गए महत्वपूर्ण निष्कर्ष और की गई सिफारिशों को नीचे तालिका 5.1 में दिखाया गया है।

**तालिका-5.1 केवीआईसी द्वारा किए गए बाजार सर्वेक्षण: निष्कर्ष और सिफारिशें**

| बाजार सर्वेक्षण (2011) | पैन इंडिया बाजार सर्वेक्षण (2017) | अंतर्राष्ट्रीय बाजार सर्वेक्षण (2017) |
|---|---|---|
| **सर्वेक्षण की सिफारिशें** | | |
| • शेल्फ लाइफ को कम करना और इन्वेंट्री का प्रबंधन करना<br>• उत्पाद विकास, उपभोक्ता अपेक्षाओं और प्रतिस्पर्धी | • दृश्यता और उत्पादों की उपलब्धता में वृद्धि<br>• खुदरा पहुंच में वृद्धि | • अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन प्लेटफार्मों में खादी उत्पादों को बढ़ावा देना |

| बाजार सर्वेक्षण (2011) | पैन इंडिया बाजार सर्वेक्षण (2017) | अंतर्राष्ट्रीय बाजार सर्वेक्षण (2017) |
|---|---|---|
| परिदृश्य और उपलब्ध अवसरों के अनुरूप मूल्य निर्धारण।<br>• युवा और किशोर उत्पाद लाइनों की खोज<br>• उत्पाद नवाचार के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के अग्रणी वस्त्र संस्थानों के साथ व्यापक अनुसंधान और विकास।<br>• विशेष रूप से मॉल जैसे हाई प्रोफाइल क्षेत्रों में खुदरा उपस्थिति में सुधार।<br>• ई कॉमर्स और सोशल मीडिया के-ब्रांड-साथ पूरक मल्टी आउटलेट्स, प्रमुख सुपरमार्केट और प्रमुख खुदरा विक्रेताओं के साथ खुदरा टाईअप।<br>• प्रयास की निरंतरता और त्वरित तथा प्रभावी निर्णय लेने की आवश्यकता।<br>• सेटअप में मौजूदा पेशेवरों के कौशल सेट को अपग्रेड करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम चलाना। | • ऑनलाइन खुदरा प्लेटफार्मों में उपस्थिति,<br>• डिजाइन की विविधता में वृद्धि, उत्पादों का मूल्य विभाजन, युवाओं को लक्षित करना। | • भारतीय खादी पर ध्यान केंद्रित करते हुए अधिक बिजनेस टू बिजनेस आयोजित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय परिधान प्रमुखों के साथ संभावित गठजोड़ का पता लगाएं।<br>• निर्यात के प्रति जागरूकता और क्षमता निर्माण बढ़ाना।<br>• अपस्ट्रीम मूल्य श्रृंखला गतिविधियों की सुविधा के माध्यम से निर्यात वृद्धि को बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के लिए प्रभावी प्रचार तथा ब्रांड निर्माण गतिविधियों का समर्थन करना। |

लेखापरीक्षा ने सर्वेक्षणों के संचालन और सर्वेक्षण प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित का अवलोकन किया।

### 5.1.2.1 घरेलू सर्वेक्षण

केवीआईसी ने ₹32.49 लाख की लागत से केआरडीपी फंड का उपयोग करके एक बाहरी रणनीतिक विपणन फर्म (मेसर्स ग्रुपएम इंडिया) के माध्यम से एक घरेलू विपणन सर्वेक्षण (2011) किया। सर्वेक्षण का उद्देश्य उपभोक्ताओं और खुदरा विक्रेताओं के बीच खादी के बारे में जागरूकता और समझ को जानना तथा उपभोक्ताओं में आदतों और प्रथाओं के बारे में समझ प्राप्त करना था। सर्वेक्षण में त्वरित और प्रभावी निर्णय लेने की आवश्यकता,

कौशल सेटों को अपग्रेड करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सीमित रंगों और उपलब्धता के मामले में खादी की कमजोरी को दूर करने के लिए उत्पाद मिश्रण आदि जैसी महत्वपूर्ण सिफारिशें की गईं।

केआरडीपी संशोधित दिशानिर्देश 2016 के अनुसार, केवीआईसी को दो बाजार सर्वेक्षण करने थे, एक अखिल भारतीय भारतीय बाजार सर्वेक्षण घरेलू बाजार का आकलन करने के लिए और अन्य सर्वेक्षण खादी और ग्रामोघोग उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार का आकलन करने के लिए 2017 में ₹29.75 लाख की लागत से अखिल भारतीय बाजार सर्वेक्षण (मेसर्स अरांका द्वारा) का आयोजन मूल्य निर्धारण, बाजार की स्थिति, व्यापार शर्तों को समझने, भुगतान शर्तों, बिक्री संवर्धन तकनीकों, छूट, मार्जिन, प्रचार, उपभोक्ता क्रय व्यवहार, उत्पादों में बाजार की संभावना आदि जैसे कई मापदंडों का पता लगाने के लिए गया था। इस सर्वेक्षण में वर्ष 2011 में किए गए पूर्व सर्वेक्षण के अनुरूप कई सिफारिशें भी की गई हैं। सर्वेक्षण में कपड़े, शहद, स्वास्थ्य सौंदर्य प्रसाधन और उच्च मांग वाले कृषि आधारित उत्पादों जैसे कुछ उत्पादों की पहचान की गई है।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- दो घरेलू बाजार सर्वेक्षण जोकि छह साल के अंतराल पर आयोजित किए गए, मूल्य निर्धारण, उपलब्धता, डिजाइन, विविधता, दृश्यता आदि से संबंधित लगभग समान मुद्दों की पहचान की गई, यह दर्शाता है कि केवीआईसी ने पहले सर्वेक्षण में बताए गए मुद्दों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की थी।
- केवीआईसी ने अपने स्वयं के विभागीय ट्रेडिंग यूनिटों के मामले में भी सर्वेक्षण निष्कर्षों के अनुरूप अपनी उत्पाद लाइन को प्राथमिकता देने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। खरीद समितियों ने खरीद योजनाओं को अंतिम रूप देने से पहले पिछले बिक्री आंकड़ों, बाजार की मांग आदि का विश्लेषण नहीं किया था। यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि केवीआईसी ने बाजार के रुझानों, उपभोक्ता वरीयताओं आदि का कोई विश्लेषण किया तथा विभागीय ट्रेडिंग इकाइयों को इसकी सूचना दी थी।
- यद्यपि केवीआईसी ने एक पेशेवर डिजाइनर द्वारा विकसित नए डिजाइन पेश करने का प्रयास किया था, उत्पादों को सफलतापूर्वक विपणन नहीं किया गया था। नए आपूर्तिकर्ताओं को विभागीय ट्रेडिंग इकाइयों के माध्यम से अपने उत्पादों का विपणन

करने के अवसरों से वंचित कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप उपलब्ध उत्पादों (पैराग्राफ 4.1.2) की श्रृंखला सीमित थी। खादी प्लाजा आदि की स्थापना करके उपलब्धता बढ़ाने की परियोजनाओं को कार्यान्वित (पैराग्राफ 5.1.7) नहीं किया गया। निधि उपलब्ध होने के बावजूद, माहौल को बेहतर बनाने के लिए खादी ग्रामोघोग भवनों का नवीनीकरण और उपभोक्ताओं (पैराग्राफ 5.1.8) द्वारा खुदरा बिक्री अनुभव नहीं किया गया।

- सीमित स्तर पर पेश किए गए नए उत्पाद जैसे कि विचार वस्त्र (डिजाइनर वियर), डेनिम खादी, खादी टीशर्ट आदि, मुख्य रूप से विपणन की कमी के कारण महत्वपूर्ण बिक्री हासिल नहीं कर सके।

- केवीआईसी के सुधार कार्यान्वयन प्रभाग ने यह निष्कर्ष निकाला कि खादी सुधार विकास कार्यक्रम सलाहकार (मैसर्स प्राइसवाटरहाउसकूपर्स)[71] ने (मई 2017) मैसर्स अरांका द्वारा किए गए अखिल भारतीय बाजार सर्वेक्षण में प्रमुख अंतर पाया जैसे कि कच्चे डेटा के पूर्ण सेट का प्रावधान न होना, खादी संस्थानों को शामिल करने के कारण थोक खरीदारों के दूषित नमूने, रेशम और मलमल जैसे प्रीमियम उत्पादों का कवरेज न होना, व्यक्तिगत उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया का सामान्यीकरण। खादी मार्क के संबंध में फीडबैक में केवल थोक खरीदारों को शामिल किया गया, निर्यात के लिए रुझानों और उत्पादों का कमजोर विश्लेषण, विपणन रणनीतियों को तैयार करने के लिए आवश्यक पर्याप्त आदानों की अनुपलब्धता, ब्रांडिंग और मूल्य संवर्धन के लिए प्रस्तावित रणनीतियों में स्पष्टता की कमी और पर्याप्त द्वितीयक अनुसंधान द्वारा निष्कर्षों का समर्थन नहीं किया जाना, जिससे खादी और ग्रामोघोग उत्पादों में ऑन-ग्राउंड रुझानों के साथ निष्कर्षों का गुटनिरपेक्षता हो रहा है। यह दिखाने के लिए कोई अभिलेख नहीं था कि केवीआईसी ने पाई गई खामियों के बारे में बताया था और उन्हें ठीक कराया। हालांकि, सितंबर 2017 में पूर्ण भुगतान (₹29.75 लाख) जारी किया गया था।

केवीआईसी/मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022/अगस्त 2022) कि 'खादी इंडिया' ब्रांड को सफलतापूर्वक बनाने के लिए आक्रामक विज्ञापन और सोशल मीडिया दृश्यता के लिए पेशेवर

---

[71] ***मेसर्स प्राइसवाटरहाउसकूपर्स प्राइवेट लिमिटेड खादी सुधार विकास कार्यक्रम के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा नियुक्त एक तकनीकी एजेंसी है।***

विपणन इनपुट का उपयोग किया गया था। यह भी दावा किया गया था कि केवीआईसी ने शॉपिंग मॉल, हवाई अड्डों, मल्टी-ब्रांड आउटलेट्स, प्रमुख सुपरमार्केट और प्रमुख खुदरा विक्रेताओं के साथ खुदरा टाई-अप, ई-कॉमर्स, प्रमुख निर्यात घरानों के साथ संस्थागत साझेदारी, रेमंड, आदित्य बिड़ला, अरविंद मिल्स आदि जैसे कॉर्पोरेट क्षेत्र के साथ सहयोग जैसे उच्च प्रोफ़ाइल क्षेत्रों में अपनी खुदरा उपस्थिति सुनिश्चित करने के प्रयास किए थे। केवीआईसी ने विभिन्न स्थानों पर खादी इंडिया लाउंज, लखनऊ, अहमदाबाद और विशाखापत्तनम में हवाई अड्डों पर दुकानों की स्थापना और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, नई दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेनलेस स्टील चरखा स्थापित करने का भी उल्लेख किया। यह भी कहा गया था कि इसमें अलग-अलग खादी ग्रामोघोग भवनों के संबंध में एक अवधि में आइटम-वार बिक्री के साथ उत्पाद लाइन का विश्लेषण करने और खादी संस्थान प्रबंधन सूचना प्रणाली से तेजी से बढ़ती वस्तुओं पर डेटा का विश्लेषण करने की एक प्रणाली थी जोकि इस तरह की जानकारी उत्पन्न करने में सक्षम था। केवीआईसी ने यह भी दावा किया कि खादी ग्रामोघोग भवनों की खरीद समितियां खरीद योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए बाजार की मांग के माप के रूप में पिछले बिक्री आंकड़ों पर निर्भर थीं।

यह दावा कि केवीआईसी ने पेशेवर विपणन इनपुट का उपयोग करके सोशल मीडिया में दृश्यता हासिल की थी, इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर खादी और ग्रामोघोग क्षेत्र में केवीआईसी की उपस्थिति[72] अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बहुत कम है। आगे, जवाब में हाइलाइट की गई अधिकांश पहल जैसे शॉपिंग मॉल में खुदरा उपस्थिति, रेमंड आदि जैसी कॉर्पोरेट फर्मों के साथ टाई-अप, पैराग्राफ 5.1.5 में चर्चा के अनुसार आगे बढ़ने में विफल रहे। जैसा कि पैराग्राफ 4.1.3 में उल्लेख किया गया है, खादी ग्रामोघोग भवनों ने माल की खरीद से पहले पिछली अवधि से संबंधित बिक्री के आंकड़ों का विश्लेषण नहीं किया था और केवल दो खादी ग्रामोघोग भवनों ने वास्तव में बाजार के रुझानों पर विचार किए बिना खरीद योजना तैयार की थी। आगे, खादी संस्थान प्रबंधन सूचना प्रणाली केवल 2019-20 से शुरू की गई थी। सूचना

---

[72] ***लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर केवीआईसी के मई 2022 तक अनुयायियों की संख्या केवल 92,280 थी जबकि इसी प्लेटफॉर्म पर इसके प्रतिस्पर्धियों के फॉलोअर्स की संख्या ₹11.46 लाख (मई 2022) थी।***

प्रौद्योगिकी निदेशालय ने सिस्टम से आइटम-वार बिक्री डेटा प्रदान नहीं किया क्योंकि प्रबंधन के समर्थन का दावा है कि सिस्टम इस तरह के डेटा प्रस्तुत करने में सक्षम है।

### 5.1.2.2 अंतर्राष्ट्रीय बाजार सर्वेक्षण

खादी सुधार विकास कार्यक्रम जनादेश के अंतर्गत, केवीआईसी ने ₹22.66 लाख की लागत से एक अंतरराष्ट्रीय बाजार सर्वेक्षण आयोजित (नवंबर 2017) किया। सर्वेक्षण ने कई सिफारिशें कीं जिसमें खादी ब्रांड के निर्यात प्रदर्शन में सुधार के लिए निर्यात जागरूकता बढ़ाने, समर्पित विंग की स्थापना, अपस्ट्रीम मूल्य श्रृंखला गतिविधियों की सुविधा, ई-मार्केट प्लेयर्स का लाभ उठाने, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रांड निर्माण गतिविधियों आदि के प्रयास शामिल थे। केवीआईसी को दिसंबर 2006 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन परिषद[73] का दर्जा दिया गया था।

हालांकि, लेखापरीक्षा मे पाया गया कि केवीआईसी सक्रिय रूप से निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दे रहा है और उनकी भूमिका अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने तक सीमित थी। यह दिखाने के लिए अभिलेख में कुछ भी नहीं था कि केवीआईसी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार सर्वेक्षण द्वारा एकत्र की गई जानकारी का किसी भी तरह से, स्वयं उपयोग किया था या इसे अपने साथ पंजीकृत खादी/ग्रामोघोग के साथ साझा किया था। इसके अलावा, यह स्पष्ट नहीं था कि केवीआईसी ने पर्याप्त निर्यात संवर्धन उपाय किए थे जैसे निर्यातकों का डाटा बेस बनाए रखना, विदेशों में देश-वार और उत्पाद विशिष्ट संभावित आयातकों की व्यापक सूची बनाना, भारतीय निर्यातकों के साथ टाई-अप को सुविधाजनक बनाना, नियमित क्रेता-विक्रेता बैठकें आदि।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि देश से खादी और ग्रामोघोग उत्पादों के निर्यात के कुल मूल्य में 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान लगातार गिरावट आई है जैसा कि तालिका 5.2 में दिखाया गया है।

---

*[73] निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) की स्थापना वाणिज्य मंत्रालय द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों में निर्यातकों को सलाह और सहायता प्रदान करने के लिए की जाती है। ईपीसी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, क्रेता/विक्रेता बैठकों आदि के आयोजन/भाग लेने सहित विभिन्न बाह्य और आंतरिक संवर्धनात्मक कार्यकलापों के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार से निधियां प्राप्त होती हैं। ईपीसी निर्यात क्षेत्र में सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ उठाने में निर्यातकों की भी मदद करते हैं।*

**तालिका 5.2: खादी और ग्रामोघोग उत्पादों का निर्यात**

**(आंकड़े ₹ करोड़ में)**

| वर्ष | खादी | हस्तनिर्मित कागज और उत्पाद | पापड़ | शहद | हस्तशिल्प | अन्य | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2017-18** | 0.78 | 38.58 | 61.84 | 131.50 | 18.39 | 19.26 | **270.35** |
| **2018-19** | 6.00 | 43.62 | 49.77 | 120.69 | 16.20 | 30.31 | **266.59** |
| **2019-20** | 0.47 | 7.59 | 37.23 | 144.27 | 16.68 | 32.26 | **238.50** |
| **2020-21** | 0.00 | 0.00 | 52.41 | 133.93 | 19.00 | 3.94 | **209.28** |

**स्रोत: केवीआईसी की वार्षिक प्रतिवेदन**

इस प्रकार, केवीआईसी ने सर्वेक्षणों के परिणामों के आधार पर खादी सुधार विकास कार्यक्रम की आवश्यकता को पूरा नहीं किया था, जैसा कि तालिका 5.2 में उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है। आगे, यद्यपि केवीआईसी अपनी वार्षिक रिपोर्टों में खादी और ग्रामोघोग उत्पाद के कुल निर्यात आंकड़ों की सूचना दे रहा है, इसकी कोई प्रत्यक्ष निर्यात गतिविधि नहीं है तथा खादी और ग्रामोघोग इकाइयों को अपने उत्पादों के निर्यात के लिए निजी निर्यात घरानों पर निर्भर रहना पड़ता है।

केवीआईसी/मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022/अगस्त 2022) कि खादी और ग्रामोघोग उत्पादों का निर्यात 2019-20 की अवधि तक नियमित रूप से बढ़ रहा था तथा महामारी ने 2020-21 और 2021-22 से निर्यात गतिविधियों को कम कर दिया था और अब निर्यात सामान्य रूप से बढ़ रहा था।

उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि खादी वस्तुओं के निर्यात में लगातार गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दे रही थी। खादी और ग्रामोघोग उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय विपणन के संबंध में सर्वेक्षण प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को लागू नहीं करने पर उत्तर मौन था।

***सिफारिश संख्या 13***

***केवीआईसी सर्वेक्षणों के बाद की अवधि में बाजार पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए बाजार सर्वेक्षणों के निष्कर्षों/सिफारिशों की समीक्षा करे और सिफारिशों को लागू करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई शुरू करे, विशेष रूप से डिजाइन, मूल्य निर्धारण, दृश्यता और उपलब्धता आदि में विविधता और नवाचार शुरू करने जैसे क्षेत्रों में। निर्यात***

***संवर्धन परिषद के दर्जे का प्रभावी ढंग से उपयोग करके निर्यात क्षेत्र में केवीआईसी की उपस्थिति बढ़ाने के प्रयास किए जाए।***

### 5.1.3 उत्पाद सूची और स्वैच बुक का विकास

खादी सुधार और विकास कार्यक्रम निधि से ₹2 करोड़ की राशि (नवंबर 2018) क्षेत्र-वार उत्पाद सूची तैयार करने के लिए मंजूर की गई थी। केवीआईसी के अंतर्गत कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए उत्पाद सूची विकसित किया जाना था, जिसमें केवीआईसी के प्रत्येक क्षेत्र में कारीगरों द्वारा बनाए गए खादी कपड़े के उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक फैब्रिक स्वैच[74] बुक भी शामिल थी। उत्पाद सूची और स्वॉच बुक का उद्देश्य उत्पाद जागरूकता बढ़ाकर ग्रामीण कारीगरों को ताकत देना और ग्रामीण परिवारों में रोजगार के और अवसर उत्पन्न करना था।

केवीआईसी उत्पादों और फैब्रिक स्वैच बुक की संकल्पना, डिजाइन, विकास और प्रकाशन के लिए एजेंसी की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (दिसंबर 2019) केवीआईसी द्वारा नियोजित सलाहकार मैसर्स केपीएमजी द्वारा विकसित किया गया था। निविदाएं आमंत्रित की गई थी और कार्य तकनीकी मूल्यांकन चरण तक किया गया था। फिर भी, यह निर्णय लिया गया (सितंबर 2020) कि उत्पाद सूची और खादी स्वच्छ पुस्तक तैयार करने के लिए काम करने से पहले किसी भी एजेंसी को सौंपा गया था, क्षेत्रीय और राज्य कार्यालय स्तर पर सूची मदों के लिए उनकी गुणवत्ता और विनिर्देशों के साथ पर्याप्त जानकारी प्रदान करने के लिए केवीआईसी की ओर से तैयारी की जानी चाहिए। परिणामस्वरूप, यह निर्णय लिया गया (नवंबर 2020) कि विभिन्न राज्यों में कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण उत्पाद सूची और खादी स्वाच बुक तैयार करने पर फील्ड ऑपरेशन वर्तमान में संभव नहीं थे। अतः स्थिति स्थिर होने तक आगे के अभियानों को कुछ समय के लिए अलग रखा गया था। बोली लगाने वालों को अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट वापस करने का भी निर्णय लिया गया।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

i. हालांकि उत्पाद सूची का विकास केआरडीपी की पुनर्गठित किश्त शर्तों में से एक था और फरवरी 2017 तक पूरा हो जाना चाहिए था, केवीआईसी को अभी (अगस्त 2022)

---

*[74] कपड़े से लिया गया छोटा नमूना।*

उत्पाद सूची और खादी स्वच्छ पुस्तक विकसित करनी है। इस प्रकार, इच्छित उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

ii. पहले, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट), मुंबई ने ₹18.29 लाख की अनुमानित लागत से उत्पादों की भौतिक और वेब आधारित सूची के लिए एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत (जून 2017) किया था। प्रस्ताव में मौजूद 100 खादी वस्त्र उत्पादों का अध्ययन और कोड के साथ एक भौतिक सूची तैयार करना, सूची के अनुसार कोड के साथ लगभग 100 खादी उत्पादों की एक वेब-आधारित सूची, कोड के साथ खादी कपड़ों की घड़ियों की एक सूची, कोड के साथ लगभग 100 ग्राम उद्योग उत्पादों की भौतिक सूची, कोड के साथ लगभग 100 ग्राम उद्योग उत्पादों की वेब-आधारित सूची आदि शामिल हैं। फिर भी केवीआईसी ने प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी।

iii. केवीआईसी की वेबसाइट पर केवल एक विक्रेता के ई-सूची का लिंक प्रदान किया गया था। मैसर्स प्राइसवाटरहाउसकूपर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीडब्ल्यूसी)[75] द्वारा यह सूचित किया गया था कि संस्थानों की सक्रिय भागीदारी के साथ, केवीआईसी ने खादी और ग्रामोघोग संस्थानों द्वारा बनाए गए कुछ विशिष्ट उत्पादों को प्रदर्शित करते हुए एक डिजिटल उत्पाद सूची विकसित किया है और सूची केवीआईसी वेबसाइट पर उपलब्ध है जहां खरीदार उत्पादों को देख सकते हैं और सीधे आपूर्ति संस्थान को ऑर्डर दे सकते हैं। यह दावा पूरी तरह से सही नहीं था क्योंकि सूची में केवल 117 उत्पादों को सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें एक तस्वीर, एक संक्षिप्त विवरण और एक बारकोड था। यह सूची प्रमुख शर्तों को पूरा नहीं करता है (जैसा कि केवीआईसी द्वारा जारी प्रस्ताव के लिए अनुरोध में उल्लेख किया गया है) जैसे उत्पादों का क्षेत्रीय समूहीकरण, कारीगरों का परिचय, आपूर्ति संस्थानों को सीधे ऑर्डर देना आदि। इस प्रकार एमएसएमई मंत्रालय को प्रस्तुत उत्पाद सूची और स्वॉच बुक के विकास पर अंतिम प्रतिवेदन में अपर्याप्त जानकारी थी।

केवीआईसी खादी और ग्रामोघोग उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध कराए गए धन का उपयोग करने में विफल रहा। इस प्रकार प्रस्तावित सूची और स्वैच बुक के

---

[75] ***मैसर्स प्राइसवाटरहाउसकूपर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीडब्ल्यूसी) केआरडीपी को लागू करने में केवीआईसी की सहायता के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा नियुक्त तकनीकी एजेंसी थी। एडीबी के साथ उनकी अनुबंध आवश्यकता के हिस्से के रूप में, मैसर्स पीडब्ल्यूसी को परियोजना में प्राप्त प्रगति पर समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करनी थी।***

माध्यम से संभावित ग्राहकों के साथ-साथ संभावित निर्यातकों को आकर्षित करने और संलग्न करने का परिकल्पित उद्देश्य विफल रहा।

केवीआईसी/मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2022/जुलाई 2022/अगस्त 2022) कि निफ्ट को वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया गया था चूंकि लागत अधिक थी और प्रस्ताव के लिए अनुरोध जारी करने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए प्रतिक्रियाएं भी सीमित थीं और चयन समिति की संतुष्टि के अनुरूप नहीं थीं। यह भी कहा गया था कि चूंकि केवीआईसी का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च होने वाला था और कैटलॉगिंग मंच के तहत उपलब्ध होगा, अलग उत्पाद सूची का विकास बंद कर दिया गया था। आगे यह कहा गया था कि खादी ग्रामोघोग भवनों के पास भी अपने स्वयं के उत्पाद सूची और स्वैच पुस्तकें थी और शीर्ष स्तर पर, ई-सूची और ई-स्वैच पुस्तक अधिक उपयुक्त थी। महामारी की स्थिति के कारण, कई आइटम अनुपलब्ध थे और इसलिए सूची के लिए आवश्यक जानकारी एकत्र नहीं की जा सकी।

उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि प्रस्ताव के लिए अनुरोध रद्द कर दिया गया था क्योंकि उत्पाद सूची और खादी स्वैच की पुस्तक तैयार करने के लिए फील्ड ऑपरेशन शुरू नहीं किए गए थे। हालांकि निधि 2018-19 में ही उपलब्ध कराया गया था, केवीआईसी द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आगे, भले ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के संबंध में काम के दायरे में उत्पाद सूची की तैयारी और अद्यतनीकरण शामिल था, इसमें केवल ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा बिक्री पर रखी गई वस्तुएं शामिल होंगी और केआरडीपी के अनुसार उत्पाद सूची के लिए एक विकल्प नहीं हो सकता है जिसका उद्देश्य खादी/ ग्रामोघोग क्षेत्र में उपलब्ध सभी उत्पादों को प्रदर्शित करना था।

निकास बैठक (जुलाई 2022) के दौरान, केवीआईसी ने सूचित किया कि वे उत्पाद सूची और स्वैच बुक विकसित करेंगे।

### 5.1.4 विपणन सलाहकार की नियुक्ति

विपणन की चुनौतियों का सामना करने एवं खादी और ग्रामोघोग उत्पादों के आक्रामक विपणन के लिए आवश्यकताओं का सामना करने हेतु, यह निर्णय लिया गया (सितंबर 2017) कि केवीआईसी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विपणन के लिए एक पेशेवर विपणन परामर्श फर्म/विपणन सलाहकार को नियुक्त कर सकता है, चूंकि वर्तमान विपणन निदेशालय में प्रशिक्षित लोगों की भारी कमी थी श्रमशक्ति और विपणन पृष्ठभूमि वाले पर्याप्त अधिकारी

नहीं थे। विपणन सलाहकार के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करने के प्रस्ताव के लिए मसौदा एक अन्य सलाहकार (मेसर्स प्राइस वाटरहाउस कूपर्स) द्वारा तैयार किया गया था। विज्ञापन के उत्तर में, छह[76] फर्मों ने अपने उत्तर प्रस्तुत किए। केवीआईसी द्वारा यह नोट किया गया था कि चूंकि किसी अच्छे और प्रतिष्ठित विपणन परामर्शदाता ने आवेदन नहीं किया था, इसलिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक (एनआईसीएसआई), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक सरकारी मंच से विपणन/प्रबंधन के लिए परामर्शदाताओं को आमंत्रित किया जा सकता था। तदनुसार, अर्न्स्ट एंड यंग इंक (मेसर्स ई एंड वाई), जिन्हें एनआईसीएसआई के साथ सूचीबद्ध किया गया था, प्रबंधन परामर्श के लिए चुना गया था। एनआईसीएसआई को परामर्श शुल्क के लिए ₹1.22 करोड़ के अनुबंध मूल्य का भुगतान किया गया था।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित का अवलोकन किया:

**5.1.4.1 सलाहकार का चयन**

i. केवीआईसी द्वारा जारी विज्ञापन पर छह फर्मों ने उत्तर दिया था, जिसमें विपणन परामर्श के लिए रुचि पत्र की मांग की गई थी। केवीआईसी ने नोट किया था कि "किसी भी अच्छे और प्रतिष्ठित विपणन सलाहकारों ने रुचि की अभिव्यक्ति में आवेदन नहीं किया है" और एक प्रस्तुति के लिए सभी फर्मों को बुलाने का प्रस्ताव दिया। इस तरह के निर्णय का आधार दस्तावेज नहीं था और रुचि की अभिव्यक्ति के लिए उत्तरदाताओं की प्रस्तावित बैठक के बारे में कोई और जानकारी अभिलेख में उपलब्ध नहीं थी। फिर भी, केवीआईसी ने एनआईसीएसआई द्वारा सूचीबद्ध सलाहकारों के साथ एक और बैठक आयोजित की और विपणन सलाहकार के रूप में मेसर्स ई एंड वाई का चयन किया। केवीआईसी मूल्यांकन को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि अंततः एक फर्म रुचि की अभिव्यक्ति के विज्ञापन (मैसर्स ई एंड वाई) पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने वाली कंपनी को केवीआईसी द्वारा चुना गया था क्योंकि उन्हें एनआईसीएसआई के सलाहकारों की सूचीबद्ध सूची में भी शामिल किया गया था।

---

[76] ***छह कंपनियां-1. गोल्डमाइन एडवरटाइजिंग लिमिटेड, 2. गुडविल कंसल्टिंग, 3. अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी, 4. फेरी घाट संचार एलएलपी, 5. मैककेन क्रेडेंशियल्स, और 6. कृति प्रमोशन्स एंड इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड।***

ii. एनआईसीएसआई का अधिदेश केंद्र और राज्य सरकार के विभागों और संगठनों को कुल आईटी समाधान और सेवाएं प्रदान करना है। जैसे,एनआईसीएसआई द्वारा सूचीबद्ध कंसल्टेंसी फर्मों से विपणन सलाहकार का चयन करने के लिए केवीआईसी के फैसले के पीछे तर्क तुरंत स्पष्ट नहीं था।

iii. एनआईसीएसआई की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, पैनल में शामिल परामर्श एजेंसियों को कार्य सौंपने के लिए, यदि उपयोगकर्ता विभाग किसी विशेष एजेंसी को इंगित नहीं करता है, पैनल में शामिल एजेंसियों से प्रस्तुतियां आमंत्रित करने के बाद उपयोगकर्ता विभाग द्वारा गठित की जाने वाली एक समिति की सिफारिशों के आधार पर काम दिया जाएगा। यह नोट किया गया था कि एनआईसीएसआई के साथ सूचीबद्ध प्रबंधन परामर्श फर्म को अंतिम रूप देने और चयन केवीआईसी के साथ आयोजित एक बैठक में किया गया था। फिर भी, उद्देश्य मूल्यांकन विवरण या सड़क मानचित्र, आदि, जो आवश्यक थे, उन्हें पैनल में शामिल एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया

iv. भारत सरकार द्वारा जारी परामर्श और अन्य सेवाओं की खरीद के लिए मैनुअल 2017 के अनुसार, परामर्श सेवाओं के मामले में, कार्य का सुरूपित कार्यक्षेत्र/विचारार्थ विषय (टीओआर-सेवाओं का विवरण) और वह समय सीमा जिसके लिए सेवाओं का लाभ उठाया जाना है, खरीद इकाई के समग्र उद्देश्यों के अनुरूप निर्धारित किया जाना चाहिए। मैनुअल में यह भी निर्धारित किया गया है कि परामर्शी निगरानी समिति (सीएमसी) का गठन किया जाना चाहिए और अनुबंध प्रदान किए जाने के बाद परामर्शदाता के कार्य की समीक्षा और अनुमोदन की प्रक्रिया भी घोषित की जानी चाहिए तथा उसका पालन किया जाना चाहिए। केवीआईसी ने उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन नहीं किया था। एनआईसीएसआई या सलाहकार फर्म के साथ किसी भी अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। एनआईसीएसआई द्वारा प्रस्तुत प्रोफार्मा चालान के आधार पर अग्रिम भुगतान करने से पहले कोई माइलस्टोन/वितरण योग्य निर्धारित नहीं किया गया था। आगे, भले ही प्रोफार्मा चालान के अनुसार, प्रत्येक व्यक्तिगत परामर्शदाता के संबंध में मासिक निष्पादन प्रतिवेदन एनआईसीएसआई को भेजी जानी थी। अभिलेख पर ऐसी कोई प्रतिवेदन नहीं मिली।

v. एनआईसीएसआई ने अनुबंध शुल्क पर सात प्रतिशत (₹6.75 लाख) का कमीशन लिया था जिसे फर्म के रूप में टाला जा सकता था क्योंकि जिसने केवल रुचि की अभिव्यक्ति में भाग लिया था, उसे अंतिम रूप से चुना गया था।

### 5.1.4.2 सलाहकार का प्रदर्शन

i. सलाहकारों की नियुक्ति से पहले, केवीआईसी ने उन्हें सौंपे जाने वाले विशिष्ट कार्यों और माइलस्टोन तैयार नहीं किए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सलाहकारों को असंगठित तरीके से कार्य सौंपे गए थे। जहां तक परामर्श के प्रमुख क्षेत्रों का संबंध है, उनमें से अधिकांश को परिभाषित नहीं किया गया था और कार्यान्वयन को ट्रैक नहीं किया गया था जैसा कि तालिका 5.3 में दिया गया है।

**तालिका 5.3: विपणन सलाहकार - मुख्य दायरे क्षेत्र पर प्रगति**

| क्षेत्र | गतिविधि | मुख्य दायरा क्षेत्र | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|
| खादी | अध्ययन मूल्य श्रृंखला, बाजार अध्ययन, सीएसपी, मूल्य निर्धारण | खादी योजना | परिभाषित नहीं है और कार्यान्वयन प्रलेखित नहीं है |
| | | मूल्य श्रृंखला हस्तक्षेप | परिभाषित नहीं है और कार्यान्वयन प्रलेखित नहीं है |
| | | केंद्रीय डिजाइन केंद्र | लागू नहीं किया गया |
| | | सीएसपी पुनर्गठन योजना | तैयार नहीं |
| | | निर्माता कंपनी मॉडल | परिभाषित नहीं है और कार्यान्वयन प्रलेखित नहीं है |
| विपणन और निर्यात | बाजार की स्थिति, विभागीय बिक्री आउटलेट पुनर्गठन, विपणन रणनीति, निर्यात योजना, ब्रांडिंग | उच्च स्तरीय विपणन योजना | परिभाषित नहीं है और कार्यान्वयन प्रलेखित नहीं है |
| | | कॉफी तालिका बुककैलेंडर आरएफपी/ | परिभाषित नहीं है और कार्यान्वयन प्रलेखित नहीं है |
| | | 15 अगस्त निष्पादन | परिभाषित नहीं है और कार्यान्वयन प्रलेखित नहीं है |
| | | फ्रैंचाइजी नीति | सलाहकार द्वारा तैयार किए जाने के रूप में प्रलेखित नहीं |
| | | डीएसओ दिल्ली सुधार | परिभाषित नहीं है और कार्यान्वयन प्रलेखित नहीं है |
| | | ऑनलाइनकॉमर्स-ई/ | सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय द्वारा पीपीपी मोड के माध्यम से आउटसोर्स किए गए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का विकास, जिसके लिए आरएफपी आदि, एक अन्य सलाहकार द्वारा तैयार किया गया था। |
| विज्ञापन और प्रचार | रणनीति की समीक्षा, विज्ञापन चैनल, | क्रिएटिव एजेंसी आरएफपी | परिभाषित नहीं है और कार्यान्वयन प्रलेखित नहीं है |
| | | विज्ञापन और प्रचार रणनीति | परिभाषित नहीं है और कार्यान्वयन प्रलेखित नहीं है |

| क्षेत्र | गतिविधि | मुख्य दायरा क्षेत्र | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|
| | कथानक और सामग्री | ब्रांड एंबेसडर | परिभाषित नहीं है और कार्यान्वयन प्रलेखित नहीं है |
| | | फीडबैक कैप्चरिंग तंत्र | परिभाषित नहीं है और कार्यान्वयन प्रलेखित नहीं है |

ii. परामर्शदाताओं ने सूचित किया था कि उन्होंने ***अनुलग्नक-II*** में दिए गए व्योरे के अनुसार 21 वितरण पूरे कर लिए हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विपणन सलाहकार द्वारा 21 "सुपुर्दगी दायित्व" जिनके लिए ₹1.22 करोड़ खर्च किए गए थे, ज्यादातर नियमित गतिविधियां थीं। पैराग्राफ में उल्लिखित 21 वितरण योग्य वस्तुओं के अलावा अन्य कार्य प्रकृति में विशिष्ट नहीं थे, जैसे, केन्द्रीय पूनी संयंत्रों के कायाकल्प के लिए अध्ययन, खादी क्षेत्र का अध्ययन, मूल्य परिवर्तन का मानचित्रण, ग्रे क्षेत्रों की पहचान करना, विपणन कार्य योजना का विकास, दृष्टि दस्तावेज, केजीबी नई दिल्ली में दृश्य क्रय-विक्रय आदि। दृष्टि दस्तावेज को छोड़कर रिकॉर्ड के अनुसार, उपरोक्त कार्यों में से कोई भी पूरा नहीं हुआ था। कहा जाता है कि दृष्टि दस्तावेज नवंबर 2018 में वितरित किया गया था, लेकिन अभिलेख में उपलब्ध नहीं था। प्रत्येक वितरण योग्य के विरुद्ध विस्तृत टिप्पणियां ***अनुलग्नक-II*** में दी गई हैं।

iii. केवीआईसी ने (फरवरी 2019) ही निष्कर्ष निकाला कि "*मेसर्स अर्न्स्ट एंड यंग (ई एंड वाई) द्वारा भाग लेने वाले अधिकांश कार्य बहुत सरल थे और ई एंड वाई के नहीं होने पर भी केवीआईसी द्वारा देखे जा रहे थे। ई एंड वाई को केवीआईसी की आधिकारिक प्रणाली के काम करने का ज्ञान नहीं है और अधिकांश प्रस्ताव मूल या पेशेवर इनपुट के बिना वेब खोजों और जानकारी के कट-पेस्ट से जानकारी का परिणाम थे; वे केवीआईसी के लिए विपणन पर कोई कार्य योजना देने में विफल रहे थे और उन्हें भुगतान किए गए शुल्क उचित नहीं थे*।"

iv. यह भी देखा गया कि 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान केवीआईसी द्वारा की गई विपणन पहलों को सफलता की कोई महत्वपूर्ण डिग्री नहीं मिली जैसा कि तालिका 5.4 में वर्णित है।

**तालिका 5.4: केवीआईसी द्वारा की गई विपणन पहलों की स्थिति**

| क्र. सं. | विपणन पहल | स्थिति |
|---|---|---|
| 1 | फ्रैंचाइज़ी योजना | स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित 180 फ्रैंचाइजी मे से 12 फ्रैंचाइजी स्थापित हुए जिसमे में से केवल आठ अभी भी काम कर रही हैं और प्रदर्शन खराब था। |
| 2 | खादी कोर्नर्स | सभी इकाइयां घाटे में चल रही थीं और कोई भी कार्यात्मक नहीं है। |
| 3 | रेलवे स्टेशनों और डाकघरों में आउटलेट खोलना | प्रस्तावों पर विचार किए जाने और रेल्वे और डाक विभाग के साथ प्रारम्भिक चर्चा किए जाने के बावजूद भी कार्यान्वित नहीं किया गया |
| 4 | ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ गठजोड़ | कार्यान्वित नहीं किया गया क्योंकि मेसर्स फ्लिपकार्ट और ऐमज़ान इंडिया के साथ स्वीकार्य शर्तों पर बात नहीं बनी। |
| 5 | ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लिकेशन का विकास | पीपीपी मोड के माध्यम से लागू किया गया लेकिन बिक्री की मात्रा और बाजार प्रवेश के मामले में बहुत सफल नहीं है । |
| 6 | हवाई अड्डों पर आउटलेट खोलना | सीमित कार्यान्वयन (केवल तीन हवाई अड्डों पर) |
| 7 | डीएसओ कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना | केवीआईसी द्वारा अनुमोदित होने के बावजूद कार्यान्वित नहीं किया गया । |
| 8 | रियायती कूपन बिक्री के लिए पीएसयू के साथ गठजोड़ | चार पीएसयू में लागू किया गया लेकिन 2021-22 से जारी नहीं रखा गया। |
| 9 | बाजार सर्वेक्षण | सर्वेक्षण किए गए लेकिन सिफारिशों को लागू नहीं किया गया । |
| 10 | अभिनव उत्पाद लाइन विकसित करने के लिए पेशेवर डिजाइनरों की भागीदारी | एक डिजाइनर (सुश्री रितु बेरी) सीमित सफलता के साथ लगी हुई है जैसा कि बिक्री डेटा से संकेत मिलता है। उत्पाद लाइन को तब से बंद कर दिया गया है । |

v. जून 2018 और मार्च 2019 के बीच, केवीआईसी ने एनआईसीएसआई को सलाहकारों की नियुक्ति के लिए चार चालानों के लिए ₹4.32 करोड़ का भुगतान किया था, जिसमें से केवल ₹1.22 करोड़ के भुगतान का विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया था।

उपरोक्त के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि सलाहकार द्वारा निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों को परिभाषित नहीं करने और बाद में सुपुर्दगी दायित्व की निगरानी करने में विफल रहने के कारण केवीआईसी को विपणन सलाहकार को नियुक्त करने के लिए किए गए खर्च से लाभ नहीं हुआ था।

केवीआईसी/मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022/अगस्त 2022) कि एनआईसीएसआई ने सेवाओं के गैर-वितरण के मामले में किसी भी समय उसके माध्यम से चुनी गई एजेंसी की सेवाओं

को समाप्त करने का विकल्प प्रदान किया। इसके अलावा, सीधे चयन के मामले में, केवीआईसी को अधिक शुल्क का भुगतान करना पड़ता। केवीआईसी ने आगे दावा किया कि सलाहकार को काम पर रखने के लिए किए गए खर्चों से अनुपातिक रूप से लाभान्वित हुआ और यह भी कहा कि वे विशिष्ट कार्यों के साथ बाजार अनुसंधान, बाजार पूर्वानुमान आदि में लगे हुए थे। केवीआईसी ने आगे कहा कि जब यह पाया गया कि सलाहकार ने अपेक्षित परिणाम नहीं दिया था, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि अनुबंध के किसी भी पक्ष द्वारा गैर-निष्पादन की स्थिति में सभी अनुबंधों में आम तौर पर एक मानक अनुबंध समाप्ति खंड शामिल होता है। हालांकि केवीआईसी ने तर्क दिया है कि बोली के माध्यम से सीधे चयन के मामले में, एनआईसीएसआई के माध्यम से भुगतान की तुलना में अधिक शुल्क का भुगतान किया गया होगा, तथ्यों और आंकड़ों के साथ इसका समर्थन नहीं किया गया है।

***सिफारिश संख्या 14***

***बाह्य परामर्शदाताओं को नियुक्त करते समय, भारत सरकार द्वारा जारी परामर्श और अन्य सेवाओं की खरीद के लिए नियमावली 2017 में निहित निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए, जैसे कार्य के सुपरिभाषित दायरे/संदर्भ की शर्तें तैयार करना, परामर्श निगरानी समिति की स्थापना करना आदि।***

### 5.1.5 फ्रैंचाइज़ी योजनाएं

बेहतर विकास सुनिश्चित करने और खादी और ग्रामोघोग उत्पादों के विपणन में सुधार करने के लिए, केवीआईसी ने (2017) फ्रेंचाइजी योजना लागू की, जिसके माध्यम से फर्मों/व्यक्तियों को केवीआईसी को रॉयल्टी के भुगतान पर "खादी इंडिया" ट्रेडमार्क का उपयोग करके खादी और ग्रामोघोग उत्पादों को बेचने की अनुमति दी गई थी।

#### 5.1.5.1 थोक फ्रैंचाइज़ी योजना

केवीआईसी ने मेसर्स रेमंड (दिसंबर 2016) और आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड (एबीएफआरएल) (मार्च 2017) के साथ खादी मार्क पंजीकरण समझौते किए, जिसमें फर्मों को अपने खुदरा दुकानों और डीलर नेटवर्क के माध्यम से बेचे जाने वाले खादी और खादी उत्पादों पर खादी मार्क का उपयोग करने का अधिकार दिया गया। समझौते के अनुसार,

केवीआईसी के साथ प्रत्येक फर्म द्वारा ब्याज मुक्त सुरक्षा राशि के रूप में ₹10 लाख जमा किए जाने थे और निरीक्षण और अन्य खर्चों के लिए ₹10 लाख का एकमुश्त शुल्क का भुगतान किया जाना था। कंपनियों ने परिचालन के पहले वर्ष में ₹2.50 करोड़ की न्यूनतम खरीद की गारंटी दी, जिसमें हर साल 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके लिए मूल अवधि चार महीने थी और उसके बाद न्यूनतम गारंटीकृत राशि में से किसी भी कमी को प्रतिभूति राशि के खिलाफ चालान किया जाएगा। उन्हें खादी और खादी उत्पादों की मासिक बिक्री रिपोर्ट केवीआईसी को प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता थी।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि

i. दोनों कंपनियों द्वारा भुगतान की जाने वाली ₹10 लाख की जमानत राशि और ₹10 लाख के एकमुश्त शुल्क का विवरण रिकॉर्ड में नहीं था।

ii. फर्मों को 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान ₹23.20 करोड़ के उत्पादों की खरीद और ₹1.16 करोड़ (पांच प्रतिशत) की रॉयल्टी का भुगतान करना अनिवार्य था। हालांकि, वास्तविक खरीद केवल ₹6.34 करोड़ थी (इस पर रॉयल्टी ₹32 लाख थी) और वह भी केवल एक फर्म (रेमंड) द्वारा, जिसके परिणामस्वरूप गारंटीकृत न्यूनतम खरीद के तहत प्रतिबद्ध रॉयल्टी पर ₹1.06 करोड़[77] की वसूली नहीं हो पाई।

iii. यह भी देखा गया कि न तो मैसर्स रेमंड और न ही मैसर्स एबीएफआरएल ने खादी और खादी उत्पादों की मासिक बिक्री रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जैसा कि केवीआईसी को करार द्वारा अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए, केवीआईसी/मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022/अगस्त 2022) कि रेमंड ने महामारी की अवधि के दौरान खादी कपड़े की खरीद नहीं की थी, लेकिन बाद में खरीद शुरू कर दी थी। केवीआईसी ने यह भी स्वीकार किया कि एबीएफआरएल ने खादी कपड़े की खरीद नहीं की थी। केवीआईसी ने यह भी स्वीकार किया कि यद्यपि मैसर्स रेमंड से ₹32 लाख की रॉयल्टी बकाया है। रेमंड ने वास्तविक खरीद के लिए केवल ₹9 लाख का भुगतान किया था। हालांकि, न्यूनतम गारंटीकृत खरीद

[77] *₹1.06 करोड़ = ₹1.16 करोड़ (कुल प्राप्य) - ₹9.92 लाख (वास्तव में मैसर्स रेमंड लिमिटेड से प्राप्त)।*

और उस पर देय रॉयल्टी के बारे में जवाब मौन था। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि समझौते की अवधि का प्रमुख हिस्सा महामारी से पहले था।

**5.1.5.2 खुदरा फ्रैंचाइज़ी योजना**

खुदरा फ्रैंचाइज़ी योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- प्रारंभ में फ्रेंचाइजी पांच साल की अवधि के लिए होगी और फ्रैंचाइज़र द्वारा तय किए गए नियमों और शर्तों पर एक अवधि के लिए आगे बढ़ाई जा सकती है।
- फ्रेंचाइजी वैध खादी मार्क प्रमाण पत्र वाले उत्पाद निर्माण संस्थानों से खादी वस्तुओं और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम /ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी/ आरईजीपी) इकाइयों / संस्थानों से पारस्परिक रूप से तय भुगतान नियमों और शर्तों पर खरीदने के लिए स्वतंत्र होगी।
- खादी इंडिया फ्रैंचाइज़ी में केवीआईसी द्वारा अनुमोदित साइनेज का एक समान डिजाइन और पैटर्न होगा और 'खादी इंडिया' लोगो प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा।
- फ्रेंचाइजी के पास कम से कम ₹1.5 करोड़ प्रति वर्ष का न्यूनतम औसत बिक्री लक्ष्य होना चाहिए।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित का अवलोकन किया:

i. फ्रैंचाइजियों के संबंध में विज्ञापन देते समय, केवीआईसी द्वारा फ्रेंचाइजी की संख्या के लिए निर्धारित लक्ष्य (अक्टूबर 2017) 180 था। हालांकि, वास्तविक उपलब्धि 12 थी और जिनमें से केवल आठ कार्यात्मक हैं (अगस्त 2022)।

ii. समझौते की शर्तों के अनुसार फ्रेंचाइजी द्वारा प्राप्त किया जाने वाला बिक्री लक्ष्य प्रति वर्ष ₹1.5 करोड़ था। हालांकि, 2018-19 से 2020-21 तक तीन वर्षों के दौरान वास्तविक उपलब्धि केवल ₹2.86 करोड़ (7.94 प्रतिशत) थी, जो आठ कामकाजी फ्रेंचाइजी के लिए लागू बिक्री लक्ष्य से काफी कम थी।

iii. फ्रैंचाइज़ी समझौते में निर्धारित शर्तों में से एक यह थी कि फ्रैंचाइज़ी को स्टॉक और बिक्री को दर्शाते हुए केवीआईसी को आवधिक रिटर्न प्रदान करना चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि किसी भी फ्रेंचाइजी ने इस शर्त का पालन नहीं किया था और इसलिए, केवीआईसी को फ्रेंचाइजी द्वारा प्राप्त वास्तविक बिक्री के बारे में कोई जानकारी नहीं थी

और बार-बार अनुरोध के बाद उनके द्वारा प्रस्तुत असत्यापित जानकारी पर भरोसा करना पड़ा। वास्तव में, आठ फ्रेंचाइजी जो अभी भी कार्यात्मक हैं, उनमें से केवल दो ने सभी वर्षों के लिए उनके द्वारा की गई बिक्री के बारे में जानकारी प्रस्तुत की थी। उपर्युक्त के अलावा, केवीआईसी ने फ्रैंचाइज़ी समझौते में बिक्री डेटा के प्रावधान के लिए कोई आवश्यकता शामिल नहीं की थी, और फ्रैंचाइज़ी के बिक्री डेटा को प्राप्त करने और सत्यापित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की थी और इसलिए फोन, सोशल मीडिया आदि पर फ्रेंचाइजी द्वारा रिपोर्ट किए गए बिक्री आंकड़ों को स्वीकार कर रहा है।

iv. फ्रेंचाइजियों द्वारा केवीआईसी को देय रॉयल्टी सकल बिक्री का पांच प्रतिशत थी। आज की तारीख में, इस मद में प्राप्त ₹14.32 लाख[78] में से, केवीआईसी को केवल 16,204 प्राप्त हुए हैं और वह भी मार्च 2022 तक एक वर्ष के लिए एक फ्रेंचाइजी से।

v. केवीआईसी ने फ्रेंचाइजी द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। चूंकि यह व्यवस्था फ्रेंचाइजी को खादी संस्थानों, ग्रामोद्योगों और पीएमईजीपी इकाइयों से किसी भी उत्पाद की खरीद करने की अनुमति देती है, इसलिए केवीआईसी को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया स्थापित करनी चाहिए थी कि 'खादी इंडिया' ब्रांड नाम के तहत इसकी फ्रेंचाइजी द्वारा बेचे गए उत्पाद निर्धारित गुणवत्ता मानक के अनुरूप हों।

vi. करार की शर्तों के अनुसार, केवीआईसी को विज्ञापन सामग्री प्रदान करने और लागत हिस्सेदारी के आधार पर संयुक्त रूप से तैयार किए गए बिक्री संवर्धन और प्रचार गतिविधियों को भी सहायता प्रदान करनी होती है। यह देखा गया कि अभी तक ऐसा कोई विज्ञापन/विपणन सहायता कार्यकलाप नहीं किया गया था।

vii. फ्रेंचाइजी को ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने माल के विपणन की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था, जो उचित नहीं था क्योंकि फ्रेंचाइजी समझौते में कोई खंड नहीं था जो ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध लगाता था। ऑनलाइन बिक्री की अनुमति देने से दोनों फ्रेंचाइजी को अधिक बिक्री और केवीआईसी को अधिक रॉयल्टी के साथ लाभ हो सकता है। करार में यह प्रावधान किया गया था कि फ्रेंचाइजी शोरूम में ऐसे प्रकार के उत्पादों को स्टोर करेगी और ऐसी मात्रा में जो समय-समय पर

---

[78] *₹2.86 करोड़ रुपये (बिक्री प्राप्त) का पांच प्रतिशत।*

फ्रैंचाइज़र और फ्रैंचाइज़ी द्वारा बाजार की आवश्यकताओं के आधार पर पारस्परिक रूप से तय की जा सकती हैं। यह भी प्रावधान किया गया था कि फ्रेंचाइजी के पास पिछले महीने में मासिक आधार पर, पिछली तिमाही के अंतिम महीने में त्रैमासिक आधार पर और पिछले वित्तीय वर्ष के जनवरी में वार्षिक आधार पर खरीद योजना होगी, जिसकी सूचना फ्रैंचाइज़र को दी जाएगी। उपरोक्त में से कोई भी वास्तव में लागू नहीं किया गया था। केवीआईसी ने अपने विभागीय बिक्री केन्द्रों के लिए भी ऐसी कवायद नहीं की है।

इस प्रकार, खादी और ग्रामोघोग उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से एक विपणन पहल के रूप में, फ्रेंचाइजी योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में प्रभावी नहीं रही है। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पता चले कि केवीआईसी ने फ्रेंचाइजी को प्रभावी ढंग से पोषित किया और उनके प्रदर्शन की निगरानी की। जहां तक रॉयल्टी का संबंध है, केवीआईसी को अपनी फ्रेंचाइजियों से प्राप्त वास्तविक रॉयल्टी में भावी फ्रेंचाइजि को आमंत्रित करने के लिए केवीआईसी द्वारा किए गए प्रारंभिक व्यय को भी शामिल नहीं किया गया था।

केवीआईसी/मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022/अगस्त 2022) कि फ्रेंचाइजी योजना को प्रायोगिक आधार पर लागू किया गया था और सीखे गए सबक के आधार पर, नियम और शर्तों को संशोधित किया गया था और योजना को 2022-23 में फिर से लॉन्च किया गया है। केवीआईसी ने स्वीकार किया कि फ्रेंचाइजी बकाया रॉयल्टी भेजने की स्थिति में नहीं थी। यह स्वीकार करते हुए कि फ्रेंचाइजी के लिए कोई अनुकूलित विज्ञापन नहीं बनाया गया था, केवीआईसी ने कहा कि उन्हें केवीआईसी द्वारा जारी किए गए सभी खादी इंडिया - अखिल भारतीय विज्ञापनों का लाभ मिल रहा था। केवीआईसी ने यह भी दावा किया कि फ्रेंचाइजी को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पाद बेचने की अनुमति देने से इनकार नहीं किया गया था। केवीआईसी ने आगे कहा कि आवेदक और केवीआईसी दोनों द्वारा आवश्यक बाजार अध्ययन करके फ्रेंचाइजी संचालन एक उद्यमी मोड के माध्यम से किया गया था और जब फ्रेंचाइजी योजना चालू हो गई, तो महामारी प्रतिबंध शुरू हो गए और प्रमोटरों को लंबी अवधि के लिए इसे बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें गंभीर नुकसान हुआ।

इस उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि केवीआईसी ने फ्रैंचाइज़ी समझौते के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया था। केवीआईसी ने आपूर्ति श्रृंखला में एकरूपता बनाए रखने के लिए विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के माध्यम से खादी और

ग्रामोघोग उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए फ्रेंचाइजी की अनुमति नहीं दी थी, जैसा कि 13 जून 2019 को हुई बैठक में दर्ज किया गया था। यदि केवीआईसी फ्रेंचाइजी को पर्याप्त समर्थन नहीं देता है तो फ्रेंचाइजी योजना के नियमों और शर्तों में संशोधन इसे सफल बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसके अलावा, महामारी ने देश को केवल मार्च 2020 से प्रभावित किया था, जबकि फ्रेंचाइजी योजना 2015 में शुरू की गई थी।

***सिफारिश संख्या 15***

***केवीआईसी फ्रेंचाइजी आउटलेट खोलने जैसी योजनाओं को लागू करने से पहले अवसरों और खतरों की पहचान करने के लिए गहन बाजार अध्ययन करे और उद्यमियों को विपणन सहायता और मार्गदर्शन भी प्रदान करे। ऐसी योजनाओं की सफलता के लिए प्रबंधन द्वारा आवधिक निगरानी की भी आवश्यकता है।***

### 5.1.6 खादी कोर्नर की स्थापना

ग्लोबस, डी-मार्ट, शॉपर्स स्टॉप, रेमंड आदि जैसी बड़ी खुदरा श्रृंखलाओं के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित एक बैठक (नवंबर 2017) के बाद, केवीआईसी ने देश भर में ब्रांडेड खुदरा दुकानों पर "खादी कोर्नर्स" स्थापित करने की परिकल्पना की। पूरे देश में खादी कोर्नर्स के लिए डिजाइन निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। केवीआईसी ने अपने खुदरा दुकानों के परिसर में खादी कोर्नर स्थापित करने के लिए दो खुदरा श्रृंखलाओं मेसर्स ग्लोबस स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड (ग्लोबस) और मेसर्स हस्तकला के साथ करार किया है।

#### 5.1.6.1 ग्लोबस शोरूम में खादी कोर्नर

केवीआईसी ने अपने शोरूम में किराया मुक्त स्थान प्रदान करने के लिए ग्लोबस के साथ एक समझौता (जनवरी 2018) किया। खादी कोर्नर को शुरू में नोएडा, यूपी में ग्लोबस के शोरूम में स्थापित किया जाएगा और चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में प्रतिरूप किया जाएगा। खादी कोर्नर्स का संचालन खादी ग्रामोघोग भवनों द्वारा किया जाएगा। खादी ग्रामोघोग भवनों द्वारा ग्लोबस के साथ आपसी विचार-विमर्श के माध्यम से बिक्री का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा और खादी कोर्नर चलाने के लिए मुफ्त आवास प्रदान करने के लिए खादी ग्रामोघोग भवनों द्वारा खादी पर 20 प्रतिशत और ग्रामोघोग उत्पादों पर 30 प्रतिशत का उत्पादवार व्यापार कमीशन प्रदान किया जाना था। नोएडा, अहमदाबाद और चेन्नई में ग्लोबस स्टोर्स में खादी कोर्नर्स ने जनवरी 2018 से काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि,

ग्लोबस ने अक्टूबर 2018 में अहमदाबाद में अपना शोरूम खाली कर दिया और खादी कोर्नर बंद कर दिया गया। नोएडा और टी नगर (चेन्नई) में खादी कोर्नर्स को भी कम बिक्री और परिणामस्वरूप ग्लोबस द्वारा अर्जित कमीशन कम होने और उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं करने के कारण (नवंबर 2018) बंद कर दिया गया था। खादी कोर्नर्स के बंद होने के बाद ग्लोबस द्वारा की गई मांग के अनुसार, तीनों आउटलेट्स द्वारा की गई कुल बिक्री केवल ₹20.17 लाख थी और ग्लोबस को देय कमीशन ₹5.86 लाख था। नोएडा में खोले गए खादी कोर्नर आउटलेट को ₹22.76 लाख का शुद्ध हानि हुई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि केवीआईसी द्वारा भंडारों के संचालन की प्रभावी निगरानी का अभाव था। जनवरी 2018 से सितंबर 2018 की अवधि के दौरान ग्लोबस, नोएडा में खादी कोर्नर को ₹22.76 लाख कि हानि हुई थी, जिसकी जानकारी प्रबंधक, केजीबी नई दिल्ली द्वारा नवंबर 2018 में केवीआईसी को दी गई थी, तब तक ग्लोबस ने पहले ही केवीआईसी के साथ अपना जुड़ाव समाप्त करने का फैसला कर लिया था। चेन्नई के मामले में भी केवीआईसी प्रबंधन ने खादी ग्रामोघोग भवन के कर्मचारियों को आउटलेट को कुशलतापूर्वक नहीं चलाने के लिए दोषी ठहराया था।

### 5.1.6.2 हस्तकला शोरूम में खादी कोर्नर

केवीआईसी ने (2018 मार्च) मैसर्स हस्तकला के साथ ग्रामोघोग पर 30 प्रतिशत और खादी उत्पादों पर 20 प्रतिशत कमीशन के लिए अपने आउटलेटों में खुदरा स्थान प्रदान करने के लिए एक समझौता किया। मैसर्स हस्तकला ने शुरू में अपने ठाणे आउटलेट में फ्लोर स्पेस उपलब्ध कराने और बाद में अन्य आउटलेट्स में जगह उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की। प्रारंभ में, मेसर्स हस्तकला ने ₹10 लाख जमा किए, जिसके लिए उन्हें ₹8 लाख के उत्पादों की आपूर्ति की जाएगी। फर्म ने मार्च 2018 में ₹10 लाख जमा किए थे, लेकिन केवल ₹2 लाख के उत्पाद प्रदान किए गए थे। भले ही ठाणे के हस्तकला आउटलेट में खादी कोर्नर का उद्घाटन जून 2018 में उनके द्वारा निर्धारित किया गया था, लेकिन अभिलेख से यह स्पष्ट नहीं था कि दुकान खोली गई थी या नहीं। अभिलेख से प्राप्त बिक्री, वर्तमान स्थिति आदि के बारे में कोई और विवरण नहीं आया, सिवाय मैसर्स हस्तकला ने केवीआईसी के साथ अपनी जमा राशि से ₹5 लाख की वापसी (सितंबर 2018) की मांग की।

केवीआईसी/मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022/अगस्त 2022) कि खादी कोर्नर्स जैसे विपणन प्रयोगों को सही उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया था, लेकिन नियंत्रण से परे कारणों के कारण विफल रहे।

इस उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि केवीआईसी ने खुद खादी ग्रामोघोग भवन के कर्मचारियों द्वारा निगरानी की कमी को चेन्नई खादी कोर्नर की विफलता के कारणों में से एक के रूप में पहचाना था। इसके अतिरिक्त, पहल शुरू करने में विफल रहने के बाद भी, केवीआईसी ने विफलता के कारणों की पहचान करने के लिए "प्रयोग" की समीक्षा नहीं की थी।

### 5.1.7 खादी प्लाजा की स्थापना

बाजार संवर्धन और विकास सहायता योजना (एमपीडीए) के दिशा-निर्देशों के अवसंरचना घटक में ₹60 करोड़ के परिव्यय के साथ विपणन परिसरों/प्लाजाओं की स्थापना और प्रति परियोजना अधिकतम सहायता ₹10 करोड़ तक सीमित करने की परिकल्पना की गई है। केवीआईसी के स्वामित्व में भूमि होने की स्थिति में सहायता की मात्रा 100 प्रतिशत, राज्य सरकारों/खादी ग्रामोघोग बोर्डों के लिए 75 प्रतिशत और खादी संस्थानों के लिए 25 प्रतिशत होगी। 2016-17 से 2021-22 की अवधि के दौरान, राज्य खादी ग्रामोघोग बोर्डों, खादी संस्थानों और केवीआईसी के राज्य कार्यालयों सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा ₹102.26 करोड़ की कुल अनुमानित लागत पर 12 खादी प्लाजा स्थापित करने के प्रस्ताव केवीआईसी को प्रस्तुत किए गए थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 12 प्रस्तावों में से 11 वर्तमान योजना के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए थे और वर्ष 2009 का एक पूर्व प्रस्ताव (दीमापुर, नागालैंड में खादी प्लाजा जिसे वर्ष 2010 में स्वीकृत किया गया था) को वर्तमान योजना में मिला दिया गया था। हालांकि ये 11 प्रस्ताव जनवरी[79] 2017 से प्राप्त हुए थे, लेकिन अब तक केवीआईसी द्वारा केवल एक प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी, जिसे स्वीकृति के लिए एमएसएमई मंत्रालय को भेजा जाना बाकी है (अगस्त 2022)।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि:

---

[79] ***एक प्रस्ताव 2016-17 में, चार प्रस्ताव 2017-18 में, तीन प्रस्ताव 2018-19 में, दो प्रस्ताव 2019-20 में और एक प्रस्ताव 2020-21 में।***

i. नागालैंड सरकार ने ₹10.42 करोड़ की अनुमानित लागत से दीमापुर में 150 दुकानों के लिए प्रावधान वाले खादी प्लाजा का प्रस्ताव (मार्च 2009) किया। केवीआईसी ने ₹10.20 करोड़ के बजट के साथ (जनवरी 2010) सैद्धांतिक स्वीकृति दी। प्लाजा का निर्माण तीन चरणों में किया जाना था। चरण-I के लिए ₹5.14 करोड़ की लागत से कार्य (जुलाई 2010) सौंपा गया था जिसमें 50 दुकानें शामिल थीं, जिनके पूरा होने की निर्धारित तिथि जनवरी 2012 थी। यद्यपि केवीआईसी ने (जनवरी, 2010) ₹3.40 करोड़ की राशि स्वीकृत की थी, तथापि मंत्रालय से अनुमोदन के अभाव में नागालैंड खादी एवं ग्रामोघोग बोर्ड को निधियां अंतरित नहीं की गई थीं और बाद में ठेकेदार ने ₹3.29 करोड़ का कार्य पूरा करने के बाद कार्य बंद कर दिया था। नागालैंड खादी और ग्रामोघोग बोर्ड ने 2013-14 के दौरान चरण 1 के लिए ₹6.18 करोड़ (कुल लागत के 90 प्रतिशत पर केवीआईसी हिस्सा) की कुल लागत के साथ प्रस्ताव को फिर से प्रस्तुत किया और अंत में केवीआईसी ने नागालैंड खादी और ग्रामोघोग बोर्ड को ₹5.56 करोड़ जारी किए। तथापि, लागत में वृद्धि के कारण चरण-I के कार्यों को पूरा करने के लिए ₹3.82 करोड़ की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता थी। बाजार संवर्धन और विकास सहायता दिशानिर्देशों के जारी (सितंबर 2016) के बाद, ग्राउंड फ्लोर पर काम खत्म करने और चरण-I के संचालन को शुरू करने के लिए ₹3.44 करोड़ (अगस्त 2017) की अतिरिक्त धनराशि मांगी गई थी। तथापि, कोई धनराशि जारी नहीं की गई। नागालैंड खादी और ग्रामोघोग बोर्ड ने (दिसंबर 2020) खादी प्लाजा की पहली मंजिल (चरण 2) को पूरा करने के लिए ₹6.23 करोड़ का एक विस्तृत अनुमान अग्रेषित किया और सूचित किया कि खादी प्लाजा को चालू करने के लिए पहली मंजिल का पूरा होना आवश्यक था और संकेत दिया कि इसे पूरा किए बिना, प्लाजा गतिविधियों को आंशिक रूप से भी शुरू नहीं किया जा सकता है। केवीआईसी ने (मार्च 2022) परियोजना पर स्थिति रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक समिति बनाने और इसे आगे की कार्रवाई के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

इस प्रकार, परियोजना पर खर्च की गई ₹7.60 करोड़[80] की पूरी राशि काम सौंपने से 11 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी बेकार रही। केवीआईसी द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, परियोजना के अधूरे रहने के कारण अनुचित आयोजना/डिजाइन और निधियां जारी करने में विलंब था। भले ही सदस्य, केवीआईसी, एनईआर परियोजना कार्यान्वयन

[80] ***केवीआईसी का हिस्सा - ₹5.56 करोड़ और राज्य सरकार का हिस्सा ₹2.04 करोड़***

समिति के अध्यक्ष थे और राज्य निदेशक, केवीआईसी सदस्यों में से एक थे, परियोजना को आज तक (मार्च 2022) लागू नहीं किया जा सका।

ii. आइजोल में खादी प्लाजा के संबंध में, प्रस्ताव अगस्त 2016 में ₹10.90 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ केवीआईसी को प्रस्तुत किया गया था। हालांकि इस प्रस्ताव पर केवीआईसी द्वारा विचार किया गया था और इसने एमएसएमई मंत्रालय से केवीआईसी के हिस्से के रूप में ₹8.89 करोड़ जारी करने का अनुरोध किया था, लेकिन प्रस्ताव के लिए प्रशासनिक अनुमोदन अभी (अगस्त 2022) केवीआईसी द्वारा दिया जाना है। यह देखा गया कि यद्यपि तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार की गई थी और उस पर केवीआईसी द्वारा विचार किया गया था, फिर भी इसने प्रस्ताव की व्यवहार्यता पर उनके परामर्शदाता मैसर्स केपीएमजी से राय मांगी। केपीएमजी ने (मार्च 2020) राय दी कि व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए अधिक विवरण प्राप्त किया जाना चाहिए और इसका निर्धारण करने के लिए अलग कार्य आदेश के लिए अनुरोध किया। परियोजना में आगे कोई प्रगति नहीं हुई।

iii. रायपुर, लखनऊ, वाराणसी, कोट्टायम, गुवाहाटी, हैदराबाद, मुजफ्फरनगर, बेंगलुरु, जयपुर और ईटानगर में खादी प्लाजा की स्थापना के लिए 2016-17 से 2021-22 के बीच प्राप्त प्रस्ताव अभी भी केवीआईसी (अगस्त 2022) द्वारा प्रस्तावित प्लाजा की साध्यता /व्यवहार्यता का निर्धारण करने के चरण में हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रस्तावों का निर्धारण करने और उन्हें अनुमोदित करने में केवीआईसी की ओर से अत्यधिक विलंब हुआ। प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में विलंब के परिणामस्वरूप परियोजना की अनुमानित लागत में वृद्धि हो रही है। उदाहरण के लिए, रायपुर प्रस्ताव में अनुमानित लागत में ₹2.01 करोड़ की वृद्धि हुई थी। लखनऊ प्रस्ताव के संबंध में, केवीआईसी (फरवरी 2022) परियोजना से प्राप्त लाभों के लिए कह रहा है, हालांकि दिशानिर्देशों में केवीआईसी को इस तरह के लाभों पर कभी विचार नहीं किया गया था। यह भी देखा गया कि दीमापुर, आइजोल और छत्तीसगढ़ में खादी प्लाजा के प्रस्तावों के मामले में, केवीआईसी ने प्रस्तावित प्लाजा में अपने राज्य कार्यालयों को जगह प्रदान करने पर जोर दिया था। एमपीडीए के दिशा-निर्देशों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिसमें यह अनिवार्य किया गया था कि खादी प्लाजा परियोजनाओं में केवीआईसी को स्थान

आवंटित किया जाना चाहिए और इसलिए, राज्य केवीआईबी को अपने प्रस्तावों में ऐसी शर्त शामिल करने के लिए मजबूर करना उचित नहीं था।

इस प्रकार, खादी प्लाजा योजना के तहत एक भी परियोजना को लागू नहीं किया जा सका, भले ही केवीआईसी को ₹102.26 करोड़ की कुल अनुमानित लागत वाली 12 परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

केवीआईसी/मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022/अगस्त 2022) कि नागालैंड खादी प्लाजा का आंशिक वित्त पोषण और नागालैंड खादी बोर्ड द्वारा कार्यों के निष्पादन में देरी ने इसे आयोग के स्तर पर परियोजना के वित्तपोषण पर पुनर्विचार करने के लिए और साथ ही आइजोल, रायपुर, लखनऊ आदि से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों के वांछित परिणामों और स्थायित्व पर उचित बाजार-अध्ययन पर मजबूर किया था। यह भी कहा गया कि मिजोरम राज्य बोर्ड द्वारा केवीआईसी के प्रश्नों का दिया गया उत्तर विश्वसनीय नहीं था। इसके अतिरिक्त, केवीआईसी ने सूचित किया कि प्राप्त प्रस्तावों को बाजार संवर्धन और विकास सहायता दिशानिर्देशों के अनुसार उचित रूप से लिया गया था और केवीआईसी परियोजना परिसर का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने और परियोजना के उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली सरकारी निधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाध्य था। केवीआईसी द्वारा यह भी कहा गया था कि स्थानीय निकायों की आपत्तियों के कारण विलंब हुआ था।

हालांकि, तथ्य यह है कि कोई खादी प्लाजा नहीं खोला जा सका। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार योजनाओं की संवीक्षा और प्रगति की मानीटरिंग सहित योजना के कार्यान्वयन का प्राथमिक उत्तरदायित्व केवीआईसी का है। नागालैंड खादी प्लाजा के मामले में विलंब के लिए राज्य एजेंसी को कारण के रूप में देखते हुए इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि केवीआईसी के अधिकारी परियोजना कार्यान्वयन समिति का हिस्सा थे, और निर्माण योजना को केवीआईसी द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके अतिरिक्त, केवीआईसी ने प्लाजा की विपणन क्षमता का पता लगाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी और परियोजना के भविष्य पर निर्णय लेने में निरंतर विलंब से लागत में और वृद्धि होगी।

मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी प्रतिष्ठित संस्थान/एजेंसी से तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट के साथ एक अवधारणा पत्र प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों में से एक था। मिजोरम खादी प्लाजा के मामले में, केवीआईसी

के जवाब को इस तथ्य के खिलाफ देखा जा सकता है कि राज्य बोर्ड ने आईआईटी, गुवाहाटी द्वारा तैयार एक तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और प्रस्ताव को केवीआईसी द्वारा "व्यवस्थित पाया गया" और बदले में, इसने जनवरी 2018 में मंत्रालय को इसकी मंजूरी के लिए सिफारिश की थी। परिणास्वरूप, तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट को एक तीसरे पक्ष के सलाहकार द्वारा भी जांचा गया था जिनके प्रश्नों से राज्य बोर्ड को अवगत करा दिया गया था। हालांकि, उसके बाद कुछ नहीं हुआ।

आगे, केवल एक प्लाजा (वाराणसी) के मामले में स्थानीय निकाय से अनुमति प्राप्त करने में देरी हुई जो मुख्य रूप से केवीआईसी की ओर से अपनी राज्य इकाई को निधियां स्वीकृत करने में विलंब के कारण हुआ था।

केवीआईसी का यह रुख कि वह परियोजना परिसर का इष्टतम उपयोग और सरकारी धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाध्य था, योजना के तहत केवल आंशिक रूप से स्वीकार्य है। प्रस्तावों की जांच करना और संस्थानों का मार्गदर्शन प्रदान करना भी केवीआईसी की जिम्मेदारी है। तथ्य यह है कि इस योजना के तहत अब तक एक भी खादी प्लाजा स्थापित नहीं किया गया है।

***सिफारिश संख्या 16***

***केवीआईसी इस तथ्य के मद्देनजर पूरी तरह से समीक्षा के बाद खादी प्लाजा योजना को फिर से शुरू करने पर विचार कर सकता है कि इसके तहत एक भी परियोजना लागू नहीं की जा सकी। खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में विपणन अवसंरचना के सृजन के लिए खादी प्लाजा स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध निधियों के उपयोग हेतु व्यवहार्य प्रस्ताव तैयार करने हेतु केवीआईसी राज्य खादी बोर्डों आदि को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रणाली भी विकसित कर सकता है।***

### 5.1.8 मौजूदा खादी संस्थानों के कमजोर बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण और विपणन बुनियादी ढांचे के लिए सहायता

मौजूदा कमजोर खादी संस्थानों के बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण और विपणन अवसंरचना के लिए सहायता योजना का एक उद्देश्य बिक्री केन्द्रों का नवीकरण था। योजना के अंतर्गत, अगस्त, 2009 में नवीकरण के लिए मुंबई, गोवा, भोपाल और अगरतला (निष्क्रिय) में

खादी ग्रामोघोग भवन नामक चार बिक्री केन्द्रों का चयन किया गया था। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित का अवलोकन किया:

### 5.1.8.1 खादी ग्रामोघोग भवन, मुंबई का नवीनीकरण

हालांकि केजीबी मुंबई में 2009-10 से नवीनीकरण प्रस्तावित था, निधियों का आवंटन नहीं किया गया था। बजट परिव्यय को प्रति खादी ग्रामोघोग भवन ₹25 लाख तक सीमित कर दिया गया था, जो वर्ष 2009 में निर्धारित राशि थी, जबकि वर्ष 2018 में ₹2.50 करोड़ का बजट मांगा गया था। संभावित उपभोक्ताओं के लिए आउटलेट के आकर्षण को कम करने के अतिरिक्त नवीकरण में देरी के कारण केजीबी मुंबई में गोदाम में संग्रहीत माल को वर्षा जल के रिसाव के कारण केवीआईसी को ₹2.01 करोड़ का नुकसान हुआ, जिसे केवीआईसी ने अनुपलब्ध पाया है। यह भी देखा गया कि केवीआईसी ने स्थानीय निकाय से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए बिना ₹32 लाख की लागत से केंद्रीय कार्यालय के परिसर में एक अतिरिक्त शोरूम का निर्माण (2016) किया। शोरूम पिछले छह वर्षों से केवीआईसी परिसर में काम कर रहा है और केवीआईसी ने इसे नियमित करने का कोई प्रयास नहीं किया है।

**चित्र:5.1 खादी ग्रामोद्योग भवन मुंबई का गोदाम**

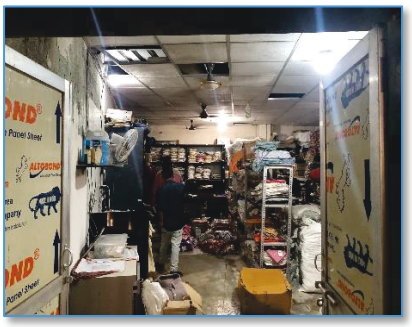

### 5.1.8.2 खादी ग्रामोघोग भवन, गोवा में शोरूम और गोदाम का नवीनीकरण

खादी ग्रामोघोग भवन, गोवा में दो शोरूम (पणजी और मडगांव) और एक गोदाम (मडगांव) है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

i. निदेशक विपणन, केवीआईसी की सिफारिश (फरवरी 2018) के अनुसार, मडगांव स्थित गोदाम के तत्काल नवीकरण/मरम्मत की आवश्यकता थी। हालांकि, कोई मरम्मत नहीं की गई थी।

ii. मडगांव में शोरूम को ₹30.13 लाख की लागत से पुनर्निर्मित (2018) किया गया था। लेखापरीक्षा (नवंबर 2021), द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण पर यह देखा गया कि दुकान की छत टूटी हुई और क्षतिग्रस्त थी। खादी ग्रामोघोग भवन के कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि दरारों के माध्यम से पानी रिस गया था, जिससे महंगे माल को नुकसान पहुंचा था। हालांकि संविदाकार ने एक बार दरारों की मरम्मत की थी, लेकिन यह फिर से

हुआ और इस बार अधिक व्यापक रूप से हुआ। क्षति को सुधारने और आगे की घटना को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही नुकसान का आकलन भी नहीं किया गया है। इस प्रकार, नवीकरण का उद्देश्य ही अर्थहीन हो गया था।

केवीआईसी/मंत्रालय (जुलाई 2022/अगस्त 2022) ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया और कहा कि नवीकरण तत्काल आधार पर किया जाएगा।

***सिफारिश संख्या 17***

***केवीआईसी बिक्री आउटलेटों और गोदामों के नवीकरण के लिए बाजार संवर्धन और विकास सहायता योजना के तहत उपलब्ध निधियों का उपयोग करके विपणन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए योजना को लागू करने की प्रक्रिया में तेजी ला सकता है।***

### 5.1.9 खादी ग्रामोघोग भवनों के लिए प्रोत्साहन योजना का क्रियान्वयन

खादी ग्रामोघोग भवनों के बिक्री कर्मियों को प्रेरित करने और पुरस्कृत करने के लिए आयोग द्वारा एक प्रोत्साहन योजना (अगस्त 2017) को मंजूरी दी गई थी, जिसमें विक्रेता स्तर तक खुदरा काउंटरों के लिए उत्पाद-वार लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। लक्ष्य की प्राप्ति पर, खादी ग्रामोघोग भवनों के संबंधित विक्रेता और अन्य कर्मियों को इस बात के आधार पर दरों पर गणना की गई प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाना था। हालांकि मसौदा प्रस्ताव तैयार किया गया था (सितंबर 2017), यह योजना अब तक (अगस्त 2022) लागू नहीं की गई है। योजना के कार्यान्वयन से उत्पाद प्राथमिकता के अनुसार बिक्री को प्रोत्साहित किया जा सकता था।

केवीआईसी/मंत्रालय ने (जुलाई 2022/अगस्त 2022) कहा कि इस योजना को उच्च देनदारों और लेनदारों के कारण लागू नहीं किया जा सका और इसलिए भी कि खादी ग्रामोघोग भवनों द्वारा किया गया लाभ नगण्य था।

उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि प्रोत्साहन योजना शुरू करने का उद्देश्य कर्मियों को उच्च बिक्री और लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना था। इसके अतिरिक्त, प्रोत्साहन का भुगतान लक्ष्यों को पार करने वाली बिक्री में वृद्धि से प्राप्त मार्जिन से किया जाना था।

### 5.1.10 निजी पार्टियों द्वारा केवीआईसी के पंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन

केवीआईसी विभिन्न ट्रेडमार्क - खादी (शब्द चिह्न), खादी इंडिया लोगो, सर्वोदय (वर्डमार्क), खादी मार्क लोगो और खादी के प्रसिद्ध मार्क के रूप में दो अलग-अलग तस्वीरें का पंजीकृत मालिक है। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के अनुसार, ट्रेडमार्क का उल्लंघन कारावास से दंडनीय है जो छह महीने से कम नहीं होगा, लेकिन जो तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना जो ₹50,000 से कम नहीं होगा, लेकिन जो ₹2 लाख तक बढ़ सकता है।

**चित्र 5.2 खादी इंडिया का लोगो**

**चित्र: 5.3 खादी चिह्न**

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयोग ने ऐसे 1,694 फर्मों की पहचान की थी जिन्होंने केवीआईसी द्वारा पंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया था। सात फर्मों के खिलाफ अदालती मामले दायर किए गए थे और 1,687 फर्मों को कानूनी नोटिस जारी किए गए थे। 1,687 फर्मों के मामले में, उल्लंघन के खिलाफ अदालती मामले दर्ज करने और कानून एवं व्यवस्था अधिकारियों के साथ शिकायत दर्ज करने आदि जैसी आगे की कार्रवाई नहीं की गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2017-18 से 2020-21 के दौरान 1,687 फर्मों में से 174 फर्मों का कुल कारोबार कारोबार ₹4,034.91 करोड़[81] था, हालांकि अनधिकृत खादी ट्रेडमार्क का उपयोग करके की गई बिक्री की मात्रा का आसानी से पता नहीं चल सका।

लेखापरीक्षा ने 69 फर्मों के संबंध में सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी की जांच की और यह पाया गया कि ये फर्में, जिन्हें केवीआईसी द्वारा कानूनी नोटिस दिए गए थे, अभी भी सक्रिय रूप से केवीआईसी के पंजीकृत ट्रेडमार्क का उपयोग करके अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेच रहे थे। इन कंपनियों ने 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान ₹2,297.52 करोड़ की बिक्री की। हालांकि, लेखापरीक्षा यह पता लगाने में असमर्थ थी कि फर्मों द्वारा उपरोक्त बिक्री में खादी और ग्रामोघोग उत्पाद शामिल हैं जिनके लिए केवीआईसी ने ट्रेडमार्क पंजीकृत किया है, तथ्य यह है कि केवीआईसी ने यह सत्यापित नहीं किया है

---

[81] *स्रोत: फर्मों द्वारा दायर जीएसटी रिटर्न।*

कि जिन फर्मों को उसने कानूनी नोटिस जारी किए हैं, वे ट्रेडमार्क उल्लंघन जारी रख रही थीं या नहीं।

केवीआईसी/मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022/अगस्त 2022) कि चूंकि अदालत शुल्क का भुगतान मुआवजे की राशि के आधार पर किया जाना आवश्यक है, इसलिए छोटे व्यापारियों / संस्थाओं के खिलाफ मुकदमा दायर करना वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं है। यह भी बताया गया कि जिन संस्थाओं को कानूनी नोटिस जारी किए गए थे, उनमें से 444 संस्थाओं ने बिना शर्त माफी मांगी है, 83 संस्थाओं ने भविष्य में अनधिकृत खादी व्यापार चिह्नों का उपयोग नहीं करने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किए हैं और 397 संस्थाओं ने खादी शब्द का उपयोग करना बंद कर दिया है। ऑनलाइन लिंक को हटाने के लिए कदम उठाने के परिणामस्वरूप, ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों से 1,809 लिंक और सोशल मीडिया से 1,411 लिंक हटा दिए गए हैं, जो ज्यादातर उन संस्थाओं को कवर करते हैं जिन्हें कानूनी नोटिस जारी किए गए थे। उपर्युक्त के अलावा, केवीआईसी खादी शब्द वाले डोमेन नाम के पंजीकरण के खिलाफ भी शिकायतें दर्ज कर रहा है और तीसरे पक्ष द्वारा ट्रेड मार्क्स के पंजीकरण के आवेदन के खिलाफ भी विरोध दर्ज कर रहा है जिसमें 'खादी' शब्द शामिल है।

मंत्रालय ने आगे बताया (अगस्त 2022) कि वर्तमान में व्यापार चिह्नों के उल्लंघन के प्रति जारी कानूनी नोटिसों की संख्या 2,100 से अधिक थी और जिन संस्थाओं के प्रति अदालती मामले दर्ज किए गए थे, उनकी संख्या 10 थी और अधिकांश मामलों में, यह उल्लंघन के प्रति निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त करने में सफल रहा था।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि केवीआईसी के पंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने वाली फर्मों द्वारा अभी भी भारी बिक्री उत्पन्न की जा रही

***सिफारिश संख्या 18***

***केवीआईसी उल्लंघन के प्रति अदालती मामले दर्ज करने और ट्रेडमार्क के उल्लंघन के मामले में कानून एवं व्यवस्था अधिकारियों के साथ शिकायत दर्ज करने जैसी अधिक सख्त कार्रवाई कर सकता है.***

## 5.2 खादी और ग्रामोघोग उत्पादों की बिक्री

जबकि खादी ग्रामोघोग भवन खादी संस्थानों और ग्रामोघोग उत्पादों के लिए बिक्री केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, केंद्रीय पूनी संयंत्र खादी संस्थानों को उनके द्वारा उत्पादित पूनी /

रोविंग की बिक्री में लगे हुए हैं। अन्य विभागीय व्यापारिक इकाइयां विशिष्ट उत्पादों जैसे शहद, नीरा, हस्तनिर्मित कागज आदि बेचती हैं।

### 5.2.1 खादी ग्रामोघोग भवनों द्वारा बिक्री

केवीआईसी में मौजूदा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार, खादी ग्रामोघोग भवनों के वार्षिक बजट प्रस्ताव विपणन निदेशालय को भेजे जाते हैं और समेकित बजट विपणन निदेशालय द्वारा केवीआईसी की स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) को प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसके अनुमोदन से इसे आयोग को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अनुमोदित वार्षिक बिक्री लक्ष्य, व्यय आदि के बारे में विपणन निदेशालय द्वारा व्यक्तिगत खादी ग्रामोघोग भवनों को सूचित किया जाता है। खादी ग्रामोघोग भवन व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को खुदरा बिक्री और भारतीय रेलवे, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों आदि जैसे सरकारी विभागों को थोक/बल्क बिक्री दोनों में लगे हुए हैं। लेखापरीक्षा नमूना जांच में 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान खादी ग्रामोघोग भवनों के बजट निर्माण और बिक्री निष्पादन की जांच की और निष्कर्षों पर अगले पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

#### 5.2.1.1 खुदरा बिक्री

**i) बिक्री लक्ष्यों की प्राप्ति**

सात खादी ग्रामोघोग भवनों के संबंध में 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान लक्षित खुदरा बिक्री की तुलना में उपलब्धि का सारांश तालिका 5.5 में दिखाया गया है।

**तालिका 5.5: खुदरा बिक्री**

**(आंकड़े ₹ करोड़ में और उपलब्धि प्रतिशत में)**

| केजीबी | 2017-18 | | 2018-19 | | 2019-20 | | 2020-21 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | वास्तविक | लक्ष्य | वास्तविक | लक्ष्य | वास्तविक | लक्ष्य | वास्तविक | लक्ष्य | वास्तविक |
| मुंबई | 11.16 | 3.18 (29%) | 11.16 | 3.81 (34%) | 4.77 | 3.16 (66%) | 5.41 | 1.28 (24%) | 32.50 | 11.43 (35%) |
| गोवा | 1.65 | 0.28 (17%) | 1.65 | 0.43 (26%) | 0.92 | 0.37 (40%) | 1.60 | 0.24 (15%) | 5.82 | 1.32 (23%) |
| कोलकाता | 9.22 | 5.71 (62%) | 9.22 | 9.27 (101%) | 11.59 | 5.85 (50%) | 7.91 | 2.32 (29%) | 37.94 | 23.15 (61%) |
| पटना | 2.60 | 1.04 (40%) | 2.60 | 1.91 (73%) | 2.34 | 1.22 (52%) | 2.80 | 0.64 (23%) | 10.34 | 4.81 (46%) |

| केजीबी | 2017-18 | | 2018-19 | | 2019-20 | | 2020-21 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | वास्तविक | लक्ष्य | वास्तविक | लक्ष्य | वास्तविक | लक्ष्य | वास्तविक | लक्ष्य | वास्तविक |
| दिल्ली | 127.82 | 96.23 (75%) | 127.82 | 101.22 (79%) | 82.63 | 90.11 (109%) | 87.45 | 48.30 (55%) | 425.72 | 335.86 (79%) |
| भोपाल | 2.92 | 2.91 (100%) | 2.92 | 3.89 (133%) | 3.64 | 1.59 (44%) | 4.81 | 0.90 (19%) | 14.29 | 9.29 (65%) |
| एर्नाकुलम | 7.86 | 5.79 (74%) | 7.86 | 6.17 (79%) | 7.82 | 5.46 (70%) | 9.37 | 2.04 (22%) | 32.91 | 19.46 (59%) |
| **कुल** | **163.23** | **115.14 (71%)** | **163.23** | **126.70 (78%)** | **113.71** | **107.76 (95%)** | **119.35** | **55.72 (47%)** | **559.52** | **405.32 (72%)** |

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित का अवलोकन किया:

- समग्र रूप से खादी ग्रामोघोग भवनों ने समीक्षाधीन वर्षों में से किसी के दौरान कुल बिक्री लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया। बजट में निर्धारित बिक्री लक्ष्यों के प्रति उपलब्धि 47 प्रतिशत (2020-21) से 95 प्रतिशत (2019-20) तक थी। इस अवधि के दौरान व्यक्तिगत खादी ग्रामोघोग भवनों द्वारा बिक्री लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि 23 प्रतिशत (केजीबी गोवा) से 79 प्रतिशत (केजीबी दिल्ली) तक थी। किसी भी वर्ष के दौरान सबसे कम उपलब्धि केजीबी गोवा (2020-21 में 15 प्रतिशत) और किसी भी वर्ष में केजीबी भोपाल (2018-19 में 133 प्रतिशत) द्वारा सबसे अधिक उपलब्धि थी।
- लक्ष्य के प्रति कुल उपलब्धि 2017-18 और 2018-19 में क्रमश: 71 प्रतिशत और 78 प्रतिशत थी। हालांकि खादी ग्रामोघोग भवनों के लिए केवीआईसी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 में 30 प्रतिशत तक कम कर दिया गया था, लेकिन इसे हासिल नहीं किया गया था। 2019-20 के दौरान, खादी ग्रामोघोग भवन 2018-19 के दौरान वास्तविक बिक्री भी प्राप्त नहीं कर सके। 2020-21 के दौरान बिक्री में भारी कमी आई थी और इसका मुख्य कारण कोविड महामारी था।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2022) कि महामारी के कारण केजीबी मुंबई के मामले में बिक्री कम थी। उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि खादी ग्रामोघोग भवन समीक्षाधीन वर्षों में से किसी में भी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं था, न की केवल महामारी से प्रभावित वर्ष में ही। केवीआईसी ने अन्य खादी ग्रामोघोग भवनों के संबंध में कमी के लिए उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

### ii) लक्ष्य निर्धारित करना और बिक्री बजट तैयार करना

केवीआईसी ने केवीआईसी/राज्य खादी और ग्रामोघोग बोर्ड की विभागीय इकाइयों और प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त/बोर्ड सहायता प्राप्त संस्थानों के संबंध में वार्षिक कार्य योजना (बजट) तैयार करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है। केवीआईसी ने (2018-19) संस्थानों को खादी विजन 2022 के अनुरूप वर्ष-वार लक्ष्य और उपलब्धि के साथ पंचवर्षीय कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। तथापि, विभागीय व्यापारिक इकाइयों द्वारा अपने बजट तैयार करने और कार्यान्वित करते समय अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों पर मानक प्रचालन प्रक्रिया मौन है। यह भी देखा गया कि खादी ग्रामोघोग भवनों के वार्षिक बजट को अत्यधिक विलंब के बाद अनुमोदित किया गया था; या तो वित्तीय वर्ष के बड़े हिस्से के बाद (2018-19, 2019-20, 2020-21) या यहां तक कि बाद के वित्तीय वर्ष (2017-18) के दौरान भी, जिसने पूरी बजट प्रक्रिया को अर्थहीन बना दिया। केवीआईसी द्वारा खादी ग्रामोघोग भवनों के वार्षिक बजट के अनुमोदन के संबंध में विवरण नीचे तालिका 5.6 में दिखाया गया है।

**तालिका 5.6: खादी ग्रामोघोग भवनों के वार्षिक बजट का अनुमोदन**

| वर्ष | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
|---|---|---|---|---|
| **बजट के अनुमोदन की तिथि** | 20.04.2018 | 03.10.2018 | 24.10.2020 | 14.12.2020 |

बजट की विलंब से मंजूरी ने न केवल केवीआईसी की ओर से बजट और वित्तीय नियोजन में गंभीर कमियों का संकेत दिया, बल्कि इसने खादी ग्रामोघोग भवनों की दक्षता को भी प्रभावित किया।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि बाजार की मांग, उत्पादन क्षमता आदि के किसी भी विश्लेषण के बिना पिछले वर्षों की उपलब्धियों में आम तौर पर 20-25 प्रतिशत की वृद्धि जोड़कर बिक्री लक्ष्य तय किए जा रहे थे। खादी ग्रामोघोग भवन-वार विश्लेषण केवीआईसी द्वारा समय-समय पर नहीं किया गया था ताकि कुछ स्थानों पर सुस्ती के कारणों की पहचान की जा सके और खादी ग्रामोघोग भवनों के कामकाज में सुधार के लिए आवश्यक मध्य-पाठ्यक्रम सुधार किए जा सकें।

केवीआईसी/मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

***सिफारिश संख्या 19***

***केवीआईसी खादी ग्रामोघोग भवनों के लिए संबंधित वित्तीय वर्ष से काफी पहले वार्षिक बजट तैयार कर सकता है और पिछली अवधियों की बिक्री, प्रत्याशित मांग, बाजार के रुझान आदि जैसे सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद बिक्री लक्ष्य तैयार किए जा सकते हैं। लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों की मध्यावधि/अवधि समीक्षा की जाए और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाए।***

### 5.2.1.2 सरकारी विभागों को बिक्री और थोक बिक्री

2019-20 तक, भारतीय रेलवे (सरकारी आपूर्ति) जैसे सरकारी विभागों को खादी उत्पादों की बिक्री व्यक्तिगत खादी ग्रामोघोग भवनों द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय (डीजीएसएंडडी) द्वारा दिए गए दर संविदाओ के माध्यम से और विभागों द्वारा जारी निविदाओं में भाग लेकर की जा रही थी। 2019-20 से, सरकारी आपूर्ति को विभागीय ट्रेडिंग इकाइयों जैसे स्वीकृत निविदा आपूर्ति, मुंबई द्वारा केंद्रीकृत और प्रबंधित किया गया था, जिसने सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) पोर्टल और भारतीय रेलवे ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम में जारी निविदाओं में भाग लेकर सरकारी विभागों को खादी उत्पादों की आपूर्ति के लिए ऑर्डर हासिल किए थे। इस प्रकार, केजीबी दिल्ली और कोलकाता को छोड़कर व्यक्तिगत खादी ग्रामोघोग भवनों को 2019-20 से सरकारी आपूर्ति के लिए वार्षिक लक्ष्य नहीं दिए जा रहे थे। सात खादी ग्रामोघोग भवनों और स्वीकृत निविदा आपूर्ति मुंबई के संबंध में 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान लक्षित थोक बिक्री की तुलना में उपलब्धि का सारांश तालिका 5.7 में दिया गया है।

**तालिका 5.7: सरकारी विभागों को बिक्री और थोक बिक्री**

**(आंकड़े ₹ करोड़ में और उपलब्धि प्रतिशत में)**

| खादी ग्रामोघोग भवन | 2017-18 | | 2018-19 | | 2019-20 | | 2020-21 | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | वास्तविक | लक्ष्य | वास्तविक | लक्ष्य | वास्तविक | लक्ष्य | वास्तविक | लक्ष्य | वास्तविक |
| केजीबी मुंबई | 21.43 | 14.07 (66%) | 22.51 | 15.30 (68%) | 0.00 | 12.26 | 0.00 | 0.19 | **43.94** | **41.82 (95%)** |
| केजीबी गोवा | 0.04 | 0.00 (0%) | 0.04 | 0.00 (0%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.08** | **0.00 (0%)** |

| खादी ग्रामोद्योग भवन | 2017-18 | | 2018-19 | | 2019-20 | | 2020-21 | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | वास्तविक | लक्ष्य | वास्तविक | लक्ष्य | वास्तविक | लक्ष्य | वास्तविक | लक्ष्य | वास्तविक |
| केजीबी कोलकाता | 21.93 | 22.30 (102%) | 30.32 | 22.21 (73%) | 0.00 | 12.12 | 1.09 | 3.31 (304%) | **53.34** | **59.94 (112%)** |
| केजीबी पटना | 7.40 | 2.07 (28%) | 7.40 | 4.70 (64%) | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.42 | **14.80** | **9.22 (62%)** |
| केजीबी दिल्ली | 84.08 | 3.89 (5%) | 89.51 | 2.03 (2%) | 0.00 | 3.07 | 3.00 | 2.45 (82%) | **176.59** | **11.44 (6%)** |
| केजीबी भोपाल | 7.39 | 3.68 (50%) | 7.39 | 2.91 (39%) | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.81 | **14.78** | **9.32 (63%)** |
| केजीबी एर्नाकुलम | 13.54 | 10.20 (75%) | 13.56 | 10.77 (79%) | 0.00 | 3.83 | 0.00 | 1.93 | **27.10** | **26.73 (99%)** |
| स्वीकृत निविदा आपूर्ति, मुंबई | NA | NA | NA | NA | 53.95 | 4.93 (9%) | 40.00 | 37.34 (93%) | **93.95** | **42.27 (45%)** |
| **कुल** | **156.21** | **56.20 (36%)** | **170.73** | **57.92 (34%)** | **53.95** | **40.16 (74%)** | **44.09** | **46.45 (105%)** | **424.58** | **200.74 (47%)** |

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित का अवलोकन किया:-

**i) बिक्री लक्ष्यों की प्राप्ति**

खादी ग्रामोद्योग भवन और स्वीकृत निविदा आपूर्ति, कुल मिलाकर, केवल एक वर्ष (2020-21) के दौरान कुल बिक्री लक्ष्यों को प्राप्त कर सकी। कुल लक्ष्य 2018-19 में ₹170.73 करोड़ से घटाकर 2019-20 में ₹53.95 करोड़ और 2020-21 में ₹44.09 करोड़ कर दिया गया। बिक्री लक्ष्यों के मुकाबले उपलब्धि 34 प्रतिशत (2018-19) से 104 प्रतिशत (2020-21) तक थी। इस अवधि के दौरान व्यक्तिगत खादी ग्रामोद्योग भवनों द्वारा बिक्री लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि शून्य प्रतिशत (केजीबी गोवा) से 112 प्रतिशत (केजीबी, कोलकाता) तक थी। किसी भी वर्ष के दौरान सबसे कम उपलब्धि केजीबी गोवा (2017-18 और 2018-19 में शून्य प्रतिशत) और केजीबी कोलकाता (2020-21 में 304 प्रतिशत) द्वारा किसी भी वर्ष में सबसे अधिक उपलब्धि थी।

केवीआईसी/मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

**ii) भारतीय रेलवे से किए गए वादे**

केवीआईसी ने भारतीय रेलवे को प्रतिबद्ध किया था, जो थोक/सरकारी आपूर्ति खंड में प्रमुख खरीदार हैं, जो प्रति वर्ष ₹225 करोड़ मूल्य के खादी उत्पादों जैसे बेड शीट, तकिया कवर आदि की आपूर्ति करेंगे। हालांकि, अक्टूबर 2019 में केवीआईसी द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार, उपरोक्त मदों के लिए केवीआईसी की वास्तविक क्षमता केवल ₹134 करोड़ प्रति वर्ष थी, इसका कारण यह है कि रेलवे द्वारा आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के लिए सूचीबद्ध 144 खादी संस्थानों में से 49 (34 प्रतिशत) सक्रिय नहीं थे। भले ही केवीआईसी ने मौजूदा आपूर्तिकर्ताओं की क्षमता बढ़ाने और अधिक आपूर्तिकर्ताओं को शामिल करने के लिए (अक्टूबर 2019) का प्रस्ताव दिया, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई और 2020-21 में की गई कुल थोक आपूर्ति का मूल्य केवल ₹46.45 करोड़ था।

केवीआईसी/मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

**iii) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा प्रस्तावित बिक्री संभावनाओं का उपयोग**

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने केवीआईसी के साथ आयोजित एक बैठक (अगस्त 2020) में सूचित किया कि वे खादी और ग्रामोघोग वस्तुओं जैसे कंबल, बेडशीट/ तकिया कवर और अन्य 17 कपड़ों की वस्तुओं को केवीआईसी से खरीदना चाहते हैं। कंबल और चादर/तकिया कवर जैसी वस्तुओं के मामले में कोई प्रगति नहीं हुई। 17 कपड़ों की वस्तुओं के मामले में, यद्यपि केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा विनिर्देश प्रदान किए गए थे और केवीआईसी से विनिर्देशों के प्रति उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संघ द्वारा अपने नमूना उत्पादों का परीक्षण कराने का अनुरोध किया गया था, केवीआईसी ने इसका अनुपालन नहीं किया है।

केवीआईसी/मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022/अगस्त 2022) कि इन वस्तुओं के ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा है।

तथ्य यह है कि केवीआईसी थोक/सरकारी क्षेत्र में मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है।

***सिफारिश संख्या 20***

***केवीआईसी मौजूदा आपूर्तिकर्ताओं की क्षमता बढ़ाने और सरकारी क्षेत्र में मांग को पूरा करने के लिए क्षमता बढ़ाने के लिए तथा अधिक आपूर्तिकर्ताओं को शामिल करने के लिए प्रभावी कार्रवाई कर सकता है।***

### 5.2.1.3 दुकान के मटमैला/क्षतिग्रस्त स्टॉक का निपटान

विपणन निदेशालय ने (जुलाई 2016) सभी खादी ग्रामोघोग भवनों को निर्देश दिया कि वे सभी दुकान के गंदे स्टॉक के प्रस्ताव की जांच के लिए एक स्थानीय समिति का गठन करें और स्टॉक के निपटान के लिए छूट/कीमतों में कमी की सिफारिश करें, जिसे दिसंबर 2017 में दोहराया गया था। उपर्युक्त के साथ सात खादी ग्रामोघोग भवनों का अनुपालन तालिका 5.8 में दिया गया है।

**तालिका 5.8: दुकान का गंदा/क्षतिग्रस्त माल**

| क्रय दिशानिर्देश | खादी ग्रामोघोग भवन | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **मुंबई** | **गोवा** | **दिल्ली** | **एर्णाकुलम** | **पटना** | **कोलकाता** | **भोपाल** | **कुल** |
| क्या दुकान के गंदे स्टॉक के निपटान के लिए स्थानीय समिति का गठन किया गया है | नहीं | हाँ | हाँ | नहीं | हाँ | हाँ | नहीं | लागू नहीं |
| 31 मार्च 2021 तक निपटान के लिए लंबित दुकान के गंदे स्टॉक का मूल्य **(₹ करोड़ में )** | **2.01** | **0.03** | **0.95** | शून्य | **0.02** | **0.05** | **0.32** | **3.38** |

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

#### i. दुकान के गंदे स्टॉक का संचय

2017-21 की अवधि के दौरान, चार खादी ग्रामोघोग भवनों ने दुकानों के गंदे स्टॉक के निपटान के लिए स्थानीय समितियों का गठन किया था। हालांकि केजीबी भोपाल ने समिति का गठन नहीं किया था, केजीबी मुंबई ने अप्रैल 2021 में ही एक समिति का गठन किया था। केजीबी एर्नाकुलम ने समिति का गठन नहीं किया था क्योंकि उसके पास ऐसा कोई स्टॉक नहीं था। 31 मार्च 2021 तक, छह खादी ग्रामोघोग भवनों में ₹3.38 करोड़ के बुक वैल्यू के साथ बिक्री योग्य स्टॉक था। निपटान के लिए समय पर कार्रवाई की कमी के कारण यह स्टॉक पिछले 10 वर्षों में जमा हुआ।

### ii. दुकान के गंदे स्टॉक का निपटान

चित्र : 5.4 बारिश के रिसाव के कारण क्षतिग्रस्त

क. केजीबी मुंबई ने 2016-17 में ₹96 लाख के स्क्रैप/क्षतिग्रस्त स्टॉक का निपटान किया था, जिसके निपटान से केवल ₹18,337 की मामूली राशि प्राप्त हुई थी। खादी ग्रामोघोग भवन ने 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं किया था। अप्रैल 2021 में जब भौतिक सत्यापन किया गया, तो यह पाया गया कि भंडारण कक्ष की जर्जर स्थिति के कारण बारिश के पानी के रिसाव से गोदाम में रखा स्टॉक क्षतिग्रस्त हो गया था। खराब हालत में पाए गए रेडीमेड कपड़ों, खादी और रेशमी कपड़े तथा ग्रामोघोग उत्पादों का स्टॉक ₹2.01 करोड़ का था। भले ही खादी ग्रामोघोग भवन ने उत्पादों को धोने, रीपैकिंग आदि करके बिक्री योग्य बनाने के प्रयास किए, और विशेष बिक्री अभियान आयोजित किए, लेकिन वे फलदायी नहीं थे और सामग्री को बिक्री योग्य नहीं माना गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि गोदाम के समय पर नवीनीकरण से स्टॉक को पानी के रिसाव से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता था और खादी ग्रामोघोग भवन को मूल्य का कम से कम एक भाग मिल सकता था। भौतिक सत्यापन की कमी ने भी स्टॉक के क्षतिग्रस्त/बिकने लायक न होने के कारण होने वाले भारी नुकसान में योगदान दिया।

केवीआईसी/मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022/अगस्त 2022) ने कहा कि उसने वर्ष 2020-21 के दौरान केजीबी मुंबई में स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया था। पिछले वर्ष 2019-20 के दौरान, कोविड महामारी के कारण भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका था। यह भी बताया गया कि पुराने/क्षतिग्रस्त स्टॉक के निपटान के लिए अनुमोदन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसके लिए अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही थी।

उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि क्षतिग्रस्त स्टॉक पांच साल से अधिक समय से जमा हो रहा है और खादी ग्रामोघोग भवन ने इसके मूल्य में क्षरण को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, उत्तर सामग्री के भंडारण के दौरान अपर्याप्त सुरक्षा के कारण होने वाली परिहार्य हानि पर मौन है।

ख. केजीबी गोवा में, निदेशक विपणन ने जनवरी 2018 में खादी ग्रामोघोग भवन का निरीक्षण किया था और पाया गया कि खादी ग्रामोघोग भवन के गोदाम में ₹20 लाख का स्टॉक क्षतिग्रस्त हो गया था। तथापि, खादी ग्रामोघोग भवन को अतिरिक्त छूट देकर और विशेष अभियान चलाकर उसका निस्तारण करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और लेखापरीक्षा द्वारा किए गए (नवंबर 2021) मडगांव में गोदाम के भौतिक निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि कई मदों की गोदाम में रखा स्टॉक क्षतिग्रस्त/बिक्री योग्य नहीं है लेकिन खादी ग्रामोघोग भवन ने न तो उन्हें क्षतिग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया है और न ही उनके निपटान के लिए कोई कार्रवाई की है।

**चित्र: 5.5 गोवा में क्षतिग्रस्त स्टॉक**

ग. इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि केजीबी दिल्ली ने 2017-18 और 2018-19 के दौरान ₹55.98 लाख का स्टॉक केजीबी गोवा को हस्तांतरित किया, जिसके लिए अभिलेख पर कोई क्रय आदेश / मांग नहीं मिली। खादी ग्रामोघोग भवन, गोवा अगस्त 2022 तक केवल ₹25 लाख का स्टॉक बेच सका। 2018 से ₹31 लाख का स्टॉक बिना बिके पड़ा था, जिसके संबंध में खादी ग्रामोघोग भवन ने बताया कि उपरोक्त स्टॉक में शामिल अधिकांश वस्तुएं गोवा में बिक्री योग्य नहीं हैं। केजीबी गोवा की दुकानों और गोदामों के लेखापरीक्षा द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण (नवंबर 2021) के दौरान यह देखा गया कि उपरोक्त स्टॉक में शामिल कई वस्तुएं क्षतिग्रस्त हैं और इस प्रकार बिक्री योग्य नहीं हैं। खादी ग्रामोघोग भवन ने क्षतिग्रस्त स्टॉक की पहचान करने और उसका निपटान करने के लिए कोई कवायद नहीं की है।

केजीबी गोवा ने अपने उत्तर ( मई 2022) में कहा कि उच्च कीमत के कारण स्टॉक को बेज नहीं जा सका और उसने अब तक इसमे से ₹5 लाख के स्टॉक वापस कर दिए है शेष स्टॉक को केजीबी दिल्ली को वापस करने की प्रक्रिया मे है।

जवाब को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि गोवा के लिए अनुपयुक्त पाए गए स्टॉक का बड़ा हिस्सा अभी तक वापस नहीं किया गया है (अगस्त 2022) और तीन साल से अधिक की देरी और खराब भंडारण स्थितियों ने इसकी बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव डाला होगा।

केजीबी दिल्ली और केजीबी कोलकाता के मामले में, केवीआईसी/मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022/अगस्त 2022) कि दुकान में गंदे/क्षतिग्रस्त हुए स्टॉक के निपटान के उसके प्रयास सफल नहीं हो सके। इसी तरह, केजीबी कोलकाता के प्रयास भी सफल नहीं हुए और कच्चे माल के रूप में ₹92 लाख का स्टॉक केएनएचपीआई[82], जयपुर भेजा जा रहा था। खादी ग्रामोघोग भवन, कोलकाता ने कहा कि पुराने स्टॉक को छूट देकर बेचा जाएगा।

उपर्युक्त उत्तरों से पता चलता है कि खादी ग्रामोघोग भवन समय पर बिक्री योग्य स्टॉक का निपटान करने में सक्षम नहीं थे और उन्हें परिहार्य हानि हुई।

***सिफारिश संख्या 21***

***केवीआईसी को विक्रय न किए जा सकने वाले स्टॉक को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निपटाने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इसकी और अधिक गिरावट और इसके परिणामस्वरूप इसके मूल्य में कमी को रोका जा सके। केवीआईसी को आवधिक अंतराल पर गैर-बिक्री योग्य स्टॉक की पहचान और निपटान के लिए एक प्रणाली भी स्थापित करनी चहिए।***

**5.2.1.4 छूट/डिस्काउंट से संबंधित परिपत्रों के प्रावधानों का अनुपालन**

लेखापरीक्षा में सात खादी ग्रामोघोग भवनों की नमूना जांच की गई और केजीबी एर्नाकुलम के संबंध में यह पाया गया कि खादी ग्रामोघोग भवन ने केवीआईसी के निर्देशों के अनुसार विभिन्न त्योहारी मौसमों के दौरान खादी, पॉली-वस्त्र, ऊन, रेशम, रेडीमेड वस्त्र, सौर-वस्त्र और ग्रामोघोग उत्पादों पर ग्राहकों को 20 प्रतिशत छूट (₹22.82 लाख) नहीं दी है। इसके अलावा, केवीआईबी[83] द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार, खादी ग्रामोघोग भवन ने संबंधित परिपत्रों में निर्दिष्ट छूट अवधि के दौरान सूती, रेशम, काता हुआ रेशम, पॉली-वस्त्र और ऊन पर 10 प्रतिशत विशेष छूट (₹0.55 लाख) भी नहीं दी है। छूट/ डिस्काउंट से संबंधित केवीआईसी के निर्देश का अनुपालन न करने पर खादी ग्रामोघोग भवनों द्वारा उचित स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।

केवीआईसी/मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का उत्तर प्रस्तुत नहीं दिया।

---

*[82] कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट*

*[83] केरल राज्य खादी और ग्रामोघोग बोर्ड*

### 5.2.2 केंद्रीय पूनी संयंत्र द्वारा पूनी का विपणन और बिक्री

खादी उत्पादन संस्थाओं और अन्य को केन्द्रीय पूनी संयंत्रों द्वारा पूनी की बिक्री को खादी कच्चे माल के निदेशालय (डीकेआरएम) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए ऋण, लागत और आपूर्ति नीति आदि सहित अनुदेशों द्वारा विनियमित किया जाता है। खादी कच्चा माल निदेशालय केंद्रीय पूनी संयंत्रों का वार्षिक बजट भी तैयार करता है, जिसे स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है। केन्द्रीय पूनी संयंत्रों के मामले में, यह देखा गया कि बिक्री लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया जैसा कि तालिका 5.9 में बताया गया है।

**तालिका 5.9: केंद्रीय पूनी संयंत्रों में बिक्री**

**(आंकड़े ₹ करोड़ में और उपलब्धि प्रतिशत में)**

| सीएसपी | 2017-18 | | 2018-19 | | 2019-20 | | 2020-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | वास्तविक | लक्ष्य | वास्तविक | लक्ष्य | वास्तविक | लक्ष्य | वास्तविक |
| कुट्टूर | 13.63 | 7.94 (58%) | 14.14 | 8.05 (57%) | 15.47 | 9.44 (61%) | 17.01 | 6.48 (38%) |
| चित्रदुर्ग | 14.17 | 11.95 (84%) | 15.81 | 12.53 (79%) | 17.27 | 11.03 (64%) | 17.50 | 12.85 (73%) |
| सीहोर | 13.75 | 11.34 (82%) | 17.24 | 15.03 (87%) | 19.75 | 19.58 (99%) | 19.21 | 22.99 (120%) |
| रायबरेली | 14.67 | 9.03 (62%) | 15.75 | 9.78 (62%) | 15.57 | 18.49 (119%) | 15.79 | 17.25 (109%) |
| एटा | 12.19 | 8.54 (70%) | 13.65 | 6.91 (51%) | 0[84] | 0 | 0 | 0 |
| हाजीपुर | 6.01 | 3.95 (66%) | 6.30 | 4.34 (69%) | 6.82 | 4.37 (64%) | 6.76 | 2.76 (41%) |
| **कुल** | **74.42** | **52.75 (71%)** | **82.89** | **56.64 (68%)** | **74.88** | **62.91 (84%)** | **76.27** | **62.33 (82%)** |

[84] *सीएसपी एटा फरवरी 2019 में निष्क्रिय हो गया था।*

#### 5.2.2.1 बिक्री लक्ष्यों की प्राप्ति

केंद्रीय केंद्रीय पूनी संयंत्र, समग्र रूप से, किसी भी वर्ष के दौरान बिक्री लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हुए थे। लक्ष्यों के मुकाबले उपलब्धि 68 प्रतिशत (2018-19) से 84 प्रतिशत (2019-20) तक थी। अलग-अलग केंद्रीय पूनी संयंत्रों के मामले में, सीएसपी रायबरेली 2019-20 और 2020-21 में लक्ष्य को पार करने में सक्षम था, जबकि सीएसपी सीहोर ने 2020-21 में लक्ष्य हासिल किया था। सबसे कम उपलब्धि 2020-21 में सीएसपी कुट्टूर (38 प्रतिशत) की थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि लक्ष्यों का निर्धारण अवास्तविक था जैसा कि केंद्रीय पूनी संयंत्रों में इसकी उपलब्धि की मात्रा में व्यापक भिन्नता से स्पष्ट है।

मंत्रालय/केवीआईसी ने कहा (जुलाई 2022/अगस्त 2022) कि सीएसपी कुट्टूर की बिक्री प्राकृतिक आपदाओं और महामारी से प्रभावित हुई थी। सीएसपी, हाजीपुर के मामले में, यह जवाब दिया गया था कि इनके उत्पाद की मांग कम थी।

इस जवाब को इस तथ्य के मद्देनजर जाना चाहिए कि सीएसपी कुट्टूर द्वारा बिक्री लक्ष्य के मुकाबले उपलब्धि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान केवल 61 प्रतिशत थी। सीएसपी हाजीपुर के मामले में उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उत्पादन/बिक्री लक्ष्य प्रत्याशित मांग पर आधारित होना चाहिए था।

### 5.2.3 खादी ग्रामोघोग भवनों और केंद्रीय पूनी संयंत्रों के अलावा विभागीय व्यापारिक इकाइयां द्वारा विपणन और बिक्री

#### 5.2.3.1 क्षेत्रीय सीमा विकास संगठन (आरबीडीओ), बाड़मेर

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-18 और 2018-19 में खुदरा बिक्री के लिए कोई बिक्री लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान निर्धारित ₹27 लाख के लक्ष्य के मुकाबले, उपलब्धि क्रमशः 43.50 प्रतिशत और 43 प्रतिशत थी। इसी तरह, थोक के मामले में, आरबीडीओ 2018-19 और 2019-20 के दौरान ऊनी खादी को छोड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। यह उपलब्धि 2017-18 से 2020-21 के दौरान 26.84 प्रतिशत से 74 प्रतिशत के बीच थी। 2018 में पहचाने गए ₹38.68 लाख के अनुपयोगी स्टॉक मुख्यालय से किसी भी औपचारिक अनुमोदन के अभाव में निपटान (अगस्त 2022) के लिए लंबित है।

खादी और ग्रामोघोग उत्पादों की खरीद के लिए नए दिशानिर्देशों के अनुसार, जो 1 अप्रैल 2018 से प्रभावी थे, सभी उत्पादों को चालान और कर बीजकों द्वारा समर्थित होना होगा। खादी वस्तुओं की खरीद से संबंधित बिलों की जांच के दौरान, यह देखा गया कि वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए ₹93.95 लाख के कुल बिल मूल्य वाले 47 मामलों में जीएसटी नहीं लिया गया था।

केवीआईसी/मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022/अगस्त 2022) कि 2017-18 से 2018-19 के दौरान उसके पास कोई बिक्री आउटलेट नहीं था और इसलिए बिक्री का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। यह भी कहा गया कि 2019-20 और 2020-21 के दौरान बिक्री महामारी से प्रभावित हुई थी। जीएसटी नहीं लेने के संबंध में, यूनिट ने कहा कि जीएसटी एकत्र किया जा रहा था और जहां भी आपूर्तिकर्ता ने जीएसटी शामिल किया था, वहां भेजा जा रहा था।

जवाब को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि महामारी ने 2020-21 के दौरान ही देश को पूरी तरह से प्रभावित किया था। बिक्री योग्य स्टॉक के निपटान में देरी का कोई औचित्य नहीं था। इसके अलावा, जीएसटी का गैर-संग्रह जीएसटी अधिनियम[85] के प्रावधानों के अनुसार नहीं था, जिसके तहत आरबीडीओ को खरीदारों से जीएसटी एकत्र करने और रिवर्स प्रभार तंत्र के तहत प्राधिकरणों को भेजने की आवश्यकता थी।

### 5.2.3.2 हस्तनिर्मित कागज उद्योग, मुंबई

यह देखा गया कि बिक्री के स्थान पर, व्यापारिक यूनिट सरकारी आपूर्ति के मामले में उतराई लागत पर 20 प्रतिशत मार्जिन और खुदरा बिक्री के मामले में उतराई लागत पर 30 प्रतिशत मार्जिन जोड़ रही थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 2017 में एक बाहरी एजेंसी के माध्यम से केवीआईसी द्वारा किए गए एक बाजार अध्ययन ने हस्तनिर्मित कागज उत्पादों के संबंध में निष्कर्ष निकाला था कि "यह लगभग एक मृत श्रेणी है क्योंकि सस्ते विकल्प उपलब्ध हैं", यह देखने के लिए एक अध्ययन आवश्यक है कि हस्तनिर्मित

---

[85] ***जीएसटी अधिनियम की धारा 9 (4) निर्धारित करती है कि किसी ऐसे पूर्तिकार द्वारा, जो पंजीकृत नहीं है, किसी पंजीकृत व्यक्ति कराधेय माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में कर, ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्तकर्ता के रूप में प्रतिलोम प्रभार के आधार पर संदत्त किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे प्राप्तकर्ता पर इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो।***

कागज उत्पादों की बिक्री को अधिकतम करने के लिए इष्टतम मार्जिन क्या होना चाहिए और बिक्री की मात्रा और मूल्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया था। यह भी देखा गया कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान इकाई द्वारा प्राप्त खुदरा बिक्री ₹14.40 लाख थी, जिसने इसी अवधि के दौरान किए गए स्थापना खर्च (₹18.57 लाख) को भी कवर नहीं किया।

यह भी देखा गया कि केवीआईसी द्वारा विकसित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म *ekhadiIndia.com* हस्तनिर्मित कागज उत्पादों के विपणन के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान नहीं कर रहा है। इसके अलावा, केवीआईसी केंद्रीय कार्यालय परिसर में नवनिर्मित खादी लाउंज में आवंटित स्थान का उपयोग हस्तनिर्मित कागज उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए इकाई द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

केवीआईसी/मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022/अगस्त 2022) कि मार्जिन पॉलिसी के अनुसार लगाया गया था। यह भी कहा गया था कि ऑनलाइन बिक्री में शामिल करने के लिए उत्पादों की पहचान की जा रही थी और चूंकि बिक्री इकाई को केजीबी मुंबई के तहत लाया गया था, इसलिए उत्पादों का उपयुक्त प्रदर्शन किया जा रहा था।

जवाब में मूल्य निर्धारण नीति और खादी लाउंज में आवंटित स्थान का उपयोग नहीं करने पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को संबोधित नहीं किया गया था।

### 5.2.3.3 केंद्रीय मधुमक्खी संबंधी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान पुणे

केंद्रीय मधुमक्खी संबंधी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान पुणे मे 2017-18 से अंतिम स्टॉक (₹1.57 लाख) के तहत दिखाए गए बैलेन्स के अंतर्गत पुराने तथा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त प्रसंस्कृत/कच्चे शहद, शहद परीक्षण किट, एगमार्क लेबल आदि थे। यह देखा गया कि उपर्युक्त में से ₹1.27 लाख मूल्य के माल को पांच वर्षों से अधिक समय से स्टॉक में रखा गया है और इकाई ने इसके निपटान के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी जिसके परिणामस्वरूप मूल्य में पूर्ण कमी हो सकती है।

केवीआईसी/मंत्रालय ने जवाब दिया (जुलाई 2022/अगस्त 2022) कि स्टॉक को बट्टे खाते में डालने का प्रस्ताव किया जा रहा था। उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर में देखा जा सकता है कि निपटान में देरी के परिणामस्वरूप स्टॉक की पूर्ण हानि हुई थी।

# अध्याय VI
# विभागीय व्यापारिक इकाइयों में वित्तीय प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण

# अध्याय VI
# विभागीय व्यापारिक इकाइयों में वित्तीय प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण

## 6.1 वित्तीय प्रबंधन

चूंकि विभागीय व्यापारिक इकाइयां वाणिज्यिक उपक्रमों के रूप में कार्य कर रही हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस वित्तीय प्रबंधन आवश्यक है कि वित्तीय संसाधनों का कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। लेखापरीक्षा ने विभागीय व्यापारिक इकाइयों के वित्तीय निष्पादन और स्थिति की समीक्षा की और अभ्युक्तियों पर आगामी पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

### 6.1.1 वित्तीय निष्पादन

विभागीय व्यापारिक इकाइयों के लिए आय का मुख्य स्रोत खादी ग्रामोघोग भवनों (और अन्य विभागीय व्यापारिक इकाइयों) द्वारा खादी और ग्रामोघोग उत्पादों की बिक्री और केंद्रीय पूनी संयंत्रों द्वारा कपास पूनी/ रोविंग की बिक्री से उत्पन्न राजस्व है।

#### 6.1.1.1 सकल (व्यापारिक) लाभ और शुद्ध लाभ

2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान 18 विभागीय व्यापारिक इकाइयों द्वारा अर्जित कुल सकल लाभ और शुद्ध लाभ क्रमशः ₹114.66 करोड़ और ₹23.45 करोड़ था जैसा कि तालिका 6.1 में दिया गया है।

**तालिका 6.1: सकल/शुद्ध लाभ और अनुपात**

| वर्ष | कुल बिक्री | सकल लाभ (₹ करोड़ में) | सकल लाभ/बिक्री अनुपात (प्रतिशत में) | शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में) | लाभ/बिक्री अनुपात (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 204.17 | 24.61 | 12.05 | 1.24 | 0.61 |
| 2018-19 | 237.75 | 36.38 | 15.30 | 10.06 | 4.23 |
| 2019-20 | 215.04 | 29.31 | 13.63 | 6.00 | 2.79 |
| 2020-21 | 171.41 | 24.36 | 14.21 | 6.15 | 3.59 |
| **कुल** | **828.37** | **114.66** | **13.84** | **23.45** | 2.83 |

वर्ष 2017-18 से इकाई 2020-21 की अवधि के दौरान 18 विभागीय व्यापारिक इकाइयों के संबंध में विभागीय व्यापारिक इकाई-वार और वर्ष-वार अर्जित शुद्ध लाभ और लाभ/बिक्री अनुपात का विवरण ***अनुलग्नक III*** में दिया गया है।

कुल मिलाकर, चार साल की अवधि के दौरान, 14 विभागीय व्यापारिक इकाइयों ने लाभ अर्जित किया, जबकि चार विभागीय व्यापारिक इकाइयों (कोलकाता, गोवा और एर्नाकुलम में केजीबी और हाजीपुर में सीएसपी) को हानि हुई। केजीबी गोवा को सभी चार वर्षों के दौरान शुद्ध घाटा हुआ। सात इकाइयों (दिल्ली, मुंबई और पटना में केजीबी और सीहोर और चित्रदुर्ग में सीएसपी, मुंबई में स्वीकृत निविदा आपूर्ति और दहानु में बहु-विषयक प्रशिक्षण केंद्र) ने सभी चार वर्षों के दौरान लाभ अर्जित किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि विभागीय व्यापारिक इकाइयों ने ₹114.66 करोड़ (कारोबार का 13.84 प्रतिशत) का समग्र व्यापारिक लाभ अर्जित किया, लेकिन कुल शुद्ध लाभ केवल ₹23.45 करोड़ (कारोबार का 2.83 प्रतिशत) था जो उच्च स्थापना लागत और अन्य व्यय को दर्शाता है।

### 6.1.1.2 वित्तीय स्थिति

2020-21 तक के चार वर्षों के लिए सभी विभागीय व्यापारिक इकाइयों की वित्तीय स्थिति तालिका 6.2 में दी गई है।

**तालिका 6.2: विभागीय व्यापारिक इकाइयों की वित्तीय स्थिति**

**(आंकड़े ₹ करोड़ में)**

| क्र.सं. | विवरण | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | विभागीय व्यापारिक इकाइयों की संख्या | 72 | 23 | 22[86] | 18 |
| 2 | वर्ष के अंत में विभागीय व्यापारिक इकाइयों में पूनी निवेश | 89.24 | 101.75 | 104.73 | 110.27 |
| 3 | वर्ष के दौरान ऋण अग्रिम | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 1.00 |
| 4 | वर्ष के दौरान विभागीय व्यापारिक इकाइयों को केवीआईसी द्वारा दिया गया अनुदान | 1.37 | 2.33 | 2.43 | 14.11 |

31 मार्च 2021 तक विभागीय व्यापारिक इकाइयों में निवेश की गई कुल पूनी ₹110.27 करोड़ थी। केवीआईसी ने 2017-18 से 2020-21 के दौरान विभागीय व्यापारिक इकाइयों को अनुदान के रूप में ₹20.24 करोड़ और ऋण के रूप में ₹8 करोड़ दिए थे।

यह देखा गया कि खादी ग्रामोघोग भवनों का प्रदर्शन, जो खादी और ग्रामोघोग उत्पादों की बिक्री के लिए प्राथमिक इकाइयां हैं, उत्साहजनक नहीं है। विपणन निदेशालय, केवीआईसी

[86] *22 इकाईयों में से, चार इकाईयां अर्थात कपास निदेशालय (केआरएम) और केंद्रीय पूनी संयंत्र भुवनेश्वर, सहरसा और एटा निष्क्रिय हैं, लेकिन सूची में शामिल हैं क्योंकि उनके खाते बंद नहीं हुए हैं।*

ने (सितंबर 2020) खादी ग्रामोघोग भवनों की लाभप्रदता का विश्लेषण किया था और निष्कर्ष निकाला था कि गोवा, भोपाल और कोलकाता में केजीबी काफी गिरावट की प्रवृत्ति हैं और केजीबी एर्नाकुलम बिना किसी प्रभाव के आगे बढ़ रहा है। यह भी नोट किया गया कि केजीबी पटना के वेतन खर्च को केवीआईसी के राज्य कार्यालय द्वारा पूरा किया जा रहा था। इसे ध्यान में रखते हुए, केवीआईसी ने (मार्च 2021) में दिल्ली स्थित खादी ग्रामोघोग भवन को छोड़कर अन्य सभी खादी ग्रामोघोग भवनों को सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के तहत निजी पार्टियों को सौंपने का प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव को अभी अंतिम रूप दिया जाना है (अगस्त 2022)।

### 6.1.2 विभागीय व्यापारिक इकाइयों द्वारा प्राप्तियों का प्रबंधन

वित्तीय प्रबंधन में प्राप्तियों की समय पर प्राप्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कार्यशील पूनी के सुचारू प्रवाह को सक्षम बनाता है। मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, विभागीय व्यापारिक इकाइयों को देनदारों से ऋणों की आवधिक पुष्टि प्राप्त करनी होती है और वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद देनदारों को अच्छे, संदिग्ध और बुरे में वर्गीकृत करना होता है। इसके अलावा, आयोग ने यह भी निर्देश दिया था कि क्रेडिट पर किसी भी बिक्री के संबंध में भुगतान बिक्री की तारीख से 90 दिनों की अवधि से अधिक बकाया नहीं होना चाहिए।

#### 6.1.2.1 बिक्री के अनुपात की तुलना में औसत प्राप्य खाता

प्राप्य खाता की तुलना में बिक्री अनुपात एक व्यावसायिक तरलता अनुपात है जो यह मापता है कि किसी फर्म की बिक्री क्रेडिट पर कितनी होती है। उच्च अनुपात के साथ-साथ प्राप्तियों की प्राप्ति में देरी से कार्यशील पूनी प्रबंधन और तरलता में समस्याएं पैदा होंगी।

2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान केवीआईसी की कार्यात्मक विभागीय व्यापारिक इकाइयों के बिक्री अनुपात के लिए औसत लेखा प्राप्य (एएआर) नीचे तालिका 6.3 में सारणीबद्ध है।

**तालिका 6.3: विभागीय व्यापारिक इकाइयों में बिक्री अनुपात के लिए प्राप्त औसत खाते**

**(आंकड़े ₹ करोड़ में)**

| वर्ष | एएआर | बिक्री | बिक्री अनुपात की तुलना में एएआर (%) |
|---|---|---|---|
| 2017-18 | 177.86 | 204.17 | 87.11 |
| 2018-19 | 171.02 | 237.75 | 71.93 |
| 2019-20 | 150.15 | 215.04 | 69.82 |
| 2020-21 | 156.52 | 171.41 | 91.31 |

जैसा कि तालिका 6.3 से देखा जा सकता है, समीक्षाधीन अवधि के दौरान विभागीय व्यापारिक इकाइयों के बिक्री अनुपात में प्राप्य औसत लेखा 69.18 प्रतिशत से 91.31 प्रतिशत तक था। इससे यह संकेत मिलता है कि विभागीय व्यापारिक इकाइयों ने क्रेडिट बिक्री के संबंध में इस निर्देश का पूरी तरह से पालन नहीं किया कि भुगतान 90 दिनों की अवधि से अधिक बकाया नहीं रहना चाहिए और देनदारों से आवधिक पुष्टि प्राप्त की जानी चाहिए। विभागीय व्यापारिक इकाइयों द्वारा प्राप्य राशियों के प्रबंधन से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

### 6.1.2.2 खादी ग्रामोघोग भवनों द्वारा देनदारों का प्रबंधन

31 मार्च 2021 तक तीन वर्ष से अधिक के सात खादी ग्रामोघोग भवनों में विविध देनदारों की स्थिति तालिका 6.4 में दर्शाई गई है।

**तालिका 6.4: खादी ग्रामोघोग भवनों में देनदार**

***(₹ करोड़ में)***

| इकाई का नाम | विविध देनदार | |
|---|---|---|
| | **तीन वर्ष से अधिक** | **कुल** |
| खादी ग्रामोघोग भवन, दिल्ली | 8.65 | **36.22** |
| खादी ग्रामोघोग भवन, कोलकाता | 3.50 | **5.30** |
| खादी ग्रामोघोग भवन, गोवा | 0.01 | **0.08** |
| खादी ग्रामोघोग भवन, भोपाल | 0.43 | **1.82** |
| खादी ग्रामोघोग भवन, एर्नाकुलम | 0.09 | **1.64** |
| खादी ग्रामोघोग भवन, मुंबई | 2.31 | **7.87** |
| खादी ग्रामोघोग भवन, पटना | 3.93 | **4.08** |
| **कुल** | **18.92** | **57.01** |

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- चूंकि किसी भी खादी ग्रामोघोग भवन ने देनदारों[87] से समय-समय पर पुष्टि प्राप्त नहीं की थी, इसलिए केवीआईसी के लिए तीन साल से अधिक पुराने अपुष्ट ऋणों की वसूली की संभावना कम है
- केजीबी मुंबई ₹1.55 करोड़ के कुल बकाया वाले आठ देनदारों के मामले में देनदारों के नाम और बकाया राशि के अलावा कोई विवरण प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके अलावा, 31 मार्च 2021 तक विविध लेनदारों के लेखा शीर्ष में ₹5.67 करोड़ का बुक शेष था। चूंकि खरीद खेप के आधार पर होती है, इसलिए खादी संस्थान के लेनदारों की संख्या सीधे इकाई की अक्षमता से जुड़ी होती है कि वह समय पर अपने बकाये की वसूली कर सके और बदले में अपने आपूर्तिकर्ताओं को वापस भुगतान कर सके।
- केजीबी पटना में, 15 से अधिक वर्षों से 47 संस्थानों के प्रति ₹20.42 लाख की राशि की वसूली नहीं की गई थी।
- केजीबी एर्नाकुलम ने राज्य बोर्ड से खादी छूट की वसूली का प्रयास नहीं किया है और परिणामस्वरूप, आपूर्तिकर्ताओं को ₹1.47 करोड़ की बकाया राशि देने में असमर्थ था।

केवीआईसी/मंत्रालय ने कहा(जुलाई 2022/अगस्त 2022) कि निदेशालय के साथ-साथ खादी ग्रामोघोग भवनों द्वारा बकाया राशि की पुष्टि करने और प्राप्य राशि की वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि, तथ्य यह है कि विविध देनदारों की पुष्टि के अभाव में, उनके अस्तित्व और वसूली के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया जा सका।

पुराने लंबित बकायों की वसूली के लिए शुरू किए गए विशिष्ट प्रयासों का कोई ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया गया था।

### 6.1.2.3 केंद्रीय पूनी संयंत्रों द्वारा देनदारों का प्रबंधन

आयोग की ऋण नीति के अनुसार, केन्द्रीय पूनी संयंत्र राज्य/मंडल निदेशकों की विशिष्ट सिफारिशों के आधार पर खादी संस्थाओं को ऋण पर कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं। आपूर्ति 20 प्रतिशत अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के बाद की जाती है, 30 प्रतिशत पश्य दिनांकित चेक के माध्यम से और शेष 50 प्रतिशत संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए) दावों के अनुसार समायोजित किया जाता है। चूंकि कई पश्य दिनांकित चेक

---

[87] *देनदारों में केवीआईसी की विभागीय इकाईयां, राज्य खादी बोर्ड, खादी संस्थान, ग्रामोघोग इकाईयां, सरकारी विभाग/उपक्रम और व्यक्ति आदि शामिल थे।*

अस्वीकृत हो रहे थे और बाउंस चेक के मामले में वसूली मुश्किल हो रही थी, इसलिए केवीआईसी ने (अक्टूबर 2017) परिपत्र जारी किया, जिसमें किसी भी कारण से बैंक द्वारा चेक के अस्वीकृति की स्थिति में खादी संस्थानों को दो साल के लिए क्रेडिट सुविधा को तत्काल वापस लेने और ऐसे खादी संस्थानों को भविष्य की सभी आपूर्ति 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान के आधार पर ही देने के लिए कहा गया था। 13 मई 2020 को केंद्रीय पूनी संयंत्रों के लिए संशोधित आपूर्ति और क्रेडिट नीति में ऐसी क्रेडिट सुविधा की तत्काल वापसी को भी दोहराया गया था। परिपत्र में केवीआईसी की ऋण नीति का लाभ उठाने के लिए खादी संस्थान के लिए एक निश्चित वार्षिक न्यूनतम उत्थान भी निर्धारित किया गया है। लेखापरीक्षा ने उपर्युक्त अनुदेशों के मद्देनजर निम्नलिखित अनुपालन स्थिति का अवलोकन किया:-

**तालिका 6.5: केंद्रीय पूनी संयंत्रों में निर्धारित ऋण नीति प्रक्रियाओं का पालन न करना**

| ऋण नीति | सीएसपी, कुट्टूर | सीएसपी, हाजीपुर | सीएसपी, रायबरेली | सीएसपी, सीहोर | सीएसपी, चित्रदुर्ग |
|---|---|---|---|---|---|
| उन संस्थानों से 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान प्राप्त करना जिनके पश्य दिनांकित चेक अस्वीकृत हो गए थे | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं |
| केवल उन खादी संस्थानों को लाभ प्रदान करना जिनके पास वार्षिक न्यूनतम उत्थान है | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | हाँ |
| खादी संस्थानों के एमएमडीए दावों से बकाया राशि की वसूली। | हाँ | हाँ | नहीं | हाँ | नहीं |

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि सीएसपी सीहोर को छोड़कर किसी भी केंद्रीय पूनी संयंत्र ने ऐसे खादी संस्थानों से 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान प्राप्त नहीं किया, जिनके पश्य दिनांकित चेक अस्वीकृत हो गए थे। इसके अलावा, कुट्टूर, रायबरेली और सीहोर नामक तीन सीएसपी ने ऐसे खादी संस्थानों को ऋण लाभ प्रदान किया जो वार्षिक न्यूनतम उत्थान आवश्यकता को पूरा नहीं करते थे। रायबरेली और चित्रदुर्ग के सीएसपी खादी संस्थानों से एमएमडीए दावों के लिए भुगतान करते समय बकाया राशि वसूलने में विफल रहे।

ऋण नीति के संबंध में केवीआईसी द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन न करने और रोविंग/पूनी खरीदने वाले खादी संस्थाओं से ऋणों की समय पर वसूली के लिए त्वरित कार्रवाई के अभाव के परिणामस्वरूप पर्याप्त बकाया राशि की वसूली लंबित हो गई। 31 मार्च 2021 तक तीन वर्षों से अधिक समय से लंबित बकाया राशि तालिका 6.6 में दी गई है।

**तालिका 6.6: केंद्रीय पूनी संयंत्रों में देनदार**

**(₹ करोड़ में)**

| केंद्रीय पूनी संयंत्र का नाम | विविध देनदार | |
|---|---|---|
| | तीन साल से अधिक | कुल बकाया |
| चित्रदुर्ग | 1.29 | 11.19 |
| सीहोर | 3.93 | 25.12 |
| रायबरेली | 2.58 | 22.94 |
| हाजीपुर | 0.82 | 2.79 |
| कुट्टूर | 0.16 | 4.09 |
| **कुल** | **8.78** | **66.13** |

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- केंद्रीय पूनी संयंत्रों में से किसी ने भी देनदारों से आवधिक पुष्टि प्राप्त नहीं की थी। तीन साल से अधिक का पुराना बकाया ₹8.78 करोड़ था। इसलिए, केवीआईसी के लिए तीन वर्ष से अधिक पुराने अपुष्ट ऋणों की वसूली तीन वर्ष से अधिक पुराने अपुष्ट ऋणों की वसूली की संभावना कम है।
- सी.एस.पी. सेहोर और रायबरेली के मामले में, वसूली योग्य राशि अधिक होने के कारण कार्यशील पूनी की कमी थी और केन्द्रीय पूनी संयंत्रों को क्रमश ₹2 करोड़ और ₹4 करोड़ का अस्थायी ऋण लेना पड़ा था।
- सीएसपी हाजीपुर में, यह देखा गया कि 13 खादी संस्थानों से 10 वर्षों से अधिक समय से ₹44.45 लाख की राशि बकाया है, जिनका पता नहीं चल रहा है।

केवीआईसी/मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022/अगस्त 2022) कि देनदारों से और उनके भविष्य के भुगतानों से वसूली करके बकाया राशि की पुष्टि और प्राप्तियों की वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

### 6.1.2.4 खादी ग्रामोघोग भवनों और केंद्रीय पूनी संयंत्रों के अलावा विभागीय व्यापारिक इकाइयों द्वारा प्राप्तियों का प्रबंधन

खादी ग्रामोघोग भवनों और केन्द्रीय पूनी संयंत्रों के अलावा विभागीय व्यापारिक इकाइयों के संबंध में विविध देनदारों की स्थिति तालिका 6.7 में दी गई है।

**तालिका 6.7 खादी ग्रामोघोग भवनों और केंद्रीय पूनी संयंत्रों के अलावा विभागीय व्यापारिक इकाइयों में देनदार**

**(आकड़े ₹ करोड़ में)**

| इकाई का नाम | विविध देनदार | |
|---|---|---|
| | तीन साल से अधिक | कुल |
| आरबीडीओ, बाड़मेर | 1.54 | 2.45 |
| सीबीआरटीआई, पुणे | 0.05 | 0.05 |
| एचएमपीआई, मुंबई | 0.23 | 0.23 |
| एमडीटीसी, दहानु | 0.10 | 0.51 |
| कोकून खरीद, रांची | 1.11 | 1.11 |
| एटी आपूर्ति, मुंबई | 5.63 | 18.14 |
| **कुल** | **8.66** | **22.49** |

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- विभागीय व्यापारिक इकाइयों में से किसी ने भी देनदारों से आवधिक पुष्टि प्राप्त नहीं की थी। तीन साल से अधिक पुराना बकाया ₹8.66 करोड़ था। इसलिए, केवीआईसी के लिए तीन वर्ष से अधिक पुराने अपुष्ट ऋणों की वसूली की संभावना कम है।
- कोकून खरीद, रांची में, 16 खादी संस्थानों ने पिछले चार वर्षों से कोई राशि (₹78.06 लाख) का भुगतान नहीं किया है और छह खादी संस्थानों का कोई पता नहीं चला है (₹24.88 लाख)।

कोकून खरीद, रांची ने कहा(जुलाई 2022) कि चूककर्ता संस्थानों को देय संशोधित बाजार विकास सहायता से बकाया राशि की वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं।

- स्वीकृत निविदा आपूर्ति, मुंबई के मामले में, ₹5.44 करोड़ का ऋण पांच साल से अधिक समय से लंबित था और इसकी वसूली होने की संभावना नहीं थी, खासकर जब यूनिट के पास इन देनदारों का कोई विवरण भी नहीं है।

केवीआईसी/मंत्रालय ने कहा(जुलाई 2022/अगस्त 2022) कि कोकून खरीद रांची के संबंध में एक और देनदार फर्म निष्क्रिय हो गई है और अन्य 15 देनदारों के संबंध में, बकाया एमएमडीए दावों से वसूल किया जाएगा या उनके खिलाफ वसूली की कार्रवाई की जाएगी। इस उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर जाना चाहिए कि पिछले चार वर्षों में कोई वसूली नहीं की गई है। अन्य विभागीय व्यापार इकाइयों के संबंध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था।

***सिफारिश संख्या 22***

***केवीआईसी ऋण बिक्री और देनदारों की वसूली के संबंध में लागू अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करे। मामला मामला आधार पर लंबे समय से लंबित ऋणों को साकार करने-दर-के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए और वसूली न होने के कारणों की जांच की जाए।***

## 6.2 आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण एक महत्वपूर्ण प्रबंधन उपकरण है और इसमें नीतियों का पालन, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता के लिए एक संगठन द्वारा अपनाए गए तरीके और प्रक्रियाएं शामिल हैं। विभागीय व्यापारिक इकाइयों में आंतरिक नियंत्रण में पाई गई कमियों पर आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

### 6.2.1 खादी ग्रामोघोग भवनों में आंतरिक नियंत्रण

#### 6.2.1.1 भौतिक स्टॉक का सत्यापन

हालांकि केवीआईसी ने स्टॉक के वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए निर्देश जारी किए (फरवरी 2017), लेकिन खादी ग्रामोघोग भवनों में से कोई भी निर्देशों के अनुसार परिसंपत्तियों का

भौतिक सत्यापन नहीं कर रहा है। इसलिए, न तो स्टोर खातों की सटीकता और न ही स्टॉक का भौतिक अस्तित्व सत्यापित करने योग्य नहीं था।

### 6.2.1.2 अस्थायी (दैनिक वेतन भोगी) श्रमिकों की भर्ती

केवीआईसी ने अस्थायी (दैनिक वेतन भोगी) श्रमिकों को काम पर रखने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में स्थायी आदेश जारी किए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान, केजीबी गोवा ने दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवर[88] सुनिश्चित किए बिना नकद में ₹7.51 लाख की राशि का भुगतान किया और केजीबी मुंबई में, दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए निविदा आमंत्रित किए बिना (₹74.46 लाख) काम पर रखा गया।

केवीआईसी/मंत्रालय द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था।

### 6.2.1.3 विभिन्न खातों में शेष राशि का मिलान

विभिन्न बैंक खातों में शेष राशि का समय पर मिलान अच्छे वित्तीय प्रबंधन और धोखाधड़ी और त्रुटियों का समय पर पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- केजीबी भोपाल में, बैंक खाते 2019-20 तक चार साल से अधिक समय से मिलान के लिए लंबित थे, हालांकि, इकाई ने 2020-21 में एक बैंक खाते का मिलान किया और दो बैंक खातों का मिलान आज (अगस्त 2022) तक लंबित है।
- केजीबी दिल्ली में खातों और बैंक मिलान विवरणों की संवीक्षा से पता चला कि ₹25.26 लाख की राशि के 54 चेक कालबाधित हो गए थे तथा चेकों के लगातार कालबाधित होने के लिए कोई विशिष्ट कारण रिकॉर्ड नहीं किया गया। इसके अलावा, 31 मार्च 2021 तक बैंक खातों के वार्षिक विवरण के अनुसार, चार गैर-ऑपरेटिव बैंक खाते थे, जिनमें 2017-18 और 2018-19 के दौरान ₹4.5 लाख की शेष राशि थी और 2019-20 और 2020-21 के दौरान ₹2.8 लाख राशि वाले तीन गैर-ऑपरेटिव बैंक खाते थे।

---

[88] *जैसे कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा आदि का अंशदान।*

इसके अलावा, बंद होने के बावजूद दो बैंक खातों में ₹0.32 लाख और ₹0.23 लाख की शेष राशि अब तक निकाली नहीं गई है।

- 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान, खादी ग्रामोघोग भवन, एर्नाकुलम में 31 मार्च 2018 को ₹43.38 लाख, 31 मार्च 2019 को ₹51.86 लाख, 31 मार्च 2020 को ₹81.21 लाख और 31 मार्च 2021 को ₹44.93 लाख के नकद शेष के साथ आठ बचत बैंक खाते थे। दो बैंक खातों के संबंध में बैंक मिलान विवरण तैयार नहीं किया गया था।
- 2018-19 के दौरान केजीबी मुंबई में ₹1.50 लाख की बिक्री आय का कम प्रेषण पाया गया। हालांकि, इकाई ने अभी तक जिम्मेदारी तय नहीं की है और संबंधित अधिकारी से राशि वसूल नहीं की है।

केवीआईसी/मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए कहा (जुलाई 2022/अगस्त 2022) कि मिलान किया जाएगा और गैर-ऑपरेटिव खातों को 2022-23 में बंद कर दिया जाएगा।

***सिफारिश संख्या 23***

***चूंकि बैंक मिलान धोखाधड़ी को रोकने और पता लगाने में एक आवश्यक आंतरिक नियंत्रण साधन है, इसलिए केवीआईसी को विभिन्न विभागीय व्यापारिक इकाइयों द्वारा संचालित सभी बैंक खातों के लिए शेष राशि का तत्काल मिलान करने की आवश्यकता है।***

### 6.2.2 केंद्रीय पूनी संयंत्रों में आंतरिक नियंत्रण

केवीआईसी के परिपत्र (सितंबर 2017) में निर्धारित किया गया है कि सभी केंद्रीय पूनी संयंत्रों को प्रत्येक संयंत्र के आंतरिक कामकाज और वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए आईएफएमएस (एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) को पूरी तरह से चालू करने तक एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा हर छह महीने में लेखापरीक्षा की किया जानी आवश्यक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट संयंत्र के सुचारू संचालन के लिए उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, के लिए वित्तीय सलाहकार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तथापि, सीएसपी, हाजीपुर में ऐसी लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

केवीआईसी /मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022/अगस्त 2022) कि आंतरिक लेखापरीक्षा केवीआईसी की आंतरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा आयोजित की जा रही थी।

इस उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि परिपत्र के अनुसार स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षा की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया गया था।

### 6.2.3 स्टाफ की कमी

केवीआईसी (अप्रैल 2022) में स्टाफ की समग्र स्थिति तालिका 6.8 में विस्तृत है।

**तालिका 6.8 अप्रैल 2022 तक कुल स्टाफ की स्थिति**

| विवरण | स्वीकृत पद | तैनात कार्मिक | रिक्त पद |
|---|---|---|---|
| केवीआईसी समग्र रूप से | 2,168 | 1,402 | 766 |
| विभागीय व्यापारिक इकाईयाँ | 731 | 247 | 484 |

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एक निष्क्रिय इकाई (सीएसपी एटा) सहित 19 विभागीय व्यापारिक इकाइयों में 731 स्वीकृत पदों के मुकाबले, सभी विभागीय व्यापारिक इकाइयों में वास्तविक तैनात कार्मिकों की स्थिति 247 थी और 484 पद रिक्त थे। वस्तुतः, केवीआईसी में 60 प्रतिशत से अधिक रिक्त पद विभागीय व्यापारिक इकाइयों से संबंधित हैं। अतः, न केवल व्यापारिक गतिविधियां बल्कि आंतरिक नियंत्रण गतिविधियों की भी प्रभावित होने की संभावना थी, जैसा कि आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी बताया गया है।

केवीआईसी/मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022/अगस्त 2022) कि कार्मिकों की कमी के बारे में प्रशासन/मानव संसाधन निदेशालय को सूचित कर दिया गया है जो स्थिति पर विचार करते हुए उचित कार्रवाई करता है।

## 6.3 आंतरिक लेखापरीक्षा

### 6.3.1 विभागीय व्यापारिक इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा

विभागीय व्यापारिक इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा या व्यापारिक लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा निदेशालय द्वारा की जाती है। केवीआईसी ने व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए थे (1977) जिसमें व्यापारिक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए संख्या, कार्यप्रणाली और मानदंड निर्धारित किए गए थे। लेखापरीक्षा निदेशालय द्वारा वर्ष 2020-21 तक की सभी विभागीय व्यापारिक इकाइयों का व्यापारिक लेखापरीक्षा पूरी कर ली गई है। तथापि, यह देखा गया कि:

- बिक्री/उत्पादन प्रदर्शन, देनदारों/लेनदारों, केवीआईसी को वापस की जाने वाली राशि, वास्तविक बजट के साथ बजट की तुलना आदि पर कुछ सामान्य अभ्युक्तियों के

अलावा, व्यापारिक लेखापरीक्षा दल निर्धारित दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं के अनुपालन वाले मामलों जैसे कि सेवाओं/उत्पादों की खरीद, बिक्री, उत्पादन, मानव संसाधन प्रबंधन, संबंधित निदेशालयों द्वारा निगरानी आदि पर रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं।

- विभागीय व्यापारिक इकाइयां व्यापारिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों में शामिल अभ्युक्तियों के संबंध में उत्तर प्रस्तुत करने या सुधारात्मक कार्रवाई करने में तत्पर नहीं हैं। वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान 18 कार्यरत विभागीय व्यापारिक इकाइयों और चार निष्क्रिय विभागीय व्यापारिक इकाइयों के संबंध में जारी की गई 66 व्यापारिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों में से विभागीय व्यापारिक इकाइयों द्वारा 51 रिपोर्टों के लिए जवाब प्रस्तुत नहीं किए गए थे। 10 विभागीय व्यापारिक इकाइयों ने 2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्षों में से किसी के लिए भी व्यापारिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का जवाब प्रस्तुत नहीं किया था। इनमें से सात कार्यशील इकाइयां थीं और तीन निष्क्रिय इकाइयां थीं।

- व्यापारिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट शीर्ष प्रबंधन को प्रस्तुत नहीं की जा रही है, बल्कि केवल केवीआईसी के वित्तीय सलाहकार के स्तर तक प्रस्तुत की जा रही है, जो उनकी प्रभावशीलता को कम करती है।

- यह देखा गया कि आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए दिशा-निर्देश 1977 में केवीआईसी द्वारा जारी किए गए थे और नई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के संबंध में बिना किसी संशोधन के अभी भी उनका पालन किया जा रहा है।

केवीआईसी/मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022/अगस्त 2022) कि केवीआईसी की आंतरिक लेखापरीक्षा टीम ने विभागीय व्यापारिक इकाइयों की वार्षिक व्यापारिक लेखापरीक्षा करते समय, व्यापारिक इकाइयों के वार्षिक वित्तीय विवरणों का गहन विश्लेषण और व्याख्या करने के अलावा, खरीद, खरीद समिति के गठन, मानव संसाधन प्रबंधन आदि सहित व्यापारिक संचालनों का विस्तृत सत्यापन और प्रभावी रिपोर्टिंग भी की। यह भी कहा गया था कि आंतरिक लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तर प्रस्तुत करने में व्यापारिक इकाइयों की विफलता को संबंधित निदेशालयों के समान उठाया जाएगा। यह भी बताया गया कि संसाधित व्यापारिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट वित्तीय सलाहकार के स्तर तक प्रस्तुत की

जा रही थी। केवीआईसी ने यह भी कहा कि प्रत्येक प्रकार के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों को संशोधित किया जा रहा है।

उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जा सकता है कि इस रिपोर्ट के अध्याय 4 में की गई टिप्पणी के अनुसार, खरीद, उत्पादन, परीक्षण आदि के संबंध में जारी किए गए मानदंडों के साथ विभागीय व्यापारिक इकाइयों द्वारा गैर-अनुपालन के मुद्दों को कभी भी व्यापारिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं पाया गया था और रिपोर्टें विभागीय व्यापारिक इकाइयों के वित्तीय विवरणों पर अधिक केंद्रित थीं। इसके अतिरिक्त, तथ्य यह है कि आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टें मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा आयोग को प्रस्तुत नहीं की जा रही हैं और 77 प्रतिशत[89] लेखापरीक्षा रिपोर्टों के संबंध में लेखापरीक्षा इकाइयों द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

### 6.3.2 खादी संस्थानों की आंतरिक लेखापरीक्षा

केवीआईसी ने (नवंबर 2017) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा सूचीबद्ध लेखापरीक्षा फर्म द्वारा खादी संस्थानों के उपयोग प्रमाण पत्रों की लेखापरीक्षा सहित वित्तीय लेखापरीक्षा सौंपने के लिए और ₹1 करोड़ तक के उत्पादन/बिक्री वाले खादी संस्थानों की वित्तीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट के प्रसंस्करण का विकेंद्रीकरण के लिए स्थायी आदेश जारी किया। उक्त स्थायी आदेश में यह निर्धारित किया गया है कि सभी खादी संस्थान वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद वित्तीय लेखापरीक्षा पूरी करना सुनिश्चित करेंगे और प्रत्येक वर्ष 30 जून तक निर्धारित प्रारूप में संबंधित राज्य/मंडल कार्यालय को सूचित करेंगे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि खादी ग्रामोघोग भवन खादी संस्थाओं पर निर्धारित निदेशों को लागू नहीं कर रहे हैं। दो केजीबी (पटना और भोपाल) के मामले में खादी संस्थानों की सीएजी के पैनल में शामिल लेखापरीक्षा फर्मों द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की जा रही थी, जबकि लेखापरीक्षा में नमूना जांच किए गए अन्य पांच ग्रामोघोग भवनों की लेखापरीक्षा विवरण उपलब्ध नहीं था।

केवीआईसी/मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022/अगस्त 2022) कि सीएजी पैनल में शामिल फर्मों के माध्यम से खादी संस्थानों की लेखापरीक्षा करने की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा

---

*[89] जारी की गई कुल 66 आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में से केवल 51 का उत्तर दिया गया।*

की जाएगी और चल रही भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने पर केवीआईसी की संस्थानिक लेखापरीक्षा श्रमबल में सुधार होने के बाद इसे बदल दिया जाएगा।

***सिफारिश संख्या 24***

***विभागीय व्यापारिक इकाइयों की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत किया जाए और इस संबंध में नवीनतम सिद्धांतों और प्रथाओं पर विचार करते हुए आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए दिशानिर्देशों को अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जा सके और कार्यप्रणाली में सुधार किया जा सके।***

***सिफारिश संख्या 25***

***केवीआईसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,वित्तीय सलाहकार की टिप्पणियों के साथ आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समीक्षा करें और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार पर केवीआईसी की प्रभावशीलता और दक्षता बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ।***

***सिफारिश संख्या 26***

***आंतरिक लेखापरीक्षा योजना को पूरा करने, अभ्युक्तियों की समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने और लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर की गई कार्रवाई की निगरानी के लिए तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।***

**नई दिल्ली**
**दिनांक: 31 मार्च 2023**

**(आर जी विश्वनाथन)**
**उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक)**
**एवं अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड**

**प्रतिहस्ताक्षरित**

**नई दिल्ली**
**दिनांक : 31 मार्च 2023**

**(गिरीश चंद्र मुर्मू)**
**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

# अनुलग्नक

**अनुलग्नक-I**

***(पैरा 1.1 और पैराग्राफ 3 में संदर्भित)***

**खादी और ग्रामोघोग आयोग द्वारा स्थापित विभागीय व्यापारिक इकाइयां**

| क्रम. सं. | विभागीय व्यापारिक इकाइयां | जोन | क्या लेखापरीक्षा के लिए चुना गया | बंद होने का वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| **क्रियात्मक विभागीय व्यापारिक इकाइयां** | | | | |
| 1 | खादी ग्रामोघोग भवन, नई दिल्ली | उत्तर | हाँ | कार्यात्मक इकाइयां |
| 2 | खादी ग्रामोघोग भवन, कोलकाता | पूर्व | हाँ | |
| 3 | खादी ग्रामोघोग भवन गोवा | पश्चिम | हाँ | |
| 4 | खादी ग्रामोघोग भवन भोपाल | उत्तर | हाँ | |
| 5 | खादी ग्रामोघोग भवन एर्नाकुलम | दक्षिण | हाँ | |
| 6 | खादी ग्रामोघोग भवन मुंबई | पश्चिम | हाँ | |
| 7 | खादी ग्रामोघोग भवन पटना | पूर्व | हाँ | |
| 8 | केंद्रीय पूनी संयंत्र कुट्टूर | दक्षिण | हाँ | |
| 9 | केंद्रीय पूनी संयंत्र रायबरेली | उत्तर | हाँ | |
| 10 | केंद्रीय पूनी संयंत्र सीहोर | मध्य | हाँ | |
| 11 | केंद्रीय पूनी संयंत्र चित्रदुर्ग | दक्षिण | हाँ | |
| 12 | केंद्रीय पूनी संयंत्र हाजीपुर | पूर्व | हाँ | |
| 13 | स्वीकृत निविदा आपूर्ति मुंबई | पश्चिम | हाँ | |
| 14 | कोकून खरीद रांची | पूर्व | हाँ | |
| 15 | क्षेत्रीय सीमा विकास कार्यालय, बाड़मेर | उत्तर | हाँ | |
| 16 | मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग सेंटर, दहानु | पश्चिम | हाँ | |
| 17 | हस्तनिर्मित कागज उद्योग मुंबई | पश्चिम | हाँ | |
| 18 | केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पुणे | पश्चिम | हाँ | |
| **निष्क्रिय विभागीय व्यापारिक इकाइयां** | | | | |
| **मध्य जोन** | | | | |
| 1. | कोकून खरीद भोपाल | मध्य | हाँ | 2001 |
| 2. | विपणन इकाई, ऋषिकेश | मध्य | हाँ | 2007 |
| 3. | खादी व्यापारिक, छेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर | मध्य | हाँ | 1997 |
| 4. | हरिद्वारी कंबल खरीद | मध्य | नहीं | 2011 |

| क्रम. सं. | विभागीय व्यापारिक इकाइयां | जोन | क्या लेखापरीक्षा के लिए चुना गया | बंद होने का वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| 5. | चर्मशिल्प, मेरठ | मध्य | नहीं | 1999 |
| 6. | भारतीय चर्मोद्योग सामान्य सुविधा केंद्र, आगरा | मध्य | नहीं | 2006 |
| 7. | पोवस्त्रा, भोपाल | मध्य | नहीं | 1996 |
| 8. | पहाड़ी एवं सीमा क्षेत्र इकाई, क्षेत्रीय कार्यालय, ऋषिकेश | मध्य | नहीं | 2005 |
| 9. | स्प्लिंट एंड वीनर, काशीपुर | मध्य | नहीं | 1991 |
| 10. | खादी ग्रामोघोग भवन. लखनऊ | मध्य | नहीं | 2001 |
| 11. | चर्मशिल्प, लखनऊ | मध्य | नहीं | 2001 |
| 12. | विशेष कार्यक्रम, क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर | मध्य | नहीं | 1997 |
| 13. | ग्रामोघोग कार्यक्रम, जगदलपुर | मध्य | नहीं | 1997 |
| **पूर्वी जोन** | | | | |
| 14. | ग्रामोघोग विपणन क्षेत्रीय कार्यालय, सिलीगुड़ी | पूर्व | हाँ | 2006 |
| 15. | व्यापार गतिविधियां निदेशालय, कोलकाता | पूर्व | हाँ | 1962 |
| 16. | ग्रामोघोग व्यापार (चूना) इकाई सिलीगुड़ी | पूर्व | हाँ | 1985 |
| 17. | पॉलीवस्त्र, कोलकाता | पूर्व | हाँ | 2006 |
| 18. | खादी ग्रामोघोग भवन, भुवनेश्वर | पूर्व | हाँ | 2006 |
| 19. | सेंट्रल वस्त्रघर, गुवाहाटी | पूर्व | नहीं | 2003 |
| 20. | नया मॉडल चरखा उत्पादन इकाई, क्षेत्रीय कार्यालय, सिलीगुड़ी | पूर्व | नहीं | 2007 |
| 21. | मलमल पूनी गोदाम, कोलकाता | पूर्व | नहीं | 2006 |
| 22. | छह धुरी केंद्र, कोलकाता | पूर्व | नहीं | 2006 |
| 23. | पहाड़ी और सीमा क्षेत्र विपणन इकाई, सिलीगुड़ी | पूर्व | नहीं | 2006 |
| 24. | व्यापारिक परिचालन, अंडमान | पूर्व | नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 25. | केंद्रीय वस्त्रघर, भुवनेश्वर | पूर्व | नहीं | 2009 |
| 26. | प्रसंस्करण अनाज और दलहन उद्योग, भुवनेश्वर | पूर्व | नहीं | 1974 |
| 27. | चर्मशिल्प, भुवनेश्वर | पूर्व | नहीं | 1994 |
| 28. | वीओआई स्टॉकिंग लोन, पटना | पूर्व | हाँ | 2009 |
| 29. | मलमल पूनी गोदाम, पटना | पूर्व | नहीं | 2004 |
| 30. | केंद्रीय पूनी संयंत्र, भुवनेश्वर | पूर्व | नहीं | 1995 |

| क्रम. सं. | विभागीय व्यापारिक इकाइयां | जोन | क्या लेखापरीक्षा के लिए चुना गया | बंद होने का वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| 31. | केंद्रीय पूनी संयंत्र, सहरसा | पूर्व | नहीं | 2009 |
| **उत्तर-पूर्व जोन** | | | | |
| 32. | विपणन क्षेत्रीय कार्यालय, अगरतला, त्रिपुरा | पूर्वोत्तर | हाँ | 2012 |
| 33. | खादी ग्रामोघोग भवन, आइजोल | पूर्वोत्तर | हाँ | 2006 |
| 34. | अखाद्य तेल साबुन, दीमापुर | पूर्वोत्तर | हाँ | 1988 |
| 35. | पहाड़ी और सीमा क्षेत्र इकाई,अगरतला | पूर्वोत्तर | नहीं | 2010 |
| 36. | चर्मशिल्प, आइजोल | पूर्वोत्तर | नहीं | 2006 |
| 37. | व्यापारिक खादी, कोहिमा | पूर्वोत्तर | नहीं | 2002 |
| 38. | व्यापारिक परिचालन (विपणन), इंफाल | पूर्वोत्तर | नहीं | 2003 |
| 39. | पहाड़ी और सीमा क्षेत्र इकाई, इम्फाल | पूर्वोत्तर | नहीं | 2002 |
| 40. | खादी ग्रामोघोग भवन, ईटानगर | पूर्वोत्तर | नहीं | 2003 |
| 41. | खादी ग्रामोघोग भवन, शिलांग | पूर्वोत्तर | नहीं | 2005 |
| **उत्तर जोन** | | | | |
| 42. | खादी ग्रामोघोग भवन, बाड़मेर | उत्तर | हाँ | 2001 |
| 43. | नोएडा परियोजना | उत्तर | हाँ | 1993 |
| 44. | केंद्रीय पूनी संयंत्र, एटा | उत्तर | हाँ | 2019 |
| 45. | भारतीय चर्मोद्योग सामान्य सुविधा केंद्र, अंबाला | उत्तर | नहीं | 2006 |
| 46. | मधुमक्खी पालन, चंडीगढ़ | उत्तर | नहीं | 1996 |
| 47. | व्यापारिक परिचालन, श्रीनगर | उत्तर | नहीं | 2012 |
| 48. | इरविन रोड बिल्डिंग, नई दिल्ली | उत्तर | नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 49. | प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र, नई दिल्ली | उत्तर | नहीं | 2007 |
| 50. | व्यापारिक ऑपरेशन, शिमला | उत्तर | नहीं | 1988 |
| 51. | चर्मशिल्प नई दिल्ली | उत्तर | नहीं | उपलब्ध नहीं |
| **दक्षिण जोन** | | | | |
| 52. | खादी ग्रामोघोग भवन, बैंगलोर | दक्षिण | हाँ | 2010 |
| 53. | केंद्रीय ग्राम बर्तन संस्थान, खानापुर | दक्षिण | हाँ | 2004 |
| 54. | ग्रामीण वस्त्र केंद्र, कनिमंगलम, केरल | दक्षिण | हाँ | 1999 |

| क्रम. सं. | विभागीय व्यापारिक इकाइयां | जोन | क्या लेखापरीक्षा के लिए चुना गया | बंद होने का वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| 55. | खादी ग्रामोघोग भवन, विशाखापत्तनम | दक्षिण | नहीं | 2001 |
| 56. | केंद्रीय खजूर गुड़ और खजूर उत्पाद संस्थान, माधवरम | दक्षिण | नहीं | 2016 |
| 57. | खादी ग्रामोघोग भवन, हैदराबाद | दक्षिण | नहीं | 2001 |
| 58. | केंद्रीय पूनी संयंत्र, दौसा | दक्षिण | नहीं | 2001 |
| 59. | शहद विपणन डिपो, एर्नाकुलम | दक्षिण | नहीं | 2009 |
| **पश्चिम जोन** | | | | |
| 60. | जमनालाल बजाज केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, वर्धा | पश्चिम | हाँ | 1995 |
| 61. | निदेशक, गैर-पारंपरिक ऊर्जा, मुंबई | पश्चिम | हाँ | 1992 |
| 62. | उपकरण निदेशालय | पश्चिम | हाँ | 2002 |
| 63. | निदेशक, साबुन, मुंबई | पश्चिम | हाँ | 2016 |
| 64. | खादी ग्राम भंडार, राधनपुर | पश्चिम | हाँ | 2002 |
| 65. | अंबर सरंजन, अहमदाबाद | पश्चिम | हाँ | 2000 |
| 66. | पायलट अगरबती, अहमदाबाद | पश्चिम | हाँ | 2002 |
| 67. | ऊन निदेशालय, मुंबई | पश्चिम | नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 68. | निदेशक, चमड़ा, मुंबई | पश्चिम | नहीं | 2001 |
| 69. | निदेशक, सीएमआई, मुंबई | पश्चिम | नहीं | 1988 |
| 70. | सुंदरबन विकास केंद्र, गुजरात | पश्चिम | नहीं | 2006 |
| 71. | खादी ग्रामोघोग भवन, सिलवासा | पश्चिम | नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 72. | क्षेत्रीय कार्यालय, पालनपुर | पश्चिम | नहीं | 2015 |
| 73. | केंद्रीय वस्त्रघर, अहमदाबाद | पश्चिम | नहीं | 2009 |
| 74. | कपास निदेशालय (केआरएम) | पश्चिम | नहीं | 1998 |

**अनुलग्नक -II**

**(*पैरा 5.1.4.2 (ii) में संदर्भित*)**

**विपणन सलाहकार सुपुर्दगी दायित्व**

| क्रम.सं. | सुपुर्दगी दायित्व |
|---|---|
| 1 | एडीबी के लिए सौर चरखा प्रस्तुतीकरण |
| 2 | फ्रैंचाइज़ी समझौता - टिप्पणियाँ |
| 3 | विदेशों में भारतीय मिशनों में 15 अगस्त समारोह के लिए वीडियो प्रस्तुति |
| 4 | एनआईएफटी इंटर्न बजट और नौकरी विवरण |
| 5 | लैक्मे फैशन वीक - केवीआईसी शो के लिए सहायता |
| 6 | आरएफपी - केआई के भौतिक सत्यापन के लिए भर्ती एजेंसी |
| 7 | वस्त्र समिति की प्रस्तुति |
| 8 | 6 देशों के लिए बाजार संभावित अध्ययन |
| 9 | आरएफपी - खादी फिल्म के लिए रचनात्मक एजेंसी |
| 10 | 2 अक्टूबर के लिए गतिविधि योजना - भारतीय मिशन |
| 11 | क्लोजर रिपोर्ट |
| 12 | मसौदा समझौता ज्ञापन की समीक्षा - केवीआईसी और अमेज़ॅन |
| 13 | दिल्ली डीएसओ सुधार योजना |
| 14 | विपणन और बिक्री योजना |
| 15 | 2 अक्टूबर के लिए सहायता - भारतीय मिशनों में प्रदर्शन |
| 16 | केजीबी मुंबई डीएसओ सुधार योजना |
| 17 | केजीबी समीक्षा - अशोका होटल |
| 18 | सीएसपी समीक्षा रिपोर्ट - पहला मसौदा |
| 19 | विश्व खादी कांग्रेस - अवधारणा नोट और बजट |
| 20 | कॉर्पोरेट उपहार - पीएसयू को मसौदा पत्र |
| 21 | निर्यात बिक्री के लिए कार्य योजना |

## अनुलग्नक III

***(पैरा 6.1.1.1 में संदर्भित)***

2017-2021 के दौरान विभागीय व्यापारिक इकाइयों का निवल लाभ और बिक्री पर निवल लाभ का अनुपात

| इकाई का नाम | निवल लाभ | | | | कुल निवल लाभ | लाभ/बिक्री अनुपात | | | | बिक्री अनुपात में कुल लाभ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | |
| | (आंकड़े ₹ लाख में) | | | | | (आंकड़े प्रतिसत में) | | | | |
| केजीबी, नई दिल्ली | 221.04 | 609.32 | 221.1 | 116.51 | **1167.97** | 2.21 | 5.9 | 2.37 | 2.3 | **3.36** |
| केजीबी, कोलकाता | -72.89 | -5.34 | 27.2 | -54.6 | **-105.63** | -2.6 | -0.17 | 1.51 | -9.7 | **-1.27** |
| केजीबी गोवा | -17.97 | -10.76 | -13.3 | -12.74 | **-54.77** | -64.18 | -25.02 | -35.95 | -55.39 | **-41.49** |
| केजीबी भोपाल | 0.57 | 7.97 | -6.24 | 5.98 | **8.28** | 0.09 | 1.17 | -1.78 | 3.42 | **0.44** |
| केजीबी एर्नाकुलम | 12.1 | 24.04 | 1.61 | -59.21 | **-21.46** | 0.76 | 1.42 | 0.17 | -14.91 | **-0.46** |
| केजीबी मुंबई | 72.34 | 88.66 | 72.68 | 29.23 | **262.91** | 4.19 | 4.8 | 4.71 | 20.01 | **6.83** |
| केजीबी पटना | 13.92 | 25.61 | 11.94 | 15.27 | **66.74** | 4.49 | 3.87 | 3.67 | 14.54 | **3.36** |
| **केजीबी के लिए कुल** | **229.11** | **739.5** | **314.99** | **40.44** | **1324.04** | **-55.04** | **-8.03** | **-25.3** | **-39.73** | **2.39** |
| सीएसपी कुट्टूर | -18.78 | 14.29 | 15.99 | 17.87 | **29.37** | -2.1 | 1.76 | 1.66 | 2.73 | **0.86** |
| सीएसपी रायबरेली | -184.04 | 14.18 | 38.15 | 195.77 | **64.06** | -18.35 | 1.45 | 1.84 | 9.15 | **1.00** |
| सीएसपी सीहोर | 4.76 | 152.59 | 93.18 | 200.12 | **450.65** | 0.39 | 10.03 | 4.79 | 8.86 | **6.70** |
| सीएसपी चित्रदुर्ग | 53.72 | 20.65 | 22.88 | 69.69 | **166.94** | 3.72 | 1.52 | 2.04 | 5.39 | **3.98** |
| सीएसपी हाजीपुर | -40.1 | 8.5 | 5.97 | 12.39 | **-13.24** | -9.57 | 1.96 | 1.36 | 4.02 | **-1.12** |
| **सीएसपी के लिए योग** | **-184.44** | **210.21** | **176.17** | **495.84** | **697.78** | **-25.91** | **16.72** | **11.69** | **30.15** | **3.18** |
| ए.टी. आपूर्ति मुंबई | 28.78 | 31.71 | 99.55 | 60.31 | **220.35** | 0 | 0 | 20.27 | 1.62 | **5.17** |
| कोकून खरीद रांची | 0.64 | -0.11 | -0.06 | -0.05 | **0.42** | 1.83 | 0 | 0 | 0 | **2.80** |
| आरबीडीओ बाड़मेर | 25.23 | -1.54 | 0.12 | 4.24 | **28.05** | 168.2 | -1.9 | 0.14 | 3.21 | **9.38** |
| एमडीटीसी दहानु | 8.27 | 11.18 | 0.21 | 7.28 | **26.94** | 2.38 | 8.87 | 0.7 | 8.88 | **4.60** |
| एचएमपीआई मुंबई | 8.95 | 13.27 | 1.82 | -0.63 | **23.41** | 33.15 | 51.04 | 7.58 | -7.88 | **32.97** |
| सीबीआरटीआई, पुणे | 7.7 | 1.97 | 7.04 | 7.51 | **24.22** | 14.26 | 5.47 | 16.76 | 18.78 | **14.08** |
| **अन्य डीटीयू के लिए योग** | **79.57** | **56.48** | **108.68** | **78.66** | **323.39** | **16.61** | **21** | **16.15** | **1.97** | **5.97** |
| **कुल योग** | **124.24** | **1,006.19** | **599.84** | **614.93** | **2,345.20** | **0.59** | **4.23** | **2.79** | **3.59** | **2.83** |

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in